प्रकाशन तिथि : 20 अप्रेल, 2021 * वर्ष-30, पृष्ठ संख्या 60, अंक-4

राजस्थान सुजस

#राजस्थान_सतर्क_है

सजगता से ही प्रदेश रह सकेगा स्वस्थ

अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

#राजस्थान_सतर्क_है

चिरंजीवी

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

हर परिवार को 5 लाख रुपये का निःशुल्क बीमा

3500 करोड़ रुपये का प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन

अब रजिस्ट्रेशन अभियान 30 अप्रेल 2021 तक

और ई-मित्र केन्द्र पर पंजीकरण निःशुल्क

योजना की खास बातें

- राज्य के सरकारी और संबद्ध निजी अस्पतालों में भर्ती होने पर 5 लाख रुपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा
- प्रतिवर्ष सामान्य बीमारी 50 हजार और गंभीर बीमारी 4.50 लाख रुपये का निःशुल्क उपचार
- भर्ती के 5 दिन पूर्व और डिस्चार्ज के बाद 15 दिन तक का व्यय शामिल
- बीमारियों के 1576 प्रकार के पैकेज और प्रोसीजर उपलब्ध
- रजिस्ट्रेशन शिविर ग्राम पंचायत के साथ-साथ गांव स्तर व शहरों में वार्ड स्तर पर चल रहे हैं।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना-2011 के लाभार्थियों को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। उन्हें पूर्व की भांति योजना का लाभ मिलता रहेगा।

योजना से जुड़ने की प्रक्रिया हुई सरल

- लघु व सीमान्त कृषक, संविदाकर्मियों तथा गत वर्ष राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 अनुग्रह राशि भुगतान प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवारों का सम्पूर्ण प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
- ऐसे परिवार जो उपरोक्त श्रेणियों में नहीं आते हैं, वे 850 रुपये प्रीमियम जमा करवाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- ई-मित्र केन्द्र पर लगने वाले पंजीयन शुल्क, प्रीमियम राशि जमा शुल्क, पॉलिसी दस्तावेज प्रिंटिंग शुल्क का भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
- ऐसे लाभार्थी जिनका जनआधार कार्ड नहीं बना है, वे ई-मित्र केन्द्र पर जनआधार पंजीयन निःशुल्क करवा सकते हैं तथा पंजीयन रसीद के आधार पर योजना में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

1 मई 2021 से योजना पूरे प्रदेश में लागू होगी

योजना के लिए परिवार का आकार एवं आय की सीमा नहीं है

ऐसे ई-मित्र जो पंजीयन अभियान के दौरान अपने क्षेत्र के पात्र लाभार्थियों में से 80% से अधिक रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उन्हें प्रति रजिस्ट्रेशन 5 रुपये का प्रोत्साहन भी दिया जायेगा

30 अप्रेल 2021 तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों को योजना में लाभ लेने हेतु बाद में रजिस्ट्रेशन कराने पर 3 महीने का इंतजार करना होगा

सरकारी कार्मिकों को इस योजना से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि केन्द्र सरकार की CGHS की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा RGHS लागू की जा रही है

नोडल एजेंसी - राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी
(चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

अधिक जानकारी के लिए 1800 180 6127 पर फोन करें या
विभाग की वेबसाइट health.rajasthan.gov.in/mmcsby देखें

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान

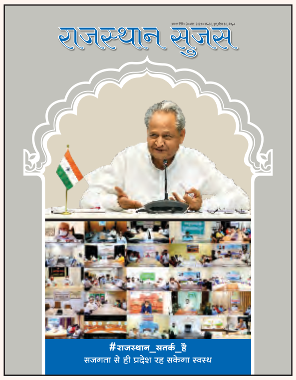

प्रधान सम्पादक
राजपाल सिंह यादव

सम्पादक
डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा

उप सम्पादक
आशाराम खटीक

कला
विनोद कुमार शर्मा

आवरण छाया
पदम सैनी

राजस्थान सुजस में प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं एवं आंकड़े परिवर्तनशील हैं। आवश्यक नहीं कि शासन उनसे सहमत हो। सुजस में प्रकाशित सामग्री का विभाग किसी भी रूप में उपयोग कर सकेगा।

ग्राफिक डिजाइनिंग
प्रीमियर प्रिन्टिंग प्रेस

सम्पर्क
सम्पादक
राजस्थान सुजस (मासिक)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
सचिवालय परिसर
जयपुर - 302 005

e-mail :
publication.dipr@rajasthan.gov.in
editorsujas@gmail.com

Website :
www.dipr.rajasthan.gov.in

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान का मासिक

वर्ष : 30 अंक : 04 **अप्रैल, 2021**

इस अंक में

कोरोना प्रबन्धन...

05

महिला नीति...

28

साक्षात्कार

54

सम्पादकीय... 04

राजस्थान दिवस... 27

स्वास्थ्य बीमा... 36

डॉ. अम्बेडकर... 38

आयुर्वेद... 40

ऑपरेशन फ्लश... 41

मास्क बैंक... 42

खनिज... 43

बजट 2021-22... 44

ऊर्जा...

39

सामयिकी...

14

सौर ऊर्जा...

34

राज्य विश्वविद्यालय

56

राजस्थान सुजस के आगामी अंक के लिए मौलिक, अप्रकाशित सामग्री भिजवायें।
कृपया अपने आलेख एवं फोटोग्राफ सम्पादक को e-mail : editorsujas@gmail.com पर अथवा डाक से भेजें।

सजगता से ही प्रदेश रह सकेगा स्वस्थ

कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर का प्रभाव राजस्थान प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। प्रदेशवासियों को इससे बचाए रखने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। खुद मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत निरंतर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। नियमित रूप से कोरोना से बचाव के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से बैठकें कर बचाव के उपायों एवं परिणामों की ग्राउण्ड रिपोर्ट ले रहे हैं।

मुख्यमंत्री बैठकों में प्रदेशवासियों से यह आग्रह कर रहे हैं कि कोविड-19 से बचाव के लिए सावधानी जरूर बरतें, अन्यथा सरकार को कड़े कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। कोविड पर नियंत्रण के लिए प्रदेशवासियों को सजगता दिखाते हुए बचाव के प्रयासों में सक्रिय भागीदारी निभानी होगी।

राज्य सरकार कोविड-19 से बचाव के लिए बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों के लिए आमजन को सावचेत करने में जुटी हुई है। प्रदेश सरकार मीडिया के माध्यम से भी जन-जन में जागरूकता लाने की कोशिश कर रही है। प्रदेश को स्वस्थ बनाए रखने में सभी लोगों की सजगता व सतर्कता अति आवश्यक है।

राजस्थान सुजस के माध्यम से राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं को आप सभी तक निश्चित समय पर पहुंचाने हेतु विभाग प्रतिबद्ध है। सुजस के दिसम्बर, 2020 के अंक में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का साक्षात्कार प्रकाशित किया गया था। इसके बाद के अंकों में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के मंत्री डॉ. रघु शर्मा और राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग का साक्षात्कार प्रकाशित किया गया। इस अंक में जलदाय, ऊर्जा, कला, साहित्य एवं पुरातत्त्व विभााग मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला का साक्षात्कार दिया जा रहा है। अप्रेल, 2021 के इस अंक से ही राजस्थान में संचालित राज्य विश्वविद्यालयों पर भी आलेख प्रकाशित करने की शुरुआत की गई है। इस क्रम में सर्वप्रथम राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों पर आधारित लेख इसमें शामिल किया गया है।

''राजस्थान सुजस'' का प्रधान संपादक होने के नाते आप सभी सुधी पाठकों का मैं अभिवादन करता हूँ। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि राजस्थान सुजस मासिक पत्रिका को अधिक ज्ञानोपयोगी बनाने के लिए सुझाव भी दें, जिससे लोगों को इस रचनात्मक प्रयास का अधिकाधिक लाभ मिल सके। इस पत्रिका का ई-वर्जन सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की वेबसाइट www.dipronline@rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

आप सभी के हार्दिक अभिवादन के साथ,

(राजपाल सिंह यादव)
प्रधान संपादक

राजनेताओं, धर्मगुरुओं एवं धार्मिक-सामाजिक संगठनों के साथ संवाद

संक्रमण के भयावह दौर से मुकाबले के लिए सभी के सहयोग की जरूरत

कोरोना की दूसरी लहर-सतर्क और सजग है प्रदेश

– मनीष गोधा

कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर अपना असर दिखा रही है। पिछले वर्ष दिसम्बर और इस वर्ष जनवरी में संक्रमण में आई कमी के बाद फरवरी मध्य से नए संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ताजा आंकड़े चिंता पैदा कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद प्रदेश में स्थितियां बहुत हद तक काबू में है। टीकाकरण के मामले में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में है और मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत लगातार ना सिर्फ हालात पर नजर बनाए हुए हैं, बल्कि जरूरी सख्ती भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार बीते कुछ दिनों में तेजी से बढ़ी है और हम संक्रमण की पहली लहर के सर्वोच्च स्तर को पीछे छोड़ चुके हैं। इसे देखते हुए जमीनी स्तर पर कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन को सख्त उपायों से रोका जाना बेहद जरूरी है।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के उद्देश्य से संपूर्ण प्रदेश में 19 अप्रेल से 3 मई की प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन पखवाड़े के तहत विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है। इस दौरान सरकारी कार्यालय, बाजार, मॉल्स तथा कार्यस्थल बंद रहेंगे। लेकिन श्रमिकों के रोजगार से जुड़ी गतिविधियां जैसी फैक्ट्री तथा निर्माण कार्य पर रोक नहीं होगी। साथ ही ठेला एवं फेरी लगाकर जीवनयापन करने वाले लोगों को जीविकोपार्जन की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 18 अप्रेल को देर रात तक मुख्यमंत्री निवास पर चली उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। सार्वजनिक स्थलों, बाजारों एवं कार्यस्थलों आदि में सामान्य गतिविधियां जारी रहने से भीड़भाड़ के चलते कोरोना संक्रमण अधिक बढ़ रहा है। इसे नियंत्रित करने के लिए 19 अप्रेल से शुरु जन-अनुशासन पखवाड़े में प्रदेशभर में सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रखे जाएं। साथ ही इस दौरान जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं तथा वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कुछ गतिविधियां प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के प्रसार को रोकने में मास्क पहनना एक आवश्यक निवारण उपाय है। इसको कड़ाई से लागू करने के लिए सार्वजनिक स्थानों और कार्य स्थलों पर मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

प्रदेश में पिछले वर्ष जब कोविड संक्रमण सामने आया था तो राजस्थान देश का पहला राज्य था, जिसने कोरोना नियंत्रण के लिए भीलवाड़ा जिले को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया था। भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हुई और जब दुनियाभर की सरकारों को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था तो कड़ाई से लागू किए गए कंटनेमेंट जोन और कर्फ्यू की सख्त पालना जैसे उपायों के जरिए राजस्थान ने देश और दुनिया को राह दिखाई थी और यह सम्भव हो पाया था मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा समय पर किए गए निर्णयों के कारण।

अब प्रदेश में एक बार फिर संक्रमण का असर बढ़ रहा है। 14 अप्रेल

के ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में एक्टिव केसेज की संख्या बढ़कर 33,379 हो गई है। वहीं अब एक दिन में औसतन पांच से छह हजार से ज्यादा केस आ रहे हैं जो पिछले वर्ष कोरोना के पहले आउटब्रेक से भी ज्यादा हैं। यानी इस बार का संक्रमण पहले से भी तेजी से फैल रहा है। मौतों की संख्या भी बढ़ रही है।

यह हालात चिंता पैदा करने वाले तो हैं, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जिस तरह लगातार बैठकें कर हालात पर नजर रखे हुए हैं और सख्ती के फैसले ले रहे है, उसके चलते हालात बहुत हद तक काबू में भी हैं। एक अप्रेल के बाद जब से प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में एकाएक तेजी आई है, तब से मुख्यमंत्री लगभग हर रोज हालात की समीक्षा कर रहे हैं। फैसले लागू करने से पहले विशेषज्ञों से चर्चा कर रहे हैं। प्रदेश भर में रात्रिकालीन कर्फ्यू का समय बढ़ाने और बच्चों की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित करने जैसे बड़े फैसले लेने से पहले उन्होंने विशेषज्ञों, धर्मगुरुओं, समाज के प्रतिष्ठित लोगों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा की। पिछले दिनों पांच अप्रेल को तो मुख्यमंत्री ने रात दस बजे बैठक की और दो घंटे तक चिकित्सा विभाग के जिलों में बैठे अधिकारियों से पूरा फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री सिर्फ बैठकें कर फैसले ही नहीं कर रहे, बल्कि सोशल मीडिया के महत्त्व को समझते हुए कोविड के हालात के प्रति ट्वीट कर लोगों को सजग भी कर रहे है। अब तक इस विषय को लेकर वे कई ट्वीट और फेसबुक पोस्ट कर चुके हैं। यही नहीं इस बार कोरोना को लेकर की जा रही बैठकों का सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण भी किया जा रहा है, ताकि लोग खुद हालात की गम्भीरता को समझें और मुख्यमंत्री के इस नवाचार को लोग बड़ी संख्या में देख भी रहे है।

मुख्यमंत्री फरवरी माह के अंतिम सप्ताह से लेकर अब तक कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए दस से ज्यादा बैठकें कर चुके हैं और यह बैठकें सिर्फ अधिकारियों के साथ ही नहीं, बल्कि चिकित्सा जगत के विशेषज्ञों, धर्म गुरुओं और विपक्ष और अन्य दलों के नेताओं के साथ भी की गई हैं। इस तरह मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत सभी वर्गों के साथ मिल कर हालात की समीक्षा कर रहे हैं और समयानुकूल फैसले ले रहे हैं। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए 25 फरवरी को पहली बैठक की थी और इस बैठक में ही केरल और महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों को देखते हुए उन राज्यों से आने वालों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी किए जाने का निर्णय कर लिया गया था। तब से अब तक जो भी बैठकें हुई है, उनमें हालात को देखते हुए सख्ती बढ़ाई गई है, हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन जैसा कदम नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि यह लोगों के रोजगार को बहुत बुरी तरह प्रभावित करता है, लेकिन इस बात की मंशा भी प्रकट की है कि जनता ने सावधानी नहीं रखी तो सरकार कड़े कदम उठाने से परहेज नहीं करेगी। यही कारण रहा कि होली और शब-ए-बारात जैसे त्योहारों के बावजूद नाइट कर्फ्यू और धारा 144 जैसे कठोर निर्णय किए गए। साथ ही जनता से अपील की गई कि त्यौहार मनाएं पर कोविड की स्थितियों का ध्यान रखें। हालात को देखते हुए ही सेम्पलिंग को बढ़ाकर प्रतिदिन 55 हजार तक कर दिया गया है। इस महीने के अंत तक 1 लाख तक करने का लक्ष्य है। इसके अलावा ऑक्सीजन की उपलब्धता, कोविड केयर अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं, दवाओं, टीकाकरण, भर्ती रोगियों की संख्या तथा संक्रमण रोकने आदि पर भी मुख्यमंत्री पूरी नजर रखे हुए हैं।

वहीं चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा भी पूरी सजगता से हालात पर नजर रखे हुए है। उनका भी मानना है कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सख्ती किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पूर्व में समय से लिए गए निर्णयों के कारण राजस्थान कोरोना के प्रबंधन में सबसे आगे रहा। प्रदेश को संक्रमण से बचाने के लिए सरकार सभी संभव कदम उठाएगी। शर्मा का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में देश के साथ-साथ राजस्थान प्रदेश में भी संक्रमितों की संख्या में तेजी से हुए इजाफे का बड़ा कारण लोगों में कोविड अनुशासन के प्रति लापरवाही बरतना है। उन्होंने इस ढिलाई को रोकने के लिए एक बार फिर समाज के सभी वर्गों का सहयोग लेने की आवश्यकता पर बल दिया।

टीकाकरण पर पूरा फोकस

कोविड संक्रमण के नियंत्रण के लिए सरकार सिर्फ उपचार या बचाव पर ही ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि टीकाकरण पर भी पूरा फोकस रखा जा रह है। राजस्थान में नौ अप्रेल तक 84.46 लाख लोगों टीके की पहली खुराक और 11.30 लाख लोगों को टीके की दूसरी खुराक लगाई जा चुकी थी। प्रदेश में एक अप्रेल से 45 वर्ष से 59 वर्ष तक की आयु के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया है और इसके तहत कुल 2.09 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें भी 31 मार्च तक 39.67 लाख लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। यही नहीं केन्द्र सरकार से पर्याप्त संख्या में टीके नहीं आने पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस विषय को सार्वजनिक तौर पर भी उठाया और केन्द्र सरकार पर दबाव भी बनाया, ताकि टीकों की कमी ना रहे और कोरोना प्रबंधन की तरह टीकाकरण में भी सरकार देश भर में अग्रणी रहे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ हुई बैठक में भी टीकों की पर्याप्त आपूर्ति का मामला उठाया और इसे लेकर प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी को टीका लगे, इसके लिए टीकों की पर्याप्त संख्या में आपूर्ति जरूरी है। उन्होंने जनता से भी अपील की कि वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता लाने के लिए सभी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। साथ-साथ लोगों को दूसरी लहर को लेकर भी जागरूक करें, ताकि वे किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतें।

कोरोना की दूसरी लहर से बचाव के लिए सरकार ने उठाए ये कदम

- 16 अप्रेल से 30 अप्रेल तक पूरे राज्य में सायं 6 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू किया गया। साथ ही शनिवार और रविवार को कर्फ्यू रखने का निर्णय लिया गया है।
- बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान सायं 5 बजे तथा राजकीय कार्यालय सायं 4 बजे तक बंद करने के निर्देश दिए गए।
- सभी शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरीज आदि बंद कर दिए गए।
- कक्षा आठ की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई और कक्षा दस व बारह की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। कक्षा एक से नौ और ग्यारह के बच्चों को बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोट किया गया।
- ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक दिशा-निर्देशों तथा कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना के लिए पूर्व में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा गठित ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप को फिर से कार्यशील किया गया।
- राज्य में 31 मई तक विवाह आदि निजी आयोजनों में आमंत्रित अतिथियों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। इसके लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा।
- समारोह स्थल, मैरिज गार्डन आदि में कोरोना गाइडलाइन्स का उल्लंघन पाए जाने पर आयोजन स्थल को 7 दिन के लिए सीज किया जाएगा।
- अंतिम संस्कार के लिए अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।
- धार्मिक स्थलों पर केवल प्रबंधन द्वारा ही नियमित पूजा-अर्चना एवं इबादत की जा सकेगी। ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था जारी रह सकेगी। आमजन द्वारा पूजा-अर्चना, इबादत आदि घर पर ही रहकर की जाए।
- फसल खरीद केन्द्रों एवं कृषि मण्डियों में फसलों का क्रय-विक्रय के दौरान कोविड नियमों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
- रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी रात्रि 8 बजे तक तथा होटल में 'इन हाउस' गेस्ट सर्विस अनुमत होगी।
- सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों की संख्या वाहन की कुल क्षमता से 50 प्रतिशत तक ही रहेगी।
- राज्य के बाहर से आने वाले आगन्तुकों की बॉर्डर चेक पोस्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा।
- 100 से अधिक कार्मिकों की संख्या वाले कार्यालयों में उपस्थिति 50 प्रतिशत रहेगी तथा शेष 50 प्रतिशत कार्मिक वर्क फ्रॉम होम (घर से कार्य) कर सकेंगे।
- कार्यस्थल पर किसी कार्मिक के कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद किया जाएगा।
- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में धार्मिक मेलों, उत्सवों, जुलूस आदि पर रोक।
- गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठजनों, गर्भवती महिलाओं एवं 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी।
- प्रदेश स्तर पर कोरोना स्टेट वॉररूम तथा सभी जिलों में जिला स्तरीय कंट्रोल रूम सहित 181 हेल्पलाइन को चैबीसों घंटे फिर से कार्यशील की गई।
- संक्रमण की पांच प्रतिशत से अधिक पॉजीटिविटी रेट वाले क्षेत्रों में टेस्टिंग बढ़ाई गई।
- हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना के लिए एनसीसी, एनएसएस, स्कॉउट एण्ड गाइडस की वॉलन्टियर के रूप में सेवाएं ली जाएंगी।
- कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर संयुक्त टीमों की कार्रवाई बढ़ाई जाएगी।
- सीमावर्ती जिलों में राज्य के बाहर से आने वाले व्यक्तियों की नेगेटिव आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट के लिए बनाई गई चेकपोस्टों को अधिक सुदृढ़ किया जाएगा।
- संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन में जीरो

मोबिलिटी, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग तथा होम आइसोलेशन की पालना सुनिश्चित की जाएगी।

- कोरोना हॉट-स्पॉट बन रहे क्षेत्रों की पहचान कर इनको नियमानुसार माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा।
- ऐसे क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए स्थानीय स्वायत्त शासन और सार्वजनिक निर्माण सहित अन्य विभागों की मदद ली जाएगी।
- माइक्रो कंटेनमेंट जोन में धारा-144 के तहत शून्य मोबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी।
- सभी नगरीय क्षेत्रों में पांच से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक के साथ-साथ भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में मास्क पहनने और सामाजिक दूरी की पालना कराई जाएगी।
- जिन क्षेत्रों में अधिक केस सामने आते हैं, वहां जिला कलक्टर राज्य सरकार से परामर्श कर शैक्षणिक संस्थान बंद कराने के संबंध में निर्णय ले सकेंगे।
- व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कोरोना प्रोटाकॉल का उल्लंघन होता है तो उल्लंघन करने वाले के साथ-साथ संबंधित प्रतिष्ठान संचालक को भी जिम्मेदार माना जाएगा और ऐसे प्रतिष्ठानों को सीज भी किया जा सकता है।
- जिला प्रशासन, पुलिस एवं स्थानीय निकाय की संयुक्त टीम बाजारों का दौरा कर प्रतिष्ठानों में कोविड प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करें।
- जिन विवाह स्थलों पर निर्धारित सीमा से अधिक लोग समारोह में एकत्रित होते हैं तो उन विवाह स्थलों के संचालक भी जिम्मेदार होंगे। ऐसे विवाह स्थलों को सीज किया जा सकेगा।
- जिला कलक्टरों को निर्देश हैं कि वे कोरोना को लेकर अपने-अपने जिले का एक्शन प्लान बनाएं और पॉजिटिविटी रेट, मृत्यु दर, टेस्टिंग आदि की नियमित समीक्षा करें।
- जिलों में कांटेक्ट ट्रेसिंग, माइक्रो कंटेनमेंट जोन और टेस्टिंग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
- जिला स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्षों को पुनः प्रभावी बनाया जा रहा है।
- इंसीडेंट कमांड सिस्टम को पुनः मजबूत किया जाए।
- 'नो मास्क-नो एंट्री' की सख्ती से पालना हो। टीकाकरण की गति को और बढाया जाए।
- लोग अति-आवश्यक होने पर ही दूसरे राज्यों की यात्रा करें।
- जिला कलक्टरों को निर्देश हैं कि टीकाकरण के निर्धारित लक्ष्यों को जल्द से जल्द प्राप्त किया जाए।
- 25 मार्च से राजस्थान में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर की आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई, जबकि इससे पहले केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश के लिए इसकी अनिवार्यता थी। एयरपोर्ट, बस स्टैण्ड तथा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जांच भी की जा रही है।
- जो यात्री नेगेटिव रिपोर्ट के बिना आ रहे है, उन्हें 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया जा रहा है।
- सभी संस्थानों में मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजिंग की अनिवार्य पालना करनी है। अन्यथा इन्हें सीज किया जा सकेगा।
- मिनी कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था पुनः लागू की गई है। जहां भी पांच से अधिक पॉजिटिव केस सामने आएंगे वहां उस क्लस्टर या अपार्टमेंट को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। बीट कांस्टेबल की निगरानी में कंटेनमेंट की सख्ती से पालना कराई जाएगी।
- विवाह समारोह में 50 एवं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को ही अनुमत किया गया है। विवाह की सूचना संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को ई-मेल से भी दी जा सकेगी। प्रशासन के मांगने पर विवाह समारोह से संबंधित वीडियोग्राफी उपलब्ध करानी होगी।
- ऑक्सीजन प्लांट, टेस्टिंग लैब, क्वारेंटाइन और कन्टेमेन्ट जोन जैसी

सुविधाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं।

- मास्क नहीं पहनने तथा बाजारों एवं अन्य सार्वजनिक जगहों पर भीड़-भाड़ की स्थिति उत्पन्न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
- सैम्पलिंग बढ़ाने तथा संदिग्ध रोगियों को आइसोलेट कर उनका तुरन्त इलाज शुरु करने की योजना बनाई गई है।
- स्वायत्त शासन विभाग और सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को जागरूकता अभियान में फिर से तेजी लाने तथा पुलिस सहित अन्य विभागों के इसमें सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।
- प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, आउटडोर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नये सिरे से जागरूकता अभियान शुरू कर दिया गया है। साथ ही, राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में जिला कलेक्टर के माध्यम से जागरूकता संबंधी पम्पलेट वितरण का काम भी तेजी से चलाया जा रहा है। नगरीय निकाय वाहनों एवं ऑटोरिक्शा के माध्यम से जागरूकता संबंधी नवीन संदेशों का प्रसारण करवाया जा रहा है।

लगभग हर रोज बैठक कर हालात पर नजर रख रहे हैं मुख्यमंत्री

प्रदेश में एक अप्रेल बाद से कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और इसे देखते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत लगभग हर रोज अधिकारियों और चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ बैठकें कर फीडबैक ले रहे हैं। इसका फायदा यह हो रहा है कि स्थितियों को देख कर फैसले किए जा रहे हैं। इससे हालात काफी हद तक नियंत्रण में बने हुए हैं। इन बैठकों के मामले में मुख्यमंत्री की ओर से एक नवाचार यह भी किया गया है कि यह बैठकें सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक लाइव प्रसारित की जा रही है, ताकि लोग खुद देख कर यह समझ सकें कि हालात कितने विकट हैं। उन्हें खुद अपनी जिम्मेदारी का अहसास हो और यह भी पता चल सके कि सरकार कितनी पारदर्शिता के साथ इस मामले में फैसले कर रही है।

तीन अप्रेल को किया 15 दिन के लिए सख्ती का फैसला

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने संक्रमण के मामलों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए तीन अप्रेल को ही अगले 15 दिन के लिए सख्ती बढ़ाने का फैसला कर लिया था। इस दिन बैठक में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोविड-19 की दूसरी लहर से लोगों के जीवन की रक्षा करने के ध्येय की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार संक्रमण को अधिक फैलने से रोकने के लिए हरसंभव कड़े कदम उठाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन के संक्रमण के प्रति लापरवाह हो जाने के कारण ही कोविड-19 की दूसरी लहर तेज गति के साथ आई है। यदि हम सब मास्क पहनने, उचित दूरी और बार-बार हाथ धोने के हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना अनिवार्य रूप से नहीं करेंगे, तो कोरोना वायरस का संक्रमण भयावह रूप ले लेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना के खिलाफ जंग को प्रभावी तरीके से लड़ने के लिए राजस्थानवासियों को राज्य सरकार का सहयोग करना होगा। साथ ही, उन्हें टीकाकरण के लिए भी आगे आना चाहिए। लगभग 2 घण्टे तक चली इस बैठक को फेसबुक, यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया चैनलों पर लाइव प्रसारित किया गया। कोरोना प्रबंधन के लिए भावी रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से आयोजित इस प्रसारण को करीब 2 लाख लोगों ने देखा।

उन्होंने कहा कि इस भयावह स्थिति को विस्फोटक होने से रोकने के लिए राज्य सरकार पूरी सख्ती बरतते हुए लोगों से हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना करवाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को विषय की गंभीरता मालूम हो और वे अपने व्यवहार में बदलाव लाएं, इसलिए बैठक का लाइव प्रसारण किया गया।

बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रशासन, पुलिस तथा स्वायत्त शासन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पूर्व में जारी की गए दिशा-निर्देशों के अनुपालना करते हुए बाजारों में मास्क तथा उचित दूरी के नियम की पालना नहीं होने पर संबंधित दुकान अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठान को 72 घंटे के लिए सील करने की सख्त कार्यवाही करें।

मुख्यमंत्री ने कोविड टीकाकरण की गति को भी बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर प्रदेशवासी को 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण करवाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और एक-दूसरे को इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। टीकाकरण की शुरुआत से ही राजस्थान इस अभियान में देश का अग्रणी राज्य रहा है। चिकित्सा विभाग ने इसके लिए पूरी तैयारी कर रखी है कि टीके के लिए पात्र हर व्यक्ति को कोविड टीका लगाया जाए, ताकि कोरोना का संक्रमण होने पर भी शरीर पर इसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सके।

चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने भी आमजन से अपील की कि वे संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी हैल्थ प्रोटोकॉल की अक्षरशः पालना करें। उन्होंने लोगों को घर से कम से कम बाहर निकलने तथा उन स्थानों की यात्रा करने से बचने का सुझाव दिया, जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या अधिक है। उन्होंने कहा कि यदि आने वाले कुछ दिनों में स्थिति नियंत्रित नहीं हुई, तो वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार को और अधिक कदम उठाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सभी को यह बात समझनी चाहिए कि आंकड़ों की दृष्टि से दूसरी लहर के दौरान माहमारी की तस्वीर अधिक भयावह है।

चिकित्सा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने होटल, रेस्टोरेन्ट तथा बाजारों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अधिक सख्ती करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह अपने आस-पड़ोस में हैल्थ गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाए।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव श्री सिद्धार्थ महाजन ने अपने प्रस्तुतीकरण में बताया कि संक्रमितों की संख्या का सटीक आकलन करने के उद्देश्य से प्रदेश में सैम्पल की संख्या 38 हजार प्रतिदिन तक बढ़ा

दी गई है, जो 15 दिन पहले के मुकाबले दोगुनी है। उन्होंने कहा कि आने वाले एक सप्ताह में रोजाना 45 हजार सैम्पल टेस्ट किए जाएंगे। साथ ही, पूरे प्रदेश में टेस्टिंग की क्षमता 70 हजार से बढ़ाकर 1 लाख प्रतिदिन की जाएगी। उन्होंने बताया कि कोविड टीकाकरण की गति को भी बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश में टीकाकरण के लिए पात्र लगभग एक तिहाई जनसंख्या को टीका लगाया जा चुका है।

5 अप्रेल को आंकड़े बढ़े तो देर रात अचानक बुलाई बैठक

15 दिन के लिए नई और सख्त कोविड गाइडलाइन जारी करने के बाद सोमवार को हालांकि बैठक प्रस्तावित नहीं थी, लेकिन हालात की गम्भीरता को देखते हुए रात दस बजे अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई गई और पूरे प्रदेश के चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ दो घंटे तक हालात की समीक्षा की गई। इस बैठक में जनता को चेताते हुए कहा कि राजस्थान में एक दिन में 2 हजार 429 कोरोना पॉजिटिव केसेज का आना तथा पूरे देश में इस आंकड़े का एक लाख को पार कर जाना अत्यंत चिंताजनक है। प्रदेश में एक ही दिन में संक्रमित रोगियों की संख्या में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी के ये आंकड़े डरावने हैं। इनमें और भी बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने चेताया कि कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार और अधिक कड़े कदम उठा सकती है और सभी लोगों को इसमें सहयोग करना पड़ेगा।

वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों, संबंधित विभागों के उच्च अधिकारियों तथा जिला स्तर के अधिकारियों के साथ लगभग ढाई घंटे तक चली इस बैठक का भी फेसबुक, यूट्यूब सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से लाइव प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान संभागीय आयुक्त, पुलिस कमिश्नर, जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक, सीएमएचओ, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल, जिला अस्पतालों के पीएमओ एवं अन्य अधिकारियों से संवाद किया। इस लाइव प्रसारण से 4 लाख से अधिक लोग जुड़े तथा करीब 30 हजार लोगों ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आमजन से कोरोना संक्रमण की स्थिति के संदर्भ में हैल्पलाइन 181 तथा 0141-2922272 पर सुझाव एवं प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में एक ही दिन में 5.44 लाख लोगों को टीका लगाए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए अभियान में जुटे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं चिकित्सा कर्मियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान की यह बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि एक दिन में वैक्सीनेशन की यह देश के सभी राज्यों में सबसे बड़ी संख्या है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण अभियान की गति में हमें और तेजी लाना है। तभी हम कोरोना के प्रसार को नियंत्रित कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगने के बाद भी मास्क पहनने सहित हैल्थ प्रोटोकॉल के अन्य नियमों की पालना करना भी जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि जल्द से जल्द और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को टीका लगाकर प्रदेश को कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की भयावहता से बचाया जाए। इसके लिए उन्होंने बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों, अन्य कार्मिकों तथा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लाइव प्रसारण देख रहे आमजन विशेषकर युवाओं से अपील की कि वे स्वयं और अपने आस-पास मौजूद 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें।

मुख्यमंत्री ने प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कोरोना गाइड लाइन की पालना करवाने के लिए पूरी सख्ती बरतें। सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने तथा उचित दूरी के नियमों की अवहेलना करने पर जुर्माने के साथ-साथ प्रतिष्ठानों को 72 घण्टे तक सीज करने जैसे कदम उठाने में कोई कोताही नहीं बरती जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमण के मुकाबले की भावना से काम करते हुए हमें सख्ती के साथ-साथ प्यार और समझाइश से जन अभियान की तर्ज पर हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना करवानी है।

मुख्यमंत्री ने राजस्थान के सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज का लाभ देने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का अधिक से अधिक प्रचार कर लोगों को इससे जोड़ने की अपील की। उन्होंने अधिकारियों तथा आमजन से कहा कि वे गांवों एवं शहरों में चल रहे अभियान के दौरान अधिकाधिक परिवारों का मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं। पूरे प्रदेश में 1 मई मजदूर दिवस के दिन से लागू होने वाली योजना में 5 लाख रुपए

तक के निःशुल्क कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी।

चिकित्सा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने कहा कि संक्रमण की मारक क्षमता से बचने के लिए हमें 'सावधानी हटी-दुर्घटना घटी' के मंत्र के अनुरूप पूरी तरह से सतर्क रह कर कोरोना से बचाव की गाइडलाइन का पालन करना और करवाना होगा। उन्होंने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से सैम्पलिंग तथा ट्रीटमेंट के लिए वर्तमान आवश्यकता से 10 गुणा अधिक संसाधन की तैयारी रखें।

गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री अभय कुमार ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना गाइडलाइन की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों में ज्वाइंट एन्फोर्समेंट टीमों का गठन किया गया है, जिन्होंने कई जगहों पर गाइड लाइन का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर जुर्माने अथवा सीज की कार्यवाही की है। अधिक पॉजिटिव केसेज वाले क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन के रूप में चिह्नित किया गया है। इसी तरह से वेक्सीनेशन और कोविड प्रोटोकॉल की पालना की समझाइश के लिए बीएलओ के नेतृत्व में लगभग 3 हजार टीमें बनाई गई हैं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव श्री सिद्धार्थ महाजन ने कोविड संक्रमण और टीकाकरण अभियान की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सैम्पलिंग को बढ़ाकर 50 हजार प्रतिदिन तक कर दिया गया है। राज्य में एक्टिव केसेज की संख्या 15 हजार से अधिक हो गई है। केसेज के दुगुना होने की दर 200 दिन से कम रह गई है। ऐसे में रूथलेस कंटेनमेंट की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि 60 बेड क्षमता वाले अस्पतालों में 25 प्रतिशत बेड कोविड रोगियों के लिए आरक्षित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

6 अप्रेल को प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर एकीकृत एसओपी निर्धारित करने का आग्रह किया

बैठकों के साथ ही मुख्यमंत्री इस विषय पर केन्द्र सरकार से भी लगातार सम्पर्क बनाए हुए हैं। छः अप्रेल को मुख्यमंत्री ने कोविड-19 संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए देश में एकीकृत एवं समग्र प्रयासों की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि केन्द्र सरकार देश में कोविड पर नियंत्रण के लिए एकीकृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित करे और 18 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के सभी लोगों के लिए टीकाकरण प्रारंभ करवाएं। श्री गहलोत ने कहा कि कोविड नियंत्रण को लेकर राज्यों की अलग-अलग रणनीति, अन्तरराज्यीय मुद्दों जैसे (यात्रा के लिए कोविड टेस्ट की अनिवार्यता, लॉकडाउन, रात्रि कर्फ्यू, शिक्षण संस्थाओं के संचालन) आदि विषयों को लेकर राज्यों में आपसी समन्वय की कमी है। जिसके चलते आमजन में भ्रम एवं भय की स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से इस स्थिति को दूर करने का आग्रह करते हुए कहा कि इसके लिए देश में समग्र एवं एकीकृत प्रयासों की महत्ती आवश्यकता है। मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने पत्र में बताया कि बीते एक माह में महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडू, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान सहित देश के लगभग सभी राज्यों में कोविड संक्रमित रोगियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है और रोगियों की संख्या पुनः सितम्बर 2020 की स्थिति में पहुंच चुकी है। इस कारण कोविड नियंत्रण को और अधिक प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से एक बार फिर आग्रह किया है कि इसके लिए 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों का कोविड टीकाकरण प्रारम्भ किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश में 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों का ही कोविड वैक्सीनेशन हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उठाये गए कदमों के कारण राजस्थान कोविड नियंत्रण तथा टीकाकरण में देश के अग्रणी राज्यों में है। कोविड संक्रमण से मानव जीवन की रक्षा के लिए राजस्थान की तरह ही अन्य राज्य भी अपने स्तर पर सभी संभव प्रयासों में जुटे हैं और टीकाकरण सहित सभी संभव प्रयास अपने-अपने तरीके और मानक संचालन प्रक्रिया से कर रहे हैं।

सात अप्रेल को प्रधानमंत्री के साथ वीसी में हुए शामिल

मुख्यमंत्री सात अप्रेल को प्रधानमंत्री के साथ कोरोना के हालात पर हुई वीसी में शामिल हुए और राज्य की स्थिति की जानकारी देते हुए टीकों की पर्याप्त आपूर्ति की बात कही। बैठक के बाद ट्वीट कर उन्होंने कहा कि समय पर इलाज होने से मरीज की जान बच सकती है। राजस्थान समेत देशभर में संक्रमित व्यक्ति लक्षण दिखने के बावजूद देरी से अस्पताल आते हैं जिससे मृत्यु की संख्या बढ़ती है। मैं आमजन से अपील करता हूं कि लक्षण दिखते ही तुरंत अस्पताल जाकर इलाज लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बताया है कि दोनों राज्यों की सीमाओं पर स्थित गांवों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। पहले कोरोना सिर्फ शहरों तक सीमित माना गया था लेकिन अब ग्रामीण इलाकों में भी इसका गंभीर असर दिख रहा है। राजस्थान में अभी गांव सुरक्षित हैं लेकिन वहां की स्थिति से हमें भी सबक लेना चाहिए। हमारा पूरा प्रयास है कि गांवों में कोराना ना पहुंचे। प्रदेश में बेहतर मॉनिटरिंग द्वारा द्वारा राज्य सरकार शहरों में कोरोना पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। आशा है कि आमजन के सहयोग से हम इसमें कामयाब होंगे। विशेषज्ञों की राय है कि कोरोना वैक्सीन लगने का लाभ यह होता है कि वैक्सीनेशन के बाद भी यदि कोरोना हो जाता है तो मरीज की स्थिति गंभीर नहीं होती है एवं मृत्यु की आशंका नहीं के बराबर हो जाती है इसलिए वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है।

8 अप्रेल को कॉंटेक्ट ट्रेसिंग पर दिया जोर

संक्रमण के बढते मामलो को देखते हुए आठ अप्रेल को मुख्यमंत्री ने फिर हालात की समीक्षा की और देश के कई राज्यों के साथ-साथ प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में वृद्धि के चलते निर्देश दिए हैं कि माइक्रो

कंटेनमेन्ट जोन के निर्धारण और एसओपी की कड़ाई से पालना की जाए। उन्होंने कहा कि संक्रमण रोकने के लिए जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने के नियम की पालना में कोई कोताही न हो। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, अलवर और भीलवाड़ा जिले, जहां कि केसेज तेजी से बढ़े हैं, वहां संक्रमण रोकने के लिए जिला कलक्टर माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन सहित सघन कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और अधिक टेस्टिंग के लिए विशेष योजना तैयार कर अमल में लाएं।

उन्होंने प्रदेश में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि स्थिति पर नियंत्रण के लिए प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में धारा 144 के तहत 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने की कड़ाई से पालना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में रहे, इसके लिए जरूरी है कि एसओपी की कड़ाई से पालना हो। उन्होंने कहा कि जिला कलक्टर माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन में ट्रेसिंग, टेस्टिंग और होम आइसोलेशन की प्रभावी पालना कराने के लिए आरएएस अधिकारियों को जिम्मेदारी दें।

बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव श्री सिद्धार्थ महाजन ने कोरोना संक्रमण की स्थिति, एक्टिव केसेज की संख्या तथा संक्रमण रोकने के उपायों पर प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने कहा कि बीते 24 घण्टे में प्रदेश में 3526 पॉजिटिव केस आए हैं। कोरोना का हॉटस्पॉट बन रहे उदयपुर में स्वास्थ्य विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया है।

बैठक में राजस्थान हैल्थ यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. राजा बाबू पंवार, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुधीर भण्डारी, वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. वीरेन्द्र सिंह ने कहा कि यदि लोग कोरोना गाइडलाइन की पालना में कोताही बरतेंगे तो आने वाले दिनों में स्थिति और अधिक खराब हो सकती है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन से जान जाने का खतरा कम जरूर होता है। इसके बावजूद संक्रमण से बचाव के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने, मास्क पहनने के नियम की कड़ाई से पालना करनी होगी और इसे जन अभियान बनाना होगा।

14 अप्रेल को सख्ती से पहले लिया सबको विश्वास में

प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए जब सख्ती की मांग उठने लगी तो मुख्यमंत्री ने पूरी पारदर्शिता रखते हुए एक बार फिर सभी धर्मगुरुओं, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और व्यापारियों आदि को बुलाया और उनसे लम्बी चर्चा के बाद परीक्षाएं स्थगित करने और रात्रिकालीन कर्फ्यू का समय बढ़ाने के बारे में फैसला किया।

इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी से प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। हम लोगों को समझाइश कर और सख्ती करके अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, जिसमें सभी संगठनों, धार्मिक-सामाजिक संस्थाओं, महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों और आम लोगों के सहयोग की सख्त आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन लगभग 6 हजार पॉजिटिव केस आने तथा केवल अप्रेल माह में ही 161 से अधिक मौतों से स्पष्ट है कि संक्रमण का यह दौर भयावह है। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण की पहली लहर के दौरान आमजन स्वास्थ्य गाइडलाइन्स का समुचित पालन कर रहे थे, इसी कारण हम महामारी से बच पाए। इस बार जबकि संक्रमण अधिक तेजी से फैल रहा है, ज्यादा घातक है और कम उम्र के लोगों को भी चपेट में ले रहा है। इसके बावजूद आम लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल की पालना छोड़ दी है, यह गंभीर चिंता का विषय है।

मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिष्ठित जनों से अपील की कि वे अपने प्रभाव में आने वालों से मास्क पहनने, सामाजिक दूरी रखने तथा हाथ धोने सहित कोविड प्रोटोकॉल की हर जगह सख्ती से पालना करवाने में राज्य सरकार का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि सरकार ने पर्याप्त चिकित्सकीय सुविधाओं की व्यवस्था की है, लेकिन आने वाले दिनों में संक्रमण के ज्यादा प्रसार से इन सुविधाओं पर भार बहुत अधिक बढ़ सकता है। इस वैश्विक महामारी से हम सब मिलकर ही मुकाबला कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की गंभीरता के आकलन और प्रबंधन के लिए रणनीति बनाने के उद्देश्य से चिकित्सकों को कोरोना की पहली और दूसरी लहर में संक्रात्मकता, रोग की गंभीरता और मौतों का तुलनात्मक अध्ययन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस बार ग्रामीण क्षेत्र और युवा आबादी भी संक्रमण की शिकार हो रही है। उन्होंने कहा कि इस महामारी से जूझने की बड़ी जिम्मेदारी हम सब को मिल कर निभानी है।

संवाद में विधायक श्री सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, जन प्रतिनिधि श्री डी.के. छंगाणी सहित अन्य सभी सामाजिक संगठनों, व्यापारी संघों, कर्मचारी संगठनों के नेताओं ने महामारी के प्रकोप से बचाव के लिए बीते एक वर्ष के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए निर्णयों की सराहना की। सभी ने एक स्वर में संक्रमण की दूसरी लहर पर नियंत्रण के लिए कठोर कदम उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आम लोगों द्वारा कोविड प्रोटोकॉल की पालना नहीं करने के कारण पैदा हुई गंभीर स्थिति पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार के सभी निर्णयों एवं दिशा-निर्देशों की पालना में उनके संगठन पूरा सहयोग करेंगे। तीन घंटे से अधिक अवधि तक चली इस बैठक को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लाइव प्रसारित किया गया।

इस बैठक में चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने दूसरी लहर में अधिक संक्रात्मकता पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछली लहर के मुकाबले इस बार प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में आधारभूत ढ़ांचे और सुविधाओं की उपलब्धता अधिक है। लेकिन आम जनता द्वारा कोविड अनुशासन की पालना नहीं करने से संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि लोग लापरवाही करते रहेंगे तो सभी चिकित्सकीय इन्तजाम कम पड़ सकते हैं। बैठक में शिक्षा राज्यमंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, चिकित्सा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने भी विचार व्यक्त किए और कहा कि राज्य सरकार संक्रमण के नियंत्रण के लिए सभी संभव उपाय करेगी और उनको धरातल पर लागू करने के लिए सभी का सहयोग अपेक्षित है। बैठक में शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री वैभव गैलरिया ने कॉन्फ्रेंस के दौरान कोरोना संक्रमण की स्थिति और प्रबंधन के उपायों पर प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि राजस्थान में संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 5.01 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत 5.32 प्रतिशत से बेहतर है। इसी प्रकार, प्रदेश में मृत्यु दर (0.78 प्रतिशत) भी, राष्ट्रीय औसत (1.24 प्रतिशत) से कम है। उन्होंने कहा कि चिंताजनक स्थिति यह है कि अप्रेल माह में अब तक 161 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है तथा पिछले कुछ दिनों के दौरान कोरोना रोगियों के लिए अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग 4 गुना तक बढ़ गई है। इस दौरान मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य, पुलिस महानिदेशक श्री एमएल लाठर, प्रमुख शासन सचिव गृह श्री अभय कुमार, प्रमुख सचिव वित्त श्री अखिल अरोरा, स्वायत्त शासन सचिव श्री भवानी सिंह देथा, परिवहन आयुक्त श्री महेन्द्र सोनी, शासन सचिव गृह श्री सुरेश चन्द गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक जनसम्पर्क श्री राजपाल यादव, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राजा बाबू पंवार, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुधीर भण्डारी, वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. वीरेन्द्र सिंह सहित अन्य उच्च अधिकारी भी उपस्थित थे।

कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के लिए राज्य सरकार का महत्त्वपूर्ण निर्णय

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा आयोजित की जाने वाली 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। इसी के साथ राज्य सरकार ने 8वीं बोर्ड के छात्र-छात्राओं को नवीं, कक्षा 9 के छात्र-छात्राओं को दसवीं तथा 11वीं कक्षा के छात्र-छात्राओं को बारहवीं कक्षा में प्रमोट करने का भी फैसला किया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा से चर्चा के बाद इस संबंध में निर्णय किया गया।●

गांधीजी के जीवन मूल्य पूरी दुनिया के लिए प्रेरणादायक

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन मूल्य पूरी दुनिया के लिए प्रेरणादायक हैं। उनका जीवन सिद्धांतों का ऐसा खजाना है जो हर क्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। उनके विचार आज की परिस्थितियों में और अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बापू की शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए गवर्नेंस और सामाजिक कार्यों में भूमिका निभाने के उद्देश्य से प्रदेश में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की स्थापना की जाएगी।

श्री गहलोत 6 अप्रेल को दांडी मार्च के समापन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हनुमानगढ़ जिला कलक्ट्रेट परिसर में गांधीजी की प्रतिमा के अनावरण समारोह तथा गांधीवादी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रतिमा के निर्माण के लिए मूर्तिकार श्री रामकिशन अडिग को साधुवाद दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा पीढ़ी को गांधीजी के जीवन मूल्यों, सिद्धांतों और आदर्शों को अपनाकर समाज और देशहित में रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए प्रदेश में युवा शांति सेना बनाने जैसे नवाचार किए जा सकते हैं ताकि अधिक से अधिक युवाओं को गांधीजी के जीवन दर्शन से जोड़ा जा सके। हमारा प्रयास है कि राजस्थान बापू के विचारों और जीवन दर्शन को आगे बढ़ाने की दिशा में देश का केन्द्र-बिंदु बने।

श्री गहलोत ने कहा कि गांधीजी के जीवन दर्शन को जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में शांति और अहिंसा प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। अब इसे शांति एवं अहिंसा निदेशालय बनाया जा रहा है। जल्द ही राज्य में सर्वोदय विचार परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा। जयपुर के सेंट्रल पार्क में महात्मा गांधी संस्थान और महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम बनाया जाएगा।

स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति धारीवाल ने कहा कि गांधीजी के अहिंसक आंदोलन से प्रेरित होकर विश्व के कई देशों ने आज़ादी हासिल की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गांधीजी की 150वीं जयंती पर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों से युवा पीढ़ी को गांधीजी के जीवन दर्शन और उनकी शिक्षाओं को आत्मसात् करने की प्रेरणा मिलेगी।

कला एवं संस्कृति मंत्री डॉ. बी डी कल्ला ने कहा कि गांधीजी की ऐतिहासिक दांडी यात्रा अहिंसात्मक आंदोलन के माध्यम से लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी गांधीजी के बताए मार्ग पर चलकर समाज को नई दिशा दे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री श्री राजेन्द्र यादव ने कहा कि कुछ घटनाओं का राष्ट्र के लिए ऐतिहासिक महत्त्व होता है। दांडी मार्च भी ऐसी ही घटना है, जिसने अन्याय के विरुद्ध अहिंसात्मक रूप से आवाज उठाने का पथ प्रशस्त किया। गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष एवं प्रमुख गांधीवादी विचारक श्री कुमार प्रशान्त ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब दांडी मार्च पर निकले तो रास्ते में उन्होंने लोगों को सामाजिक विषमता खत्म करने और खादी अपनाने के लिए प्रेरित किया। उनका संदेश था कि व्यक्ति का व्यवहार और कार्य करने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे कोई दूसरा डरे नहीं। उन्होंने कहा कि गांधीजी का मानना था कि एक कमजोर व्यक्ति दूसरों को डराने की कोशिश करता है।

श्री कुमार प्रशान्त ने कहा कि दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों से संवाद कायम करना था। साबरमती आश्रम से रवाना होकर 241 मील की यात्रा पूरी कर गांधीजी दांडी पहुंचे और नमक कानून तोड़ा तो देश की दिशा ही बदल गई। आज हमें युवाओं को दिशा देने की जरूरत है, क्योंकि उनमें ऊर्जा और सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। उन्होंने प्रदेश में संवाद यात्राएं शुरू करने पर जोर दिया और कहा कि इस संवाद से समाज का कोई वर्ग अछूता नहीं रहे।

मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने कहा कि गांधीजी ने समतामूलक समाज की वकालत की। उन्होंने अपने आंदोलनों से सिद्ध किया कि बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान अहिंसात्मक तरीके से किया जा सकता है। शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ के समन्वयक श्री मनीष शर्मा ने बताया कि गांधीजी के 150वें जयंती वर्ष के तहत जिला एवं उपखंड स्तर तक गांधी दर्शन को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। अब ग्राम पंचायत स्तर तक गांधी दर्शन एवं गांधीजी के रचनात्मक कार्यों को पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है।

भर्ती प्रक्रिया में सुधार के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित होगी - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की विभिन्न राजकीय सेवाओं में भर्तियों की प्रक्रिया समय पर पूरा करने के उद्देश्य से उच्च स्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। यह कमेटी भर्तियों को निर्बाध तरीके से राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित कलेण्डर के अनुरूप सम्पन्न कराने पर अनुशंसा देगी। यह समिति एक माह में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी।

श्री गहलोत 6 अप्रेल को मुख्यमंत्री निवास पर राजकीय सेवाओं में भर्ती की स्थिति पर समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। यह कमेटी अलग-अलग विभागों के समान प्रकृति वाले पदों के लिए संयुक्त योग्यता भर्ती परीक्षा (कॉमन इलिजिबिलिटी टेस्ट) आयोजित करवाने के लिए सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन पर अनुशंसा देगी। साथ ही, कुछ पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार की उपयोगिता पर भी सुझाव देगी।

मुख्यमंत्री ने बिजली कम्पनियों में विभिन्न पदों की भर्ती परीक्षाओं के केन्द्र केवल राजस्थान में ही रखने के निर्देश दिए। इससे प्रदेश के अभ्यर्थियों को राज्य से बाहर के परीक्षा केन्द्रों पर जाने से मुक्ति मिलेगी। श्री गहलोत ने न्यायालयों में लम्बित भर्ती परीक्षाओं को जल्द निस्तारित कराने के लिए संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों को निर्देश दिए कि वे राज्य महाधिवक्ता से चर्चा कर विधिक प्रक्रिया पूरी कराएं।

श्री गहलोत ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण में आयु सीमा तथा फीस में छूट सम्बन्धी बजट घोषणा को लागू करने के लिए संबंधित विभागों के सेवा नियमों में संशोधन की प्रक्रिया जल्द ही पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि प्रक्रियाधीन भर्तियों के लिए अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

बैठक में शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पुलिस, कार्मिक, सार्वजनिक निर्माण, प्रशासनिक सुधार, वन, राजस्व, कृषि एवं देवस्थान आदि विभागों में प्रक्रियाधीन तथा आगामी भर्तियों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से कहा कि भर्तियों को समय पर पूरा करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए प्रभावी सिस्टम सुनिश्चित करें।

प्रमुख शासन सचिव कार्मिक श्री हेमन्त गेरा ने प्रस्तुतीकरण में बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में विभिन्न विभागों में 86 हजार 921 पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। 7 हजार 838 अन्य पदों पर परीक्षा परिणाम जारी किए जा चुके हैं तथा 2 हजार 358 पदों पर परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद साक्षात्कार किया जाना शेष है। कुल 3 हजार 13 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा परिणाम घोषित किया जाना शेष है।

बैठक में मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष श्री हरिप्रसाद शर्मा, प्रमुख शासन सचिव गृह श्री अभय कुमार, प्रमुख सचिव वित्त श्री अखिल अरोरा, प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती अपर्णा अरोरा, सचिव पंचायतीराज श्रीमती मंजू राजपाल, शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री सिद्धार्थ महाजन, सचिव आरपीएससी शुभम चौधरी अन्य अधिकारी उपस्थित थे। प्रमुख सचिव प्रशासनिक सुधार श्री अश्विनी भगत प्रमुख शासन सचिव वन एवं पर्यावरण श्रीमती श्रेया गुहा, प्रमुख शासन सचिव राजस्व श्री आनन्द कुमार, प्रमुख सचिव सार्वजनिक निर्माण श्री राजेश यादव, प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा श्री दिनेश कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

158 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि तमाम विपरीत परिस्थितियों एवं चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार ने विकास कार्यों में कमी नहीं आने दी। करीब 2 वर्ष के कार्यकाल में ही सरकार ने जन-घोषणा पत्र की 55 प्रतिशत से अधिक घोषणाओं को धरातल पर उतारा है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के समग्र विकास हो। इस दिशा में वल्लभनगर, सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्रों के लिए 158 करोड़ रुपए की लागत के 178 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है।

श्री गहलोत ने 19 फरवरी को मुख्यमंत्री निवास पर वीसी के माध्यम से 33 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत के 52 विकास कार्यों के लोकार्पण एवं 124 करोड़ रुपए के 126 विकास कार्यों के शिलान्यास समारोह को संबोधित किया।

मुख्यमंत्री ने इन चारों विधानसभा क्षेत्रों के दिवंगत विधायकों मास्टर भंवरलाल मेघवाल, श्री कैलाश त्रिवेदी, श्रीमती किरण माहेश्वरी एवं श्री गजेन्द्र सिंह शक्तावत का स्मरण करते हुए कहा कि हमारी सरकार इन विधायकों द्वारा जनता से किए गए वादों को जरूर पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार विकास से जुड़ी आपकी हर आवश्यकता का पूरा ध्यान रखेगी। मैंने चारों जिलों के प्रभारी मंत्रियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे नियमित दौरा कर जनता की आकांक्षाओं को पूरा करें।

श्री अशोक गहलोत ने कहा कि जब-जब हमारी सरकार रही प्रदेश में शिक्षा, चिकित्सा, सड़क सहित आधारभूत ढांचे को मजबूत करने का काम हुआ है। राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के माध्यम से घर बैठे लोगों को आसानी से सरकारी सेवाएं सुलभ हो रही हैं। आज राजस्थान बेहतर सड़कों तथा विकास के मामले में देश के किसी भी विकसित राज्य से कम नहीं है। बीते करीब 1 साल से कोरोना के संकट का सामना हम प्रदेश की जनता के सहयोग और मजबूत इच्छाशक्ति के साथ कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पूर्व सरकार के समय भीलवाड़ा को चंबल का पानी पहुंचाने की पहल हुई और यहां की पानी की समस्या का स्थायी समाधान हुआ। राजसमंद के लिए बाघेरी का नाका बांध बना। इसी प्रकार हमारी पुरजोर मांग है कि प्रदेश के 13 जिलों की पेयजल समस्या को दूर करने के उद्देश्य से ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ईआरसीपी) को केन्द्र सरकार राष्ट्रीय महत्त्व की परियोजना घोषित करे। इसके लिए प्रदेश के सभी सांसद भी प्रधानमंत्री से आग्रह करें।

श्री गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश में रिफाइनरी जैसी महत्त्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला रखी। पूर्ववर्ती सरकार के समय चार साल तक इस परियोजना पर काम आगे नहीं बढ़ सका। हमारी सरकार आने के बाद इस परियोजना के काम को हमने गति दी है। हमारा प्रयास है कि निर्धारित समय में रिफाइनरी का काम पूरा हो।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने कहा कि श्री गहलोत के नेतृत्व में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। एक संवेदनशील मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने एक विशेष पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से तकनीक का विकास हुआ है उसे देखते हुए युवा पीढ़ी को नए विजन के साथ गवर्नेंस से जोड़ना होगा। उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन पर भी जोर दिया।

नगरीय विकास मंत्री श्री शांति धारीवाल ने कहा कि प्रदेशभर में स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से आधारभूत ढांचे को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। वल्लभनगर, सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्रों के लिए भी विभिन्न परियोजनाओं को

मंजूरी दी गई है। हमारा प्रयास है कि यहां के लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों।

जलदाय मंत्री श्री बीडी कल्ला ने कहा कि जिन कार्यों का आज लोकार्पण एवं शिलान्यास हुआ है, इनमें से कई पेयजल परियोजनाएं हैं। विभाग का पूरा प्रयास रहेगा कि जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है वे समय पर पूरी हों ताकि लोगों को इनका लाभ जल्द से जल्द मिल सके।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने कोविड-19 के साथ-साथ टीकाकरण का भी बेहतर प्रबंधन किया है। पूरे देश में इसकी सराहना हो रही है। टीकाकरण के मामले में भी हम देश में अग्रणी पायदान पर हैं।

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री श्री शाले मोहम्मद ने कहा कि प्रदेश में मदरसों के आधुनिकीकरण की दिशा में प्रभावी काम हो रहा है। इससे बच्चों को गुणवत्तायुक्त तालीम मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम और उन्हें कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ने पर हम आगे बढ़े हैं।

परिवहन मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास से कहा कि डीएमएफटी फंड का स्थानीय विकास कार्यों में उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के सुझावों के आधार पर इस फंड के माध्यम से इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा आदि कार्यों को गति दी जा रही है।

सहकारिता मंत्री श्री उदय लाल आंजना ने कहा कि राजसमन्द जिले में विकास की भरपूर संभावनाएं हैं। हमारी सरकार यहां के औद्योगिक विकास को गति दे रही है। इस क्षेत्र में खनिज संपदा का उपयोग भी विकास कार्यों के लिए कर युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है।

शिक्षा राज्यमंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पहले साल में वित्तीय कुप्रबंधन की गंभीर चुनौती तथा दूसरे साल में कोरोना महामारी जैसे दो संकटों का सफलता से सामना किया है। उन्होंने कहा कि विगत दो वर्षों में स्कूलों के क्रमोन्नयन, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल सहित क्वालिटी एजुकेशन के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है।

उच्च शिक्षा राज्यमंत्री श्री भंवरसिंह भाटी ने कहा कि जनप्रतिनिधि के रूप में मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने सुजानगढ़ क्षेत्र के विकास को नए आयाम दिए। उनका असामयिक निधन अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इस क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रखेगी। चिकित्सा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने विकास कार्यों के लिए संबंधित विधानसभा क्षेत्रों की जनता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की सजगता से प्रदेश में बेहतरीन कोविड प्रबंधन के साथ ही विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है।

तत्कालीन सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त श्री महेन्द्र सोनी ने संचालन करते हुए कहा कि राजसमंद क्षेत्र में 76 करोड़ 75 लाख के 109 कार्यों का शिलान्यास एवं 8 करोड़ 67 लाख रुपए के 4 कार्यों का लोकार्पण, वल्लभनगर में 3 करोड़ 50 लाख रुपए के 8 कार्यों का लोकार्पण एवं 25 लाख रुपए के एक कार्य का शिलान्यास, सुजानगढ़ में 1 करोड़ 75 लाख के तीन कार्यों का शिलान्यास एवं 3 करोड़ 46 लाख के 9 लोकार्पण और सहाड़ा में 45 करोड़ 31 लाख के 13 कार्यों का शिलान्यास तथा 18 करोड़ 24 लाख के 31 कार्यों का लोकार्पण किया गया है। इनमें प्रमुख रूप से पेयजल, चिकित्सा, सड़क निर्माण, शिक्षा एवं ग्रामीण विकास से संबंधित कार्य हैं।

मुख्यमंत्री ने लिया संवेदनशील निर्णय
पंचायती राज के 9000 कनिष्ठ लिपिकों को जल्द मिलेगी पदोन्नति

राज्य सरकार ने प्रदेश की विभिन्न ग्राम पंचायतों में कनिष्ठ लिपिक के पदों पर कार्यरत लगभग 9000 कार्मिकों को पदोन्नति का तोहफा देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसके लिए सम्बन्धित विभाग को वर्ष 2013 में भर्ती हुए कनिष्ठ लिपिकों के संवर्ग के लिए वरिष्ठता निर्धारित करने और पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

श्री गहलोत ने पंचायती राज विभाग अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कनिष्ठ लिपिक संवर्ग में बीते 7 वर्षों से लम्बित पदोन्नति प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। इससे पंचायती राज विभाग में नवसृजित पदों पर नियुक्त हुए लगभग 9000 मंत्रालयिक कार्मिकों को पदोन्नति का अवसर मिल सकेगा और यह पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तीकरण की दिशा में बड़ा कदम होगा।

गौरतलब है कि वर्ष 2013 में नवसृजित पदों पर भर्ती किए गए ग्राम पंचायत के कनिष्ठ लिपिकों के संवर्ग के लिए वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। कर्मचारी संगठन काफी समय से पदोन्नति प्रक्रिया में इस विसंगति को दूर करने की मांग कर रहे थे। अब मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने इन कार्मिकों को पदोन्नति का लाभ देने के लिए संवेदनशील निर्णय लिया है।

नीति आयोग की शासी परिषद की छठी बैठक

'ईआरसीपी को बनायें राष्ट्रीय महत्त्व की परियोजना'

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 20 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की छठी बैठक में राजस्थान की जल आवश्यकताओं को लेकर मजबूती से अपना पक्ष रखा। उन्होंने प्रधानमंत्री को उनका वादा याद दिलाते हुए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को जल्द से जल्द राष्ट्रीय महत्त्व की परियोजना घोषित करने का आग्रह किया।

श्री गहलोत ने प्रधानमंत्री से कहा कि 7 जुलाई, 2018 को जयपुर और 6 अक्टूबर, 2018 को अजमेर में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय महत्त्व की परियोजना घोषित करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई क्रियान्विति नहीं हो सकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 13 जिलों (झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा एवं धौलपुर) को पेयजल एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से अतिमहत्त्वपूर्ण इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द राष्ट्रीय महत्त्व की परियोजना का दर्जा दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से इन 13 जिलों में 2.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। साथ ही, केन्द्र प्रवर्तित योजना जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भी जल स्रोत की आवश्यकता पूरी हो सकेगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने पूर्व में विभिन्न राज्यों की 16 बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं का दर्जा दिया है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का अनुमानित खर्च करीब 40 हजार करोड़ रुपये है, जो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना संभव नहीं है, इसलिए राज्य हित में इस प्रोजेक्ट की महत्ता को देखते हुए केन्द्र सरकार इसमें सहयोग प्रदान करे।

जल जीवन मिशन में मिले 90:10 के तहत सहायता

श्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान में देश का 10 प्रतिशत भू-भाग है, जबकि देश का केवल 1 प्रतिशत पानी यहां उपलब्ध है। राजस्थान रेगिस्तानी एवं मरूस्थलीय क्षेत्र होने के साथ ही यहां सतही एवं भू-जल की भी काफी कमी है। गांव-ढाणियों के बीच दूरी अधिक होने के साथ ही विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहां घर-घर पेयजल उपलब्ध करवाने में लागत अन्य राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा आती है। इसे देखते हुए केन्द्र सरकार उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों की तरह प्रदेश को भी जल जीवन मिशन में 90:10 के तहत सहायता उपलब्ध कराए।

पोटाश के खनन में सहयोग करे केन्द्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्लभ खनिज पोटाश के मामले में हमारा देश पूरी तरह आयात पर निर्भर है। राजस्थान में इस खनिज के अथाह भण्डार मौजूद हैं। हमारा प्रयास है कि इसका समुचित दोहन हो और पूरे देश को इसका लाभ मिले।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार के मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण के माध्यम से इस खनिज के दोहन की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। केन्द्र सरकार इस कार्य में भी आवश्यक सहयोग प्रदान करे।

श्री गहलोत ने कहा कि कोविड-19 महामारी के गंभीर संकट के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के साथ ही रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराना जरूरी है। केन्द्र सरकार इस दिशा में भी सकारात्मक पहल कर राज्य को राहत प्रदान करे। •

मुख्यमंत्री ने बढ़ाया युवा कार्मिकों का हौसला, प्रोबेशन के दौरान मिल सकेगा

पढ़ाई या परीक्षा की तैयारी के लिए अवकाश

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य सेवा में चयनित प्रोबेशनर ट्रेनी कार्मिकों एवं अधिकारियों को प्रोबेशन अवधि के दौरान उच्च अध्ययन अथवा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए असाधारण अवकाश की स्वीकृति देने का संवेदनशील निर्णय लिया है। इसके लिए शीघ्र ही असाधारण अवकाश की स्वीकृति के नियमों में संशोधन किया जाएगा।

श्री गहलोत ने इस संबंध में वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। प्रस्ताव के अनुसार, यदि कोई प्रोबेशनर राजकीय सेवा में नियुक्ति से पहले किसी उच्च अध्ययन कोर्स में अध्ययनरत है, तो उसे कोर्स पूरा करने के लिए असाधारण अवकाश दिया जा सकेगा। इसी प्रकार, प्रोबेशनर को नियुक्ति के बाद आगामी दिनों में होने वाली प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए भी असाधारण अवकाश की स्वीकृति दी जा सकेगी। गौरतलब है कि वर्तमान में राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति के बाद प्रोबेशनर ट्रेनी को उच्च अध्ययन अथवा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए असाधारण अवकाश देय नहीं है, जिसके चलते नवनियुक्त युवा कार्मिक कठिनाई का अनुभव करते रहे हैं और विभिन्न प्रशासनिक विभागों एवं कर्मचारियों द्वारा इस नियम पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता जाहिर की गई है। नए प्रस्ताव के अनुसार, प्रोबेशन के दौरान असाधारण अवकाश स्वीकृत होने पर प्रोबेशनर ट्रेनी की प्रोबेशन अवधि का समय अवकाश अवधि के अनुरूप बढ़ जाएगा और किसी भी उद्देश्य के लिए इसकी गणना नहीं होगी। संशोधित नियमों के जारी होने से पूर्व प्राप्त हुए असाधारण अवकाश के आवेदनों पर भी नए आदेश के अनुसार विचार किया जा सकेगा। इस निर्णय से नवनियुक्त युवा कार्मिकों को राजकीय सेवा में रहते हुए उच्च अध्ययन तथा अन्य उच्च सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का लाभ मिल सकेगा।

अनुकम्पा नियुक्ति के 54 प्रकरणों में शिथिलता, दो वर्ष में दी 3182 अनुकम्पा नियुक्तियां

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सरकारी कार्मिक की मृत्यु के उपरांत आश्रित द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन के 54 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की है। श्री गहलोत के इस संवेदनशील निर्णय से इन परिवारों को सम्बल मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री ने न्यूनतम आयु सीमा एवं विलम्ब अवधि के 39, अधिक आयु सीमा के 4 तथा विलम्ब से आवेदन के 11 प्रकरणों में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए शिथिलता दी है। प्रकरणों में शिथिलता देने से मृतक आश्रित इन परिवारों को राहत मिल सकेगी।

उल्लेखनीय है कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद आश्रित को 90 दिवस में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन करना होता है। साथ ही आश्रित के नाबालिग होने की स्थिति में बालिग होने के 3 वर्ष के भीतर आवेदन करने का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री ने विगत दो वर्ष में अनुकम्पा नियुक्ति के 723 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान करने का मानवीय निर्णय करते हुए आवेदकों को राहत प्रदान की है। मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता के कारण विगत करीब दो वर्ष के समय में 3 हजार 182 मृतक आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति दी गई है।

राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 के प्रारूप को मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है।

उल्लेखनीय है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में अभी स्थाई कैडर पर बहुत कम अधिकारी उपलब्ध हैं। अधिकतर अधिकारी प्रतिनियुक्ति अथवा विशेष सलेक्शन के माध्यम से अन्य सरकारी विभागों से अस्थाई तौर पर रखे गए हैं। इससे विभाग की कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही थी।

नए सेवा नियम बनने से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की जरूरत के अनुसार विशेष कौशल रखने वाला स्थाई कैडर सृजित हो सकेगा। राज्य एवं केन्द्र सरकार के अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति अथवा विशेष सलेक्शन के माध्यम से भी सेवाएं ली जा सकेंगी। विभाग में नए पदों का सृजन होने से युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इसके अलावा विभाग में अधीनस्थ सेवाओं के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर मिल सकेंगे।

220 केवी छतरगढ़ जीएसएस का लोकार्पण

आत्मनिर्भर बनाने के लिए सौर एवं पवन ऊर्जा पर विशेष फोकस : मुख्यमंत्री

ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य सरकार ने राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य सरकार सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को विकसित करने पर विशेष ध्यान दे रही है।

मुख्यमंत्री ने कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बीकानेर के छतरगढ़ में बने 220 केवी का ग्रिड सब स्टेशन के लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान में असीम संभावनाएं हैं। इसमें राजस्थान की स्थापित क्षमता अब 5002 मेगावाट हो गई है जबकि पवन ऊर्जा में भी हमारी स्थापित क्षमता 4337 मेगावाट हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की हर ढाणी में बिजली पहुंचाने की दिशा में कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने दो साल में 1 लाख 81 हजार नए कृषि कनेक्शन जारी किए हैं। इस बार बजट में 50 हजार नये कृषि कनेक्शन दिए जाने की घोषणा की गई है। साथ ही, 50 हजार सोलर पम्प के लिए भी प्रावधान किया गया है ताकि किसान कुओं पर सोलर पम्प लगाकर अपने खेतों में सिंचाई कर सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 1998 में पहली बार वे मुख्यमंत्री बने, तभी से प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना उनकी पहली प्राथमिकता में शुमार रहा और इस दिशा में कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर 2009 में छबड़ा एवं सूरतगढ़ में 660-660 मेगावाट की दो-दो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर यूनिट स्वीकृत की गई। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष से कृषि का बजट अलग से प्रस्तुत करने के साथ ही किसानों के लिए अलग कृषि विद्युत कम्पनी स्थापित करने की घोषणा की गई है ताकि किसानों को बिजली से संबंधित कोई समस्या ना रहे। मीटर से बिल भुगतान करने वाले किसानों को प्रतिमाह 1000 रूपये सब्सिडी देने की घोषणा बजट में की है। इससे उन्हें प्रतिवर्ष 12 हजार रुपये बिजली बिल में सब्सिडी के रूप में मिलेंगे।

किसानों की बिजली दरों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की है। किसान अपनी खाली जमीन पर सोलर पैनल लगाकर उत्पादित बिजली सरकार को बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। उन्होंने किसानों का आह्वान किया कि इस योजना में दी जा रही सब्सिडी का लाभ उठाते हुए अपने खाली पड़े खेतों में सोलर पैनल लगाएं और बची हुई बिजली सरकारी ग्रिड मे डालकर आमदनी बढ़ाएं।

मुख्यमंत्री ने इस बार बजट में की गई सबसे महत्त्वपूर्ण घोषणा 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना' का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रदेश के सभी परिवारों को 5 लाख रुपये तक कैशलेस बीमा की सुविधा दे रही है।

उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों एवं समाज में सरोकार रखने वाले लोगों का आह्वान किया कि वे लोगों को इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाएं ताकि लोग उन योजनाओं का लाभ उठा सकें।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के 5 हजार से आबादी वाले गांवों और कस्बों में अगले 2 साल में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने की घोषणा की है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों का शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और वे शहरी क्षेत्र के बच्चों से प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य

सरकार ने आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को भी एससी, एसटी की तर्ज पर आयु एवं फीस में छूट देने का महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ऊर्जा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने कहा कि प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन की क्षमता 23000 मेगावाट तक पहुंच गई है। राज्य सरकार कृषि कनेक्शनों पर प्रतिवर्ष किसानों को 16 हजार करोड़ रूपये की सब्सिडी दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन की कुल क्षमता का पूरा उपयोग किया जाए तो राजस्थान सौर ऊर्जा का हब बन जाएगा। आने वाले वर्षों में सौर ऊर्जा से 30 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य है।

शिक्षा राज्यमंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने आगामी वित्त वर्ष के लिए विधानसभा में अलग से कृषि बजट पेश करने का दूरदर्शितापूर्ण निर्णय लिया है। इसके अलावा कटे हुए कृषि कनेक्शनों को दोबारा जोड़ने की अवधि 15 से बढ़ाकर 20 साल कर दी है।

उच्च शिक्षा राज्यमंत्री श्री भंवरसिंह भाटी ने कहा कि बीकानेर जिले में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं। बिजली के क्षेत्र में यहां 7 बड़े ग्रिड सब स्टेशनों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। छतरगढ़ में 220 केवी जीएसएस के लोकार्पण हो गया है। इसके अलावा 132 केवी क्षमता के 6 अन्य जीएसएस के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है।

खाजूवाला से विधायक श्री गोविन्द राम मेघवाल ने उनके विधानसभा क्षेत्र के लिए की गई बजट घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री को साधुवाद दिया। उन्होंने कहा कि 220 केवी जीएसएस शुरू होने से खाजूवाला क्षेत्र में किसानों के चेहरों पर खुशी है।•

महिला सशक्तीकरण की दिशा में मुख्यमंत्री का महत्त्वपूर्ण निर्णय

अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस पर धौलपुर की बेटी के अदम्य साहस का सम्मान

पुलिस उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति को दी मंजूरी

अपनी जान की बाजी लगाकर हार्डकोर अपराधी को भगाने की हथियारबंद बदमाशों की गहरी साजिश नाकाम करने वाली धौलपुर की बहादुर बेटी वसुन्धरा चौहान को राज्य सरकार ने पुलिस उप निरीक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति देने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वसुन्धरा के अदम्य साहस एवं शौर्य को सम्मान देते हुए इसकी मंजूरी दे दी है।

इस निर्णय से न केवल महिलाओं के असाधारण साहस का सम्मान होगा बल्कि अन्य लोग भी ऐसी परिस्थितियों में पुलिस को सहयोग करने का जज्बा जुटा पाएंगे।

उल्लेखनीय है कि 3 मार्च को चार पुलिसकर्मियों का चालानी दल उम्रकैद की सजा भुगत रहे अपराधी धर्मेन्द्र उर्फ लुक्का को धौलपुर में पेशी के बाद रोडवेज बस से भरतपुर की सेवर जेल में ले जा रहा था। रास्ते में पांच हथियारबंद बदमाश बस रूकवाकर उसमें सवार हो गए और चालानी गार्डों की आंखों में मिर्च पाउडर फेंक कर उनके हथियार छीनने लगे।

इन बदमाशों में से एक ने देशी कट्टे से फायर कर अन्य यात्रियों को भी भयभीत कर दिया। इसी दौरान बस में सवार वसुन्धरा एवं एक अन्य आरएसी जवान कमर सिंह जान की परवाह किए बगैर अपराधियों से भिड़ गए। वसुन्धरा बदमाशों से गुत्थमगुत्था हो गई और कमर सिंह पर हमला कर रहे दो बदमाशों को उनके हथियारों सहित नीचे गिरा दिया। दोनों का साहस देख बस में सवार अन्य यात्री तथा चालानी गार्ड भी बदमाशों से आमने-सामने हो गए। इससे बदमाशों में हड़कंप मच गया और वे बस से भाग खड़े हुए। बहादुरी के लिए राज्य सरकार आरएसी कांस्टेबल कमर सिंह को हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति तथा वसुन्धरा को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित भी कर चुकी है।

धौलपुर की शिवनगर कॉलोनी निवासी 25 वर्षीय वसुन्धरा ने एनसीसी निदेशालय से 'सी' सर्टिफिकेट पहले ही प्राप्त किया हुआ है और वह क्रिमिनोलॉजी विषय सहित समाज विज्ञान में एमए उत्तीर्ण है। पुलिस अधीनस्थ सेवा नियमों में उप निरीक्षक की सीधी भर्ती के लिए एनसीसी के 'सी' सर्टिफिकेट धारक तथा क्रिमिनोलॉजी में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी को साक्षात्कार में प्राथमिकता देने का प्रावधान है। नियुक्ति के लिए उसे राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 17 (2) (ए) के तहत आयु, शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक दक्षता, मेडिकल फिटनेस एवं चरित्र सत्यापन की अर्हता को पूरा करना होगा।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर बहादुर युवती को पुलिस सेवा में नियुक्ति को मंजूरी देकर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इससे अन्य महिलाओं को भी ऐसी विषम परिस्थितियों में अपराध के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा मिलेगी।•

जयपुर विकास प्राधिकरण की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास

महात्मा ज्योतिबा फुले सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष के प्रेरणास्त्रोत

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा है कि महान् समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन वंचित वर्ग के उत्थान को समर्पित रहा। समाज के दबे-कुचले वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष के प्रति समर्पण के कारण उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। इस युगपुरुष ने नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ-साथ महिला और पुरुष में भेद, जाति-प्रथा, धार्मिक आड़म्बर सहित अन्य कुरीतियों के खिलाफ जनजागरण किया।

श्री गहलोत महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के अवसर पर जयपुर में फुले स्मारक के उद्घाटन सहित जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की 6 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम का जयपुर में विभिन्न स्थानों तथा फेसबुक, यूट्यूब आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सजीव प्रसारण किया गया।

मुख्यमंत्री ने बाइस गोदाम सर्किल पर महात्मा ज्योतिबा फुले के स्मारक का वर्चुअल उद्घाटन एवं आदमकद मूर्ति का अनावरण किया। कार्यक्रम में जयपुर-सीकर रेलवे लाइन पर जाहोता में रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी), जयपुर-सवाईमाधोपुर पर सीतापुरा आरओबी और टोंक रोड पर बम्बाला पुलिया के चौड़ाईकरण कार्य का लोकार्पण किया गया। साथ ही, जयपुर-दिल्ली रेलवे लाइन पर सिविल लाइन्स आरओबी और रामनिवास बाग में भूमिगत पार्किंग के दूसरे फेज के निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी किया गया। इन सभी विकास कार्यों की लागत 309 करोड़ रुपये है।

युवा संगठित होकर विकास में सकारात्मक भागीदारी निभाएं

श्री गहलोत ने कहा कि जेडीए ने महात्मा फुले के स्मारक का निर्माण कर जयपुरवासियों को एक बड़ी सौगात दी है। इससे हम सभी, विशेषकर युवा, महात्मा फुले के संघर्षमय जीवन के बारे जानकर

छुआछूत, महिला-पुरुष असमानता और घूंघट प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा ले सकते हैं। हमारा समाज आज भी सी अनेक कुरीतियों से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि लगभग दो शताब्दी पहले एक युवक समाज की कुप्रथाओं के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत कर सकता है, तो आज के पढ़े-लिखे और सशक्त युवा भी प्रदेश-देश और समाज के विकास में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। युवाओं को विभिन्न संस्थाओं और संगठनों के माध्यम से एकजुट होकर समाज के उत्थान के लिए काम करने चाहिए।

जयपुर मेट्रो तथा रिंग रोड के दूसरे चरण के लिए प्रयासरत

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राजधानी जयपुर शहर सहित अन्य नगरों के विकास को प्राथमिकता में रखकर योजनाएं बनाई हैं। हमने देश तथा दुनिया से आने वाले पर्यटकों की सुविधाओं एवं आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाएं शुरु की हैं। उन्होंने कहा कि जयपुर मेट्रो के प्रथम चरण तथा रिंग रोड के एक हिस्से का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब सरकार मेट्रो के दूसरे चरण तथा रिंग रोड के दूसरे हिस्से की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है।

नगरीय विकास मंत्री श्री शांति धारीवाल ने कहा कि बीते दो वर्षों में राज्य सरकार ने जेडीए के माध्यम से जयपुर शहर में विकास परियोजनाओं पर लगभग 1 हजार करोड़ रुपए खर्च किए हैं। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अधूरे छोड़े गए आरओबी तथा सड़क निर्माण के 7 कार्यों को पूरा करवा रहे हैं। साथ ही, जयपुर शहर के मुख्य चौराहों को ट्रैफिक सिग्नल फ्री बनाने का काम चल रहा है। हमारा यह प्रयास है कि सड़क, पुलिया निर्माण तथा शहरी इलाकों में हरित क्षेत्रों के विकास सहित किसी भी परियोजना को निर्धारित समय पर शुरु एवं पूर्ण किया जाए, ताकि शहरवासियों को उनका समुचित लाभ मिल सके।

परिवहन मंत्री श्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने राज्य सरकार द्वारा जयपुर शहर में पूर्व में किए गए घाट की गूणी सुरंग परियोजना तथा सेन्ट्रल पार्क आदि कार्यों की चर्चा करते हुए इन विकास योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मानसरोवर में विकसित किया जा रहा नया शहरी हरित क्षेत्र और आगरा रोड पर सिल्वर पार्क प्रदेश की राजधानी के विकास में मील के पत्थर बनेंगे। साथ ही, झोटवाड़ा एलिवेटेड रोड तथा सोडाला एलिवेटेड रोड के चालू हो जाने से शहरवासियों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिल पाएगी।

कार्यक्रम में कृषि मंत्री श्री लालचन्द कटारिया, मुख्य सचेतक श्री महेश जोशी, सांसद श्री रामचरण बोहरा और श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जयपुर के विधायकगण, जयपुर ग्रेटर एवं जयपुर हेरिटेज की मेयर, अन्य जनप्रतिनिधियों सहित आमजन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े।

इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास श्री कुंजीलाल मीणा, सचिव स्वायत्त शासन श्री भवानी सिंह देथा, जयपुर विकास आयुक्त श्री गौरव गोयल, जेडीए के सचिव श्री हृदयेश शर्मा, सीईओ जयपुर स्मार्ट सिटी श्री लोकबंधु, अतिरिक्त निदेशक जनसम्पर्क श्री राजपाल यादव सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।●

ट्यूरिस्ट फैसिलिटी सेन्टर का सही उपयोग हो
प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटक सूचना केन्द्र स्थापित किए जाएं-मुख्य सचिव

ट्यूरिस्ट फैसिलिटी सेन्टर में पर्यटकों के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं सहित पर्यटन से संबंधित सभी आवश्यक जानकारियां उपलब्ध करायी जाएं। मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने यह निर्देश नगर निगम हैरिटेज की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिये। उन्होंने चौड़ा रास्ता जयपुर स्थित ट्यूरिस्ट फैसिलिटी सेन्टर के सही उपयोग किये जाने के निर्देश दिये।

बैठक में ने कहा कि प्रमुख पर्यटक स्थलों पर पर्यटक सूचना केन्द्र स्थापित होने चाहिए ताकि आने वाले पर्यटकों को शहर के पर्यटक स्थलों की जानकारी मिलने के साथ वहां पर पहुंचने के मार्ग और साधनों की भी जानकारी प्राप्त हो सके।

मुख्य सचिव श्री आर्य ने स्थानीय किशनपोल बाजार स्थित राजस्थान स्कूल ऑर्ट के हेरिटेज भवन के संबंध में जानकारी लेते हुए कहा कि अगली बैठक में इस हेरिटेज भवन के सही उपयोग की प्लानिंग प्रस्तुत की जाये। मुख्य सचिव ने शहर में नाइट ट्यूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नाइट बाजार के लिए शहर में स्थान चिह्नित करने के निर्देश भी दिये।

श्री आर्य ने हेरिटेज सिटी में चल रहे रेलिंग पर रंग, छोटी एवं बड़ी चौपड़ पर चल रहे सौन्दर्यकरण के कार्यों की जानकारी लेते हुए शहर के बाजारों में अतिक्रमण पर प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश भी दिये।

बैठक में स्थानीय विधायक श्री अमीन कागजी ने परकोटा क्षेत्र में हो रहे नवीन निर्माणों पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि इसके लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाये। उन्होंने परकोटे क्षेत्र में सभी स्थानों पर एक जैसी लाइटें लगाने का सुझाव भी दिया।●

संविधान की मूल भावना को आत्मसात् करें: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि महापुरूषों की जयन्ती मनाते हुए हमें उनके विचारों को अपनाना चाहिए। देश में जैसी परिस्थितियां आज हैं, ऐसे में हमें बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलते हुए समाज में समरसता कायम करने की ज़रूरत है।

श्री गहलोत 14 अप्रेल को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अम्बेडकर जयन्ती पर आयोजित ‘सर्व समाज की भूमिका शांतिपूर्ण प्रदेश के लिए‘ विषयक संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस परिवार में झगड़े होते हैं, वहां सुख-शांति कायम नहीं हो सकती। यही बात हमारे समाज, प्रदेश एवं देश पर भी लागू होती है। आज समाज को विघटित करने वाली भाषा प्रयोग में लाई जा रही है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इससे समाज के विभिन्न वर्गों में वैमनस्य कायम हो रहा है। धर्म निपेक्षता की मूल भावना को भुला दिया गया है। संवैधानिक संस्थाओं पर भारी दबाव है। उन्होंने कहा कि संविधान की मूल भावना को आत्मसात करते हुए हमें अपने व्यवहार एवं भाषा पर संयम रखने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. अम्बेडकर ने बचपन में उनके साथ हुए अन्याय और अपमान पर प्रतिक्रिया नहीं की बल्कि उच्च अध्ययन कर अपने आपको काबिल बनाया और दलित, शोषित एवं पिछड़ों को उनका हक दिलाया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी दक्षिण अफ्रीका में उनके साथ हुए भेद-भाव एवं अपमान का घूंट पीकर ऊंच-नीच दूर करने एवं समाज में समरसता कायम करने में जुट गए। हमारे युवाओं को भी सही राह दिखाने की आवश्यकता है। उन्हें देश के हालात पर चिंतन-मनन करने के लिए प्रेरित करना होगा, ताकि वे इनमें सुधार ला सकें। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में छुआछूत एवं घूंघट प्रथा मानवता पर कलंक हैं।

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री श्री शाले मोहम्मद ने कहा कि आज जाति और धर्म के आधार पर समाज को बांटने के प्रयास किए जा रहे हैं, में गांधीजी और बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर के विचारों को अपनाने की जरूरत है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री श्री राजेन्द्र यादव ने कहा कि बाबा साहेब के विचारों को अपनाते हुए प्रदेश में दलित, शोषित एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण की भावना के साथ कार्य किया जा रहा है।

संगोष्ठी के वक्ता गांधीवादी विचारक डॉ. एन सुब्बाराव ने कहा कि धर्म, जाति एवं क्षेत्र के आधार पर किसी तरह का विभेद नहीं हो और पूरी मानव जाति को एक परिवार की तरह माना जाए, सी शिक्षा हमें

हमारे बच्चों को देने की जरूरत है। उन्होंने अम्बेडकर जयन्ती पर इस कार्यक्रम के माध्यम से सर्व समाज को एक साथ लाने के प्रयास के लिए मुख्यमंत्री को साधुवाद दिया।

गांधीवादी विचारक एवं गांधी पीस फाउण्डेशन के पूर्व उपाध्यक्ष श्री पीवी राजगोपाल ने कहा कि समाज को तोड़ने वाली भाषा के प्रयोग का हमारी भावी पीढ़ी पर गलत असर पड़ेगा। भाषा का संतुलन एवं ज्ञान आधारित सूचना आज समाज के लिए बहुत जरूरी है। हिंसा की तुलना में हमें अहिंसा को उससे भी मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि गांधीजी विरोधी के प्रति भी नफरत की भावना रखने में विश्वास नहीं करते थे।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. देव स्वरूप ने कहा कि बाबा साहेब ने पहली बार दलित एवं शोषित वर्ग में चेतना पैदा की और उन्हें इस बात का अहसास दिलाया कि संसाधनों पर उनका भी बराबरी का हक है। वे मानते थे कि व्यक्ति की पहचान उसकी जाति या धर्म से नहीं बल्कि उसकी काबिलियत के आधार पर होनी चाहिए। वे एक संतुलित एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के पक्षधर थे।

मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने कहा कि रागात्मक एवं भावनात्मक एकता बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर के सिद्धांतों का एक बड़ा पहलू था, जिसकी आज जरूरत है। शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता डॉ समित शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया। शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ के समन्वयक श्री मनीष शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री एवं अन्य अतिथियों ने बाबा साहेब की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर उल्लेखनीय सेवाओं के लिए पुरस्कार वितरित किए गए। वर्ष 2020 का अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार श्री कोदरलाल बुनकर को जबकि 2021 का अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार श्री ए. आर. खान को दिया गया। पुरस्कार के तहत एक लाख रुपए का चैक एवं प्रतीक चिन्ह दिया गया। 50 हजार रुपए का अम्बेडकर सामाजिक न्याय पुरस्कार एडवोकेट श्री महावीर जिन्दल को जबकि 50 हजार रुपए का अम्बेडकर महिला कल्याण पुरस्कार अरमान फाउण्डेशन की डॉ. मेनका भूपेश को दिया गया। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न जिलों से चयनित 17 प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को अम्बेडकर शिक्षा पुरस्कार के तहत 51-51 हजार रुपए की राशि के चैक दिए गए। •

मुख्यमंत्री का संवेदनशील निर्णय : राजस्थान दिवस पर 1200 कैदी रिहा

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहल पर राजस्थान दिवस के अवसर पर प्रदेश की जेलों में लम्बे समय से सजा भुगत रहे करीब 1200 बंदियों को समय से पहले रिहा किया गया। इनमें सदाचार पूर्वक अपनी अधिकांश सजा भुगत चुके अथवा गंभीर बीमारियों से ग्रसित एवं वृद्ध बंदी शामिल हैं।

श्री गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर जेल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि बलात्कार, ऑनर किलिंग, मॉब लिंचिंग, पॉक्सो एक्ट, तेजाब हमले से संबंधित अपराध, आर्म्स एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, एनडीपीएस एक्ट, आबकारी अधिनियम, पीसीपीएनडीटी एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, गौवंश अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम इत्यादि के तहत सजा भुगत रहे बंदियों सहित 28 विभिन्न श्रेणियों के जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को कोई राहत नहीं मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वृद्ध एवं गंभीर बीमारियों से ग्रसित कैदियों को इसलिए रिहा किया जा रहा है, ताकि वे कोविड संक्रमण के खतरे से बच सकें। इस निर्णय से ऐसे बंदी जो कैंसर, एड्स, कुष्ठ एवं अन्य गंभीर रोगों से ग्रसित अथवा दृष्टिहीन हैं और अपने दैनिक क्रियाकलापों के लिए दूसरों पर निर्भर हैं, उन्हें रिहा किया गया। अपराध में दण्डित वृद्ध पुरुष, जिनकी आयु 70 वर्ष तथा महिलाएं जिनकी आयु 65 वर्ष या इससे अधिक है और सजा का एक तिहाई भाग भुगत चुके हैं उन्हें समय पूर्व रिहाई मिली है। महानिदेशक जेल श्री राजीव दासोत ने बताया कि समय पूर्व रिहाई पाने वालों में ऐसे कैदियों की संख्या सबसे अधिक है, जो आजीवन कारावास से दण्डित हैं, 14 वर्ष की सजा भुगत ली है एवं ढाई वर्ष का परिहार प्राप्त कर लिया है। ऐसे बंदियों को वर्तमान में स्थायी पैरोल पर होने की स्थिति में ही रिहा किया गया है। मुख्यमंत्री की इस पहल से इन 1200 रिहा हुए कैदियों के परिवारों को खुशी मिली हैं।

मूक-बधिर विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले इन्टरप्रेटर को मिलेगा दोगुना मानदेय

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजकीय महाविद्यालय, जयपुर में मूक-बधिर विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए अनुवादक व्याख्याकार (इन्टरप्रेटर) के पदों पर नियोजित कार्मिकों का मानदेय दोगुना करने का संवेदनशील निर्णय लिया है। उन्होंने इसके लिए वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

प्रस्ताव के अनुसार, जयपुर स्थित राजकीय महाविद्यालय में मूक-बधिर विद्यार्थियों को पढ़ा रहे तीन अनुवादक व्याख्याकारों को मानदेय राशि 250 रुपये प्रति कालांश से बढ़ाकर 500 रुपये प्रति कालांश की जाएगी। इस निर्णय से इन 3 इन्टरप्रेटर को देय अनुदान पर लगभग 10 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि व्यय होगी।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने राज्य बजट वर्ष 2021-22 में प्रदेश में अनुदानित स्वयंसेवी संस्थानों के माध्यम से संचालित मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह, दृष्टि-बाधित विद्यालयों, विशेष विद्यालयों एवं छात्रावासों में कार्यरत मानदेय कार्मिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जा रही अनुदान राशि दोगुना करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की इस घोषणा में राजकीय महाविद्यालय, जयपुर में कार्यरत अनुवादक व्याख्याकार शामिल नहीं थे। उन्होंने अब इन कार्मिकों का मानदेय बढ़ाने के लिए अतिरिक्त बजट राशि स्वीकृत करने का संवेदनशील निर्णय लिया है।

मिशन इंद्रधनुष:शत-प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में शत प्रतिशत टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार की मंशा है कि कोई भी गर्भवती माता एवं 2 वर्ष से कम आयु के शिशु टीकाकरण से वंचित ना रहें। भीलवाड़ा के न्यू बापू नगर स्थित सामुदायिक भवन परिसर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में सघन मिशन इंद्रधनुष के शुभारंभ के अवसर पर उन्होंने यह बात कही।

24 जिलों में मिशन इंद्रधनुष के इस चरण का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत अगले 15 दिन तक टीकाकरण से वंचित गर्भवती महिलाओं एवं 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को चिह्नित कर टीकाकरण किया जाएगा।

डॉ. शर्मा ने कहा कि कि गर्भवती माता एवं शिशुओं के स्वस्थ जीवन के लिए टीकाकरण आवश्यक है। चिकित्सा विभाग माताओं एवं शिशुओं के स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्ध है। कोरोना काल में टीकाकरण की गति थोड़ी धीमी हुई है किंतु राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर आधारभूत व्यवस्थाएं खड़ी की है जिससे टीकाकरण की गति को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन के मामले में 84 प्रतिशत से अधिक टीकाकरण कर राजस्थान ने देशभर में बेहतर प्रदर्शन किया है।

कार्यक्रम के दौरान चिकित्सा मंत्री ने अपने हाथों से दो बच्चों को दवा पिलाई। इस अवसर पर मिशन से संबंधित दो पोस्टरों का भी विमोचन किया गया।

– डॉ. सत्यनारायण सिंह

> “ इंदिरा गांधी नहर निर्माण से एक नये युग की शुरुआत हुई, कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मिली, पेयजल उपलब्ध हुआ, पश्चिमी राजस्थान हर क्षेत्र में आगे बढ़ा। राजस्थान नहर परियोजना से 28.75 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई, माही बांध से 76 हजार एकड़ भूमि पर सिंचाई, बिजली घर का निर्माण, जंवाई बांध से 45 हजार एकड़ भूमि पर सिंचाई, कोटा बैराज निर्माण से विद्युत उत्पादन व सिंचाई की योजनाएं बनीं। ”

राजपूताना की छोटी-बड़ी 22 रियासतों का विलय कर 30 मार्च, 1949 को राजस्थान का निर्माण हुआ। स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान राजस्थान में अनेक महत्त्वपूर्ण किसान आन्दोलन हुए । बिजोलिया आन्दोलन भारत का प्रथम व्यापक और संगठित किसान आन्दोलन था । इस आंदोलन ने राज्य में ही नहीं पूरे भारत में एक नई चेतना पैदा की । सन् 1921 में बेगूं में किसान आन्दोलन चला। नीमूचना किसान आन्दोलन में सैनिकों ने किसानों पर मशीनगन से अंधाधुंध फायरिंग की जिसमें सैकड़ों किसान घायल हुए और लगभग 800 किसानों की मृत्यु हुई।

महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड को जलियावाला कांड से भी अधिक विभत्स बताया था। अलवर में मेव किसान आन्दोलन व बूंदी में किसान आन्दोलन हुआ जिसमें पुलिस की गोली से नानक भील शहीद हुए। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में भील आन्दोलन में मानगढ़ पहाड़ी पर हजारों आदिवासी भीलों पर सैनिक टुकड़ी ने मशीनगन से फायरिंग की जिसमें करीब 150 भील मारे गये। गोमट भील आन्दोलन, नीमरा गांव व विजयनगर, सिरोही में सैनिकों की अंधाधुंध गोलियों से सैकड़ों भील मारे गये। 1947 को डीडवाना परगना के डाबडा गांव में मारवाड़ किसान सभा के सम्मेलन में जागीरदारों द्वारा किसानों पर आक्रमण में 4 किसान शहीद हुए। मारवाड़ किसान सभा के अध्यक्ष नृसिंह कछवाहा व लोक परिषद के नेता मथुरादास माथुर आदि गंभीर रूप से घायल हुए। अजमेर में रेलवे वर्कशॉप हड़ताल पर आर्मी ने कार्यवाही की, अजमेर में डोगरा कांड हुआ। इन आन्दोलनों में, किसानों पर की जा रही मनमानी समाप्त हुई । लगान की दरें निर्धारित हुई । ठाकुरशाही के स्थान पर बंदोबस्ती व्यवस्था लागू हुई, आरोपित अन्य कर वापस हुए। राजस्थान में प्रजामंडल आन्दोलनों में मेवाड़, बागड़, मारवाड़, जयपुर, भरतपुर आदि में अनेक बड़े आन्दोलन हुए।

राजस्थान में भूमि सुधार के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। राज्य में जिस तरह भूमि सुधार कार्यक्रम हुए वैसा देश में ही नहीं विदेश में भी कहीं नहीं हुए। एक ही रात में जागीरदारी प्रथा समाप्त कर जमीन बोने वाले व्यक्ति को, खातेदारी अधिकार निःशुल्क देकर जमीन का पूर्णतया मालिक बना दिया गया।

लोक सत्ता का विकेन्द्रीकरण के तहत पंचायतीराज की स्थापना हुई, ऊर्जा उत्पादन, सिंचाई, सड़क निर्माण, खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हुई। शिक्षा, रोजगार, गरीबी उन्मूलन, पेयजल, चिकित्सा सुविधाओं में निर्णायक वृद्धि हुई । सरकारी सेवाएं बढ़ी है। कार्य निष्पादन में आवश्यक परिवर्तन हुए हैं। आवागमन के लिए तेज यातायात के साधन उपलब्ध हुए हैं।

सबसे बड़ी बात यह हुई कि सामंतशाही से छुटकारा मिला, लोकशाही की स्थापना हुई । लोकतंत्र मजबूत हुआ है। अभिव्यक्ति के अधिकार का प्रसार हुआ है। मानवाधिकारों के हनन पर रोक लगी है। आर्थिक असमानता है परन्तु खाई कम हुई है। मध्यमवर्गीय लोगों की संख्या बढ़ी है। सरकारी योजनाओं के जरिये गांवों में समृद्धि बढ़ी है। गांवों के जिन लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान नसीब नहीं था उनको अब यह उपलब्ध होने लगा है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। पंचायतीराज संस्थाएं व सहकारिता आन्दोलन मजबूत हुआ है।

इंदिरा गांधी नहर निर्माण से एक नये युग की शुरुआत हुई, कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मिली, पेयजल उपलब्ध हुआ, पश्चिमी राजस्थान हर क्षेत्र में आगे बढ़ा। राजस्थान नहर परियोजना से 28.75 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई, माही बांध से 76 हजार एकड़ भूमि पर सिंचाई, बिजली घर का निर्माण, जंवाई बांध से 45 हजार एकड़ भूमि पर सिंचाई, कोटा बैराज निर्माण से विद्युत उत्पादन व सिंचाई की योजनाएं बनीं। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में खाद्यान्न, कपास, मूंगफली, पशु चारा क्षेत्र का विकास हुआ है, वहां पानी की उपलब्धता है। कृषि क्षेत्र में मैथी, धनिया, जीरा, ग्वार, माल्टा आदि के निर्यात की पर्याप्त संभावना बन गई है।

मील का पत्थर साबित होगी नई महिला नीति

– पूनम मेहता

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध भाव से काम कर रही है। उन्हें हर क्षेत्र में समान दर्जा दिलाने के लिए हमारी सरकार विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ-साथ महिला शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। नई राज्य महिला नीति-2021 इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

श्री गहलोत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वीं जयन्ती वर्ष तथा स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के तहत आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की शृंखला में 11 अप्रेल को कस्तूरबा जयन्ती के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 'गांधी दर्शन एवं महिला सशक्तीकरण' विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कस्तूरबा महिला सशक्तीकरण की अनूठी मिसाल थीं। उनके जन्म दिवस पर राज्य सरकार द्वारा जारी महिला नीति से प्रदेश की करोड़ों महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि एक शिक्षित महिला पूरे परिवार की तरक्की का आधार होती है।

गांव-ढाणी तक महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमने इस बजट में घोषणा की है कि जिस स्कूल की उच्च माध्यमिक कक्षाओं में 500 से अधिक छात्राएं होंगी, वहां महिला महाविद्यालय खोला जाएगा। इसके साथ ही विगत दो वर्षों में कई महिला महाविद्यालय खोले गए हैं।

श्री गहलोत ने कहा कि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने पर

भी हमारा फोकस है। सरकार के साथ-साथ समाज को भी इस दिशा में आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि हमने महिला स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से निःशुल्क सेनेटरी नेपकिन वितरण कार्यक्रम की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित महिलाएं और स्वयंसेवी संस्थाएं महिलाओं को सेनेटरी नेपकिन के उपयोग के प्रति जागरूक करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद हमारे महान् संविधान निर्माताओं ने महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने के लिए संविधान के माध्यम से मतदान का अधिकार दिया। बाद में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संविधान संशोधन के माध्यम से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित की। इससे महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया और आज वे आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से सशक्त हुई हैं।

श्री गहलोत ने कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए घूंघट प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करना जरूरी है। राजस्थान में हमारी सरकार ने इस बुराई को समाप्त करने के लिए अभियान चलाया है। उन्होंने अपील की कि स्वयंसेवी संस्थाएं, सोशल एक्टिविस्ट एवं प्रबुद्धजन इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाएं।

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में प्रदेश में महिला सशक्तीकरण की दिशा में अभूतपूर्व काम हो रहा है। इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना, निःशुल्क सेनेटरी नेपकिन वितरण जैसी योजनाएं महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में बड़े कदम हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में लिंगानुपात बेहतर करने के लिए प्रयासरत है। राज्य की पहली महिला नीति भी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के पहले कार्यकाल में जारी की गई थी और अब नई नीति जारी की गई है। इसमें महिलाओं के उत्थान के लिए कई अहम प्रावधान किए गए हैं।

गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद के पूर्व वाइस चांसलर तथा गांधीवादी विचारक प्रो. सुदर्शन अयंगर ने कहा कि कस्तूरबा चारित्रिक दृढ़ता के मामले में कहीं भी बापू से पीछे नहीं रहीं। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए राष्ट्रीय आंदोलनों में भागीदारी निभाई। पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्वों के निर्वहन का जो उदाहरण उन्होंने पेश किया वह हम सबके लिए प्रेरणादायी है।

इंदिरा महिला शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती आशा बोथरा ने कहा कि कस्तूरबा सह अस्तित्व और सशक्तीकरण की प्रतीक हैं। देश की आजादी और सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में उनके योगदान से अन्य महिलाएं भी प्रेरित हुईं।

नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित बाड़मेर की हस्तशिल्प कलाकार श्रीमती रूमा देवी ने कहा कि गांधी जी स्वरोजगार को बढ़ावा देना चाहते थे। वे महिला और पुरुष समानता के पक्षधर थे। उनके सपनों को साकार करने की दिशा में महिलाओं को अधिक से अधिक स्वरोजगार से जुड़ना चाहिए।

प्रमुख शासन सचिव महिला एवं बाल विकास श्रीमती श्रेया गुहा ने स्वागत उद्बोधन देते हुए नई राज्य महिला नीति के बारे में जानकारी दी। शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ के संयोजक श्री मनीष शर्मा ने गांधीवादी चिंतन एवं दर्शन को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए प्रकोष्ठ द्वारा की जा रही गतिविधियों की जानकारी देते हुए आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर महिला अधिकारिता आयुक्त श्रीमती रश्मि गुप्ता, सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में जिला एवं उपखण्ड स्तर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वीं जयन्ती वर्ष समारोह के तहत गठित जिला स्तरीय एवं उपखण्ड स्तरीय समिति के संयोजक एवं सह-संयोजक, गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता, महिला संगठन, महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य, जिला स्तरीय निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि यथा नगर निगम, नगर परिषद् की महिला मेयर/चेयरपर्सन, निर्वाचित महिला पार्षद, जिला परिषद की महिला प्रमुख, महिला सरपंच एवं वार्ड पंच सहित करीब 2 हजार प्रतिभागियों ने भाग लिया।

राजस्थान राज्य महिला नीति 2021

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा कस्तूरबा जयंती पर राज्य महिला नीति 2021 जारी की गई। राज्य की प्रथम महिला नीति वर्ष 2000 में लागू की गई थी।

मुख्यमंत्री ने कहा की आजादी के बाद हमारे महान संविधान निर्माताओं ने महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने के लिए संविधान के माध्यम से मतदान का अधिकार दिया। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री राजीव गांधी ने संविधान के 73वें और 74वें संषोधन द्वारा स्थानीय स्तर पर सत्ता में महिलाओं की निर्णायक भूमिका सुनिश्चित कर समूचे विश्व के समक्ष एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया था। राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध भाव से काम कर रही है। नई महिला नीति 2021 इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

राजस्थान के गौरवशाली इतिहास में महिलाओं की अहम भूमिका रही है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिलाएं सभी क्षेत्रों में त्वरित गति से अग्रसर हो रही हैं। देश के चहुंमुखी विकास में महिलाओं की महत्ती भूमिका है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य के अन्य विभागों के समन्वय एवं यू.एन.एफ.पी.ए. के सहयोग से तैयार की गई महिला नीति 2021 इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है। पिछले दो दशकों में सभी क्षेत्रों में महिलाओं की बदलती स्थिति और भूमिका के साथ सतत् विकास के लक्ष्य - 2030 को देखते हुए यह नवीन नीति बनाई गई है। गाँव-ढाणी तक महिला शिक्षा को बढावा देने के लिए जिस स्कूल की उच्च माध्यमिक कक्षाओं में 500 से अधिक छात्राएं होंगी, वहां महिला महाविद्यालय खोला जाएगा। महिला स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से निशुल्क सेनेटरी नेपकिन वितरण कार्यक्रम की घोशणा की गई है।

राज्य महिला नीति 2021 के कुछ प्रमुख बिन्दु

महिला नीति एवं बालिका नीति को एकीकृत किया गया है। महिलाओं से संबंधित विभिन्न नवीन अधिनियमों और विविध प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भी समन्वित कार्ययोजना बनाने पर बल दिया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं की हेल्पलाईन एवं काउंसिलिंग के क्षेत्र में पहली बार 2013 में जयपुर में अपराजिता - वन स्टॉप सेन्टर की स्थापना की गई। कालांतर में भारत सरकार द्वारा भी निर्भया फण्ड से इसे सखी - वन स्टॉप सेन्टर के रूप में समस्त राज्यों के सभी जिलों में लागू करने की योजना बनाई गई। वर्तमान में राज्य के सभी 33 जिलों में ये केन्द्र शुरू कर दिए गए हैं। इन केन्द्रों में एक छत के नीचे परामर्श, कानूनी सहायता, पुलिस सहायता और हिंसा से पीड़ित महिलाओं को आश्रय दिया जाता है।

राज्य महिला नीति 2021 के उद्देश्य

महिलाओं और बालिकाओं की स्वायत्तता, गरिमा और मानव अधिकारों को सुनिश्चित करना।

महिलाओं और बालिकाओं की स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा को बढ़ावा देना।

राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए सामाजिक सुरक्षा अवसर एवं सुविधाओं तक उनकी पहुँच बनाना।

सभी शासन–संस्थाओं को जेंडर–संवेदनशील बनाना

अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत महिलाओं के कार्यबल में भागीदारी को बढ़ावा देना और उनके लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों, कौशल विकास, वित्तीय - साक्षरता, पारिश्रमिक समानता, कार्य स्थल पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करना।

महिलाओं और बालिकाओं के विरूद्ध सभी प्रकार की हिंसा और भेदभाव को रोकने हेतु कानूनी प्रणालियों तथा संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ बनाना।

महिला नीति 2021 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों, पंचायती राज संस्थानों, नागरिक एवं सामाजिक संगठनों, सरकार के सांविधिक निकायों और अन्य हितधारकों के साथ अन्त: एवं अन्तर विभागीय समन्वय।

राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 के अंतर्गत महिलाओं और बालिकाओं के समग्र विकास हेतु 6 मुख्य क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं। प्रत्येक मुख्य क्षेत्र हेतु एक उद्देश्य निर्धारित किया गया है।

1. जन्म, अस्तित्व, स्वास्थ्य और पोषण

बालिकाओं की जीविता को सुनिश्चित करना, बालिकाओं और महिलाओं की गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना तथा उनकी खुशहाली को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक वातावरण बनाना।

क्रियान्वयन बिन्दु

मीडिया के द्वारा पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम एवं जन्म पंजीकरण से सम्बन्धित जागरूकता बढ़ाना। परिवार नियोजन एवं विशेष रूप से अंतराल साधनों पर जागरूकता और पहुँच बढ़ाना। किशोरियों और महिलाओं की माहवारी स्वास्थ्य तथा स्वच्छता संबंधित जानकारी एवं सेवाओं तक पहुँच बढ़ाना।

विशेष फोकस समूह एवं विशेषत: विवाहित बालिका, महिला यौनकर्मी, घुमन्तु जनजाति एवं बेघर बालिकाओं एवं महिलाओं के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य हेतु सभी बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देते हुए कार्य करना।

सार्वजनिक स्थलों में महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए सुरक्षित, स्वच्छ एवं क्रियाशील शौचालय एवं माहवारी स्वास्थ्य और स्वच्छता का प्रबंधन करना।

सार्वजनिक स्थलों, निजी संस्थानों, महिला जेलों, महिला एवं

बालिका आश्रय घरों इत्यादि में सुरक्षित एवं स्वच्छ जल की पहुंच बनाना।

विद्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, पंचायत एवं सामुदायिक भवनों आदि पर पोषक वाटिका (न्यूट्री गार्डन/किचन गार्डन) पर बल देना, इनके लिए विभिन्न ग्रामीण-शहरी योजनाओं के सामन्जस्य से क्रियान्वयन की व्यवस्था करना, जन सामान्य को घरों पर पोषक वाटिका के विकास के लिए प्रेरित करना।

समेकित बाल विकास सेवाओं द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से दिए जाने वाले पूरक पोषाहार एवं स्कूल शिक्षा में मिड-डे मील के अंतर्गत दिए जाने वाले भोजन में प्राकृतिक एवं क्षेत्रीय रूप से उत्पन्न होने वाली पोषक खाद्य-सामग्री पर बल देना और इनकी आपूर्ति में स्वादानुरूपता एवं पोषकता का ध्यान रखना।

2. बालिकाओं और महिलाओं के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण

अनुकूल एवं सुरक्षित वातावरण में महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं प्रशिक्षण के समान अवसर प्रदान करना।

क्रियान्वयन बिन्दु

बाल्यावस्था एवं स्कूली शिक्षा में बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि एवं ड्रॉप आउट दर में कमी लाना।

आंगनवाडी केन्द्र संस्थाओं को प्राथमिक स्कूलों के साथ जोड़ना।

शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई) अधिनियम 2009 एवं संशोधन 2019 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना।

बालिकाओं के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षा की सुनिश्चिता।

बालिकाओं, महिलाओं एवं विशेष फोकस समूह को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति, बैंक ऋण, हॉस्टल और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना।

कैरियर काउंसिलिंग सुनिश्चित करना।

बालिकाओं एवं महिलाओं तथा विशेष फोकस समूह के लिए जीवन-कौशल, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य, वित्तीय साक्षरता, कानूनी जागरूकता और आत्मरक्षा प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।

शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रीय कैडट कोर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।

विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की और विशेष फोकस कर बालिकाओं तथा महिलाओं के खेल के लिए समान अवसर एवं सुविधाएं जैसे कोचिंग, खेल उपकरण, चिकित्सा सहायता, पोषक आहार, वित्तीय सहायता आदि प्रदान करना।

समाज परिवार, ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्तर के कार्यकर्ता एवं विशेषकर किशोरों और पुरुषों को संवेदनशील एवं जागरूक बनाना।

शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में बालिकाओं, महिलाओं एवं वर्णित विशेष फोकस समूह के लिए अनुकूल एवं सुरक्षित वातावरण हेतु शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।

शैक्षणिक संस्थानों में नियमित रूप से जेंडर अंकेक्षण (ऑडिट) करना।

3. आर्थिक सशक्तीकरण

महिलाओं एवं बालिकाओं की सम्भावित क्षमताओं को पूर्णत: अर्जित करने और कार्यबल में उनकी सहभागिता को बढ़ाने हेतु एक अनुकूल वातावरण का निर्माण करना तथा कौशल विकास, रोजगार एवं उद्यमिता के समान अवसर तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना। साथ ही किफायती, सुरक्षित और अनुकूल आवास तक उनकी पहुंच बनाना और उत्पादक संपत्तियों पर उनका स्वामित्व बढ़ाना।

क्रियान्वयन बिन्दु

जिला, उपखण्ड, ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्तर पर महिलाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार एवं उद्यमिता से संबंधित कौशल विकास को बढ़ावा देना।

राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम (आर.एस.एल.डी.सी.) आदि के माध्यम से विशेष कौशल विकास केन्द्र बनाना। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को व्यवसाय स्थापना, संवहन तथा विस्तार में सहयोग हेतु ग्रामीण महिला प्रबन्धकों (मिनी एम.बी.ए., व्यापार सखी आदि) का एक कैडर तैयार करना। प्रवासी श्रमिकों, गृह आधारित एवं अन्य महिला श्रमिकों के लिए जिला, उपखण्ड, ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्तर इत्यादि पर मांग आधारित कौशल विकास को बढ़ावा देना। महिलाओं एवं विशेष फोकस समूह की महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए उनमें क्षमता निर्माण एवं क्षमतावर्धन को बढ़ाना। शहरी और ग्रामीण महिलाओं के लिए संस्थागत ऋण सुविधाओं का विस्तार करना। घरेलू कामगारों और अन्य गृह-आधारित श्रमिकों के लिए उचित पारिश्रमिक और सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराने के लिए दिशा निर्देश। महिलाओं के घरेलू कार्य को आर्थिक रूप से अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानते हुए समाज और विशेष रूप से पुरुषों को संवेदनशील एवं जागरूक बनाना। महिला श्रमिकों और प्रवासी श्रमिकों के लिए सुरक्षा तंत्र तथा सेवाएँ प्रदान करने के लिए श्रम कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन करना। सभी क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं के लिए समान कार्य-समान पारिश्रमिक सुनिश्चित करना।

4. राजनीतिक और सामाजिक सशक्तीकरण

योजना निर्माण और शासन संचालन में जेंडर दृष्टिकोण को सम्मिलित करने हेतु निर्णय निर्माण प्रक्रिया, प्रतिनिधित्व तथा नेतृत्व में महिलाओं को सम्मिलित करना एवं जेंडर संवेदनशील संस्थागत ढांचे को बढ़ावा देना।

क्रियान्वयन बिन्दु

विधायी निकायों और न्यायपालिका में सभी समुदायों की महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना।

विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि अर्जित करने वाली महिलाओं को रोल मॉडल के रूप में पुरस्कृत करना।

महिला प्रधान ग्राम पंचायतों एवं शहरी वार्ड और राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यो के लिए विशेष पुरस्कारों का प्रबंधन।

कैरियर परामर्श, कोचिंग और छात्रवृत्ति के माध्यम से सिविल सेवाओं, न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन एजेंसी (Law Enforcement Agency) में महिलाओं एवं विशेष फोकस समूह की भागीदारी बढ़ाना।

शिक्षा, ऋण आदि के प्रपत्रों का पुनरवलोकन करते हुए एकल महिलाओं को प्रपत्र संबंधित आने वाली चुनौतियों को दूर करना।

महिलाओं के लिए आधारकार्ड, राशनकार्ड, बीमा उत्पाद, पेंशन, सब्सिडी तथा अन्य रियायतों की पहुँच बढ़ाना एवं उनके लिए मौजूदा सामाजिक व्यवस्थाओं एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना।

5. सुरक्षा संरक्षण और बचाव

बालिकाओं एवं महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को समाप्त करने एवं उनके लिए सुरक्षित, संरक्षित तथा सक्षम वातावरण बनाने हेतु हिंसा की रोकथाम करना, हिंसा से प्रभावित महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए पुनर्वास सेवाओं को सुदृढ़ बनाना एवं संबंधित कानूनों और योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

क्रियान्वयन बिन्दु

महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कानून तथा सेवाओं के बारे में समाज को जागरूक बनाना।

महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा और हानिकारक प्रथाओं पर पुरुषों एवं लड़कों को संवेदनशील बनाना।

महिलाओं, बालिकाओं और विशेष फोकस समूह के लिए स्कूल, कॉलेज एवं अन्य माध्यमों द्वारा आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।

आवासीय बस्तियों, स्कूलों एवं कॉलेजों के पास शराब और अन्य हानिकारक पदार्थो की बिक्री को नियन्त्रित करना।

विशेष फोकस समूह एवं बुजुर्ग महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को बढावा देना।

बाल विवाह, दहेज प्रथा, डायन प्रताड़ना और जेंडर आधारित लिंग चयन जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगाने हेतु रणनीतिक कार्य योजना का विकास।

साइबर अपराध से निपटने हेतु संस्थागत तंत्र को मजबूत करना।

एसिड हमलों को रोकने एवं शराब और एसिड बिक्री का नियंत्रित करने के लिए रणनीतिक उपाय विकसित करना।

महिला पुलिस बल बढ़ाना और सभी जिलों में महिला थानों को मजबूत करना।

बालिकाओं, महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जेंडर बजटिंग और ऑडिटिंग का समाकलन करना।

सभी संस्थानों को मनो-सामाजिक, स्वास्थ्य एवं कानूनी परामर्श सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित परामर्शदाताओं का एक कैडर विकसित करते हुए परामर्श सेवाओं का सुदृढ़ बनाना।

जिला और खंड स्तर पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए एक छत के नीचे मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक और कानूनी परामर्श सेवाएं एवं अस्थायी आश्रय हेतु एकल खिड़की आपात केंद्रों को बढ़ावा देना।

मानव तस्करी से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं के संरक्षण तथा पुनर्वास के लिए रणनीति तैयार करना।

बलात्कार और एसिड हमले से पीड़ित महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए चिकित्सा सहायता योजना/कार्यक्रम को बढ़ावा देना।

महिला कैदी, अभियुक्त एवं अपराधी महिलाओं और बालिकाओं हेतु मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक तथा कानूनी परामर्श सेवाएं, जेंडर अनुकूल कारागार, मुआवजा एवं सुरक्षा को बढावा देना।

महिलाओं और बालिकाओं को मुफ्त कानूनी सहायता, उन्हे पैरा-लीगल स्वयंसेवकों के रूप में सम्मिलित होने हेतु बढ़ावा देना।

महिलाओं के खिलाफ मामलों में तेजी से निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों को सुदृढ़ करना।

संवैधानिक और न्यायिक ढांचे के भीतर महिलाओं के खिलाफ मामलों के निवारण हेतु मौजूदा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना।

हानिकारक प्रथा एवं हिंसा से पीड़ित बालिकाओं और महिलाओं के तथा उनके केस में गवाहों के संरक्षण हेतु प्रोटोकॉल एवं दिशा-निर्देश तैयार/पुनरवलोकन करना।

6. पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदाएँ

आपदा जोखिम में कमी लाने एवं जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन में जेंडर संवेदनशील रणनीतियों को बढ़ावा देना और विकास के लिए पर्यावरण तथा जैव विविधता संरक्षण में महिलाओं की भूमिका को सुदृढ़ करना।

क्रियान्वयन बिन्दु

पर्यावरण नीति नियोजन में महिलाओं के पर्यावरण संबंधित

परम्परागत ज्ञान को सम्मिलित करना।

नवीकरणीय ऊर्जा विकल्प जैसे सौर ऊर्जा, बायोगैस, मिनी-ग्रिड सोल्यूशन आदि पर महिलाओं, विशेष फोकस समूल एवं उनके स्वयं सहायता समूहों का क्षमतावर्धन।

आपदा के दौरान रोकथाम, बचाव और प्रबंधन कार्य में महिलाओं, बालिकाओं तथा विशेष फोकस समूह क जरूरतों का ध्यान रखना एवं आपदा के कारण उन पर बढ़ने वाले भेदभाव एवं हिंसा को रोकने हेतु सेवाएँ।

वार्षिक समीक्षा

राज्य स्तर पर, मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्षता में राजस्थान राज्य महिला नीति, 2021 के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति वार्षिक आधार पर राजस्थान राज्य महिला नीति, 2021 के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी।

राजस्थान राज्य महिला नीति, 2021 के क्रियान्वयन हेतु निदेशालय महिला अधिकारिता (जेंडर प्रकोष्ठ) नोडल एजेन्सी होगी। राज्य स्तर पर की गई वार्षिक समीक्षा और समन्वय बैठक के कार्यवाही विवरण मुख्यमंत्री, राजस्थान को अवलोकन हेतु प्रेषित किए जायेंगे।

अर्धवार्षिक समीक्षा हेतु राज्य टास्क फोर्स का गठन एवं समन्वय बैठक राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु राज्य स्तर पर एक राज्य टास्क फोर्स का संगठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया जाएगा।

जिलास्तरीय समीक्षा समन्वय बैठक

जिला टास्क फोर्स की होने वाली नियमित बैठकों में जिला कलेक्टर द्वारा राजस्थान राज्य महिला नीति 2021के अनुरूप समस्त विभागों द्वारा जिला स्तर पर नीति के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

एकीकृत ऑनलाइन मॉनीटरिंग प्लेटफॉर्म

इस नीति के प्रत्येक बिन्दु पर प्रगति को अंकित करने के लिए 'एकीकृत ऑनलाइन मॉनीटरिंग प्लेटफार्म निर्मित होगा। एकीकृत ऑनलाइन मॉनीटरिंग कार्य महिला अधिकारिता (जेंडर सैल) द्वारा संपादित किया जाएगा।

गुरु तेग बहादुर ने दिया प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश -मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान केवल धर्म पालन के लिए ही नहीं अपितु समस्त मानवीय सांस्कृतिक विरासत की खातिर बलिदान था। उन्होंने कहा कि दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा साहिब आज भी हमें याद दिलाता है कि चाहे अधर्म कितना भी बढ़ जाए, सत्ता अपने आप को कितना भी मजबूत समझे लेकिन यदि वो गलत है तो उसके सामने कभी नहीं झुकना चाहिए।

श्री गहलोत 8 अप्रेल को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जन्म शताब्दी उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने हमारी संस्कृति की महान परंपरा का निर्वहन करते हुए अपनी शहादत दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जन्म शताब्दी जैसे अवसर हमें महापुरुषों के कृतित्व एवं व्यक्तित्व को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी का अहसास कराते हैं। गुरु तेग बहादुर जी ने लोगों को प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश दिया। देश और दुनिया में आज जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, उनका मुकाबला हम शांति, सद्भाव और समरसता के माध्यम से ही कर सकते हैं।

श्री गहलोत ने बैठक के दौरान प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि विभिन्न मांगों को लेकर देशभर में लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलनों का इस पुनीत अवसर पर कोई सार्थक हल निकाला जाए। मुख्यमंत्री ने बैठक में सुझाव दिया कि गुरु तेग बहादुर जी के 400वीं जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में वर्षभर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आयोजित करने के लिए समितियों का गठन किया जाए। ये समितियां कोविड-19 के दृष्टिगत कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन सुनिश्चित करें।

बैठक में समिति के सदस्यों ने वर्षभर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री श्री बीडी कल्ला, प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री अखिल अरोरा तथा शासन सचिव कला एवं संस्कृति श्रीमती मुग्धा सिन्हा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

कोटपूतली के भालोजी में देश का पहला सौर ऊर्जा संयत्र

– डॉ. सुबोध अग्रवाल

राजस्थान अक्षय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए प्राकृतिक रूप से संपन्न प्रदेश है। सूर्य राजस्थान पर विशेष ही मेहरबान है। यही कारण है कि पश्चिमी राजस्थान में साल के 365 दिनों में से करीब 325 दिनों तक सूर्य की उच्च स्तरीय किरणें प्रभावी रहती हैं। सूर्य के ताप को देखते हुए ही विशेषज्ञों द्वारा प्रदेश में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की क्षमता 142 गीगावॉट आंकी गई है। रेत के धोरों में तेजी से चलती हवाएं और तपती धूप राजस्थान के लिए वरदान साबित हो रही है। गैर परंपरागत ऊर्जा के उत्पादन के लिए यह अनुकूल परिस्थितियां हैं और इस तरह की अनुकूल परिस्थितियों को विकास में परिवर्तित करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा योजनाबद्ध प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की दूरगामी सोच का ही परिणाम है कि जयपुर जिले के कोटपूतली तहसील के भालोजी गांव को देश के मानचित्र पर पीएम कुसुम योजना का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित गांव बनने का गौरव मिल गया है। नए वित्तीय वर्ष 2021 के पूर्व दिवस को भालोजी गांव के देवकरण यादव द्वारा साढ़े तीन एकड़ भूमि पर स्थापित सौर ऊर्जा संयत्र ने बिजली का उत्पादन शुरु कर दिया है। देव करण यादव ने एक मेगावाट उत्पादन क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र 3 करोड़ 70 लाख रु. की लागत से लगाया है। इस संयंत्र से करीब 17 लाख यूनिट विद्युत का सालाना उत्पादन किया जाएगा और इस संयंत्र द्वारा उत्पादित विद्युत की खरीद जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा अगले 25 सालों तक 3.14 रुपए प्रति यूनिट की दर से की जाएगी। इससे देव करण यादव को प्रति वर्ष करीब 50 लाख रुपए की आय होगी।

समग्र व समन्वित प्रयासों से राजस्थान आज अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में समूचे देश में अग्रणी प्रदेश बनते हुए निवेशकों के आकर्षण का प्रमुख केन्द्र बना है। एक और प्रदेश में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में नए निवेशक आ रहे हैं तो दूसरी और अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश में निवेश बढ़ने के साथ ही रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होने लगे हैं। राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने दिसंबर, 2019 में राज्य की सौर ऊर्जा नीति की घोषणा कर प्रदेश में इस क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति की राह प्रशस्त कर दी है। इस नीति का मुख्य ध्येय, राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए उपलब्ध अनुकुल परिस्थितियों का दोहन करके, कुशल ग्रिड प्रबन्धन व ऊर्जा सुरक्षा के लिए श्रेष्ठ ऊर्जा मिश्रण प्राप्त करके और हितधारकों के हितों की रक्षा करके, राजस्थान को सौर ऊर्जा का वैश्विक केन्द्र बनाना है। इसके साथ ही ''राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2019 की घोषणाएं की गई हैं, जिनके अन्तर्गत प्रदेश में अक्षय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन हेतु परियोजनाएं स्थापित करने पर उद्यमियों को विभिन्न छूट, रियायतें एवं

> **मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की दूरगामी सोच का ही परिणाम है कि जयपुर जिले के कोटपूतली तहसील के भालोजी गांव को देश के मानचित्र पर पीएम कुसुम योजना का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित गांव बनने का गौरव मिल गया है।**

विशिष्ट पैकेज के प्रावधान किए गए हैं। राज्य सरकार की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि वर्ष 2019-20 में ही कुसुम योजना में प्रदेश में 2600 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित कर क्रियान्वयन की कार्य योजना तैयार की और योजनाबद्ध प्रयासों से 722 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं के लिए लेटर ऑफ अवार्ड जारी किए जा चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा घोषित सौर एवं पवन तथा हाईब्रिड ऊर्जा नीति के क्रियान्वयन का रोडमेप बनाते हुए 2025 तक 38 हजार मेगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश का अक्षय ऊर्जा विभाग लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

ऊर्जा मंत्री श्री बी.डी. कल्ला का मानना है कि किसानों द्वारा पीएम कुसुम योजना में बंजर एवं अनुपयोगी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने से किसानों को अपनी अनुपयोगी भूमि से भी लाभ प्राप्त हो सकेगा। इसके साथ ही प्रदेश में ग्रीन एनर्जी प्राप्त होने से पर्यावरण अनुकूल विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिल सकेगा।

भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ''प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान'' योजना के 3 मुख्य घटक हैं। कम्पोनेन्ट-ए में 0.5 से 2 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा आधारित कुल (10,000 मेगावॉट क्षमता) ग्रिड कनेक्टेड विकेन्द्रीकृत संयंत्रों की स्थापना। कम्पोनेन्ट-बी में 20 लाख स्टेण्ड अलोन (ऑफग्रिड) कृषि पम्पों की स्थापना और कम्पोनेन्ट-सी में 15 लाख ग्रिड कनेक्टेड कृषि पम्पों का सौर्यकरण है। योजना के तहत् वितरण निगमों के 33/11 केवी सब स्टेशनों के 5 किलोमीटर के दायरे मे किसानों की बंजर/अनुपयोगी भूमि पर 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जायेंगे। एक मेगावॉट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु लगभग 2 हैक्टेयर भूमि व लगभग 4 करोड़ रूपये के निवेश की आवश्यकता होती है। राज्य में इस योजना के कम्पोनेन्ट-ए का क्रियान्वयन वितरण निगमों की ओर से राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र से उत्पादित बिजली राजस्थान ऊर्जा विकास निगम द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के द्वारा निर्धारित रुपये 3.14 प्रति यूनिट की दर पर 25 वर्षो तक क्रय किए जाने की व्यवस्था है।

राज्य में प्रथम चरण में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा योजना के प्रथम चरण में पात्र 623 आवेदकों को कुल 722 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हेतु चयनित किया गया है, जिनकी स्थापना राज्य के 29 जिलों में 571 सब-स्टेशन क्षेत्र में की जाएगी। सभी 623 सफल सौर ऊर्जा उत्पादकों को सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हेतु लेटर ऑफ अवार्ड 8 जुलाई 2020 को जारी किये जा चुके हैं। 623 सफल आवेदकों में से अब तक कुल 195 चयनित सौर ऊर्जा उत्पादकों द्वारा 205 मेगावाट क्षमता के विद्युत क्रय अनुबन्ध हेतु परियोजना सुरक्षा राशि रुपये 5 लाख प्रति मेगावाट राशि जमा कराई जा चुकी है, जिनमें से 155 आवेदकों द्वारा विद्युत क्रय अनुबन्ध हस्ताक्षर किये जा चुके है। वर्तमान में 6 संयंत्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। इनमें जोधपुर में तीन, पाली, जयपुर तथा टोंक में एक-एक संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं। इच्छुक लाभार्थियों को बैंकों से आसानी से वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बैंकों से आने वाली समस्याओं के निदान के सतत् प्रयास जारी है।

प्रदेश के जयपुर जिले के कोटपूतली तहसील के भालोजी गांव के किसान देव करण यादव ने इस योजना में समूचे देश में पहला सौर ऊर्जा संयत्र स्थापित करने का गौरव प्राप्त किया है। जल्दी ही प्रदेश में अन्य किसानों द्वारा भी सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जा सकेगी और अनुबंध किए हुए किसानों की बंजर व अनुपयोगी भूमि सौर ऊर्जा का उत्पादन कर किसानों के लिए सोना उगलेगी। इससे दोहरा लाभ होगा। एक तो किसानों को उनकी अनुपयोगी या बंजर भूमि से आय प्राप्त होने लगेगी वहीं प्रदेश में सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। पर्यावरण संरक्षण के साथ ही नवीकृत ऊर्जा का उत्पादन बढ़ सकेगा। •

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

– नीता टहलियानी

राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार करते हुए मुख्यमंत्री द्वारा महत्त्वाकांक्षी कदम के रूप में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की गई है। इस कैशलेस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष पांच लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा से लाभान्वित किया जाएगा। योजना से जुड़े सभी सरकारी व निजी अस्पतालों में भर्ती होने पर इलाज के साथ भर्ती होने से 5 दिन पहले चिकित्सकीय परामर्श, जांच व दवा तथा डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद का चिकित्सकीय व्यय भी सम्मिलित होगा।

निम्न आय वर्ग तथा सामाजिक व आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFS), सामाजिक आर्थिक जनगणना (SECC) 2011 के पात्र परिवारों व लघु व सीमांत कृषक व संविदाकर्मियों का पूरा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। अन्य परिवार मात्र 850 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर योजना से जुड़ सकते हैं। राज्य में स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को मजबूत करना तथा महामारी के इस कठिन समय में प्रदेशवासियों की सेहत सरकार की पहली प्राथमिकता है। बजट में अपने किए गए वादे को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री द्वारा घोषित स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ 1 मई 2021 से राज्य के प्रत्येक परिवार को मिलेगा।

आयुष्मान भारत योजना से श्रेष्ठ चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पूरे देश में राजस्थान की पहली स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसमें केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को ही नहीं अपितु राज्य के प्रत्येक परिवार तथा सभी आय वर्ग को पांच लाख रुपये तक की बीमा राशि से लाभान्वित किया जाएगा। योजना के तहत चिन्हित बीमारियों के लिए रुपये 50 हजार एवं गंभीर बीमारियों के लिए 4 लाख 50 हजार रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर लाभार्थियों को दिया जाएगा।

अन्य स्वास्थ्य सेवाओं से भिन्न चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पूरे परिवार की बीमा योजना है अर्थात परिवार के सदस्यों की उम्र तथा संख्या की पाबंदी नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं सामाजिक और आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवारों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। अन्य लाभार्थियों के पास जन आधार कार्ड होना आवश्यक है। योजना का लाभ पाने के लिए 1 अप्रेल 2021 से 30 अप्रेल 2021 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तथा 1 अप्रेल से 10 अप्रेल 2021 तक हर ग्राम पंचायत पर विशेष रजिस्ट्रेशन शिविर लगाए गए। ताकि इस महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना का लाभ और सुविधा राजस्थान के कोने-कोने तक पहुंच सके।

विशेष पंजीयन शिविर

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 10 अप्रैल तक प्रदेश की ग्राम पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में लगे विशेष पंजीयन शिविरों में रजिस्ट्रेशन का कार्य किया गया। जिला स्तर पर जिला कलक्टर और ब्लॉक स्तर पर उपखण्ड अधिकारी के नेतृत्व में शिविर में व्यवस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। योजना से सम्बंध किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नबंर 1800 180 6127 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने बताया कि 10 अप्रेल तक इन विशेष पंजीयन शिविर में रजिस्ट्रेशन का कार्य किया गया। उसके बाद लाभार्थियों द्वारा स्वयं ऑनलाइन अथवा ई-मित्र केन्द्र के माध्यम से 30 अप्रेल 2021 तक रजिस्ट्रेशन कराने का प्रावधान रखा गया। 1 मई 2021 से प्रदेश में योजना लागू होगी।

डॉ. शर्मा ने बताया कि योजना में रजिस्ट्रेशन होने के बाद 1 मई से

लाभार्थी को प्रदेश के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला अस्पताल, सेटेलाइट अस्पताल, मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भारत सरकार के प्रदेश में स्थित अस्पताल जैसे एम्स और रेलवे अस्पतालों के साथ-साथ योजना से जुड़े सभी निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। इन सभी अस्पतालों में भर्ती होने पर लाभार्थी परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क इलाज मिल पायेगा जिसमें जांच, दवाइयां, उपचार सभी शामिल होगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा और जांच योजना से मरीजों को वर्तमान में ओपीडी सेवाओं में निःशुल्क चिकित्सा का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से प्रदेश के सभी निवासी अब चिकित्सा के ऊपर होने वाले बड़े खर्चो से मुक्त हो पाएंगे।

पात्र परिवार योजना के सॉफ्टवेयर पर पंजीयन उपरांत संलग्न प्रारूप में 'पॉलिसी दस्तावेज' डाउनलोड कर प्राप्त कर सकता है। जिसमें लाभार्थी परिवार के जनआधार एवं पॉलिसी संबंधित विवरण दर्ज होगा। योजना में अपने रजिस्ट्रेशन के लिये पंजीयन शिविर में लाभार्थी को अपना जनआधार कार्ड अथवा जनआधार रजिस्ट्रेशन के साथ आधार कार्ड को साथ लेकर जाना होगा। स्वास्थ्य बीमा योजना में पहले से लाभान्वित हो रहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक-आर्थिक जनगणना के पात्र परिवारों को पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

जिन लोगों का जनआधार कार्ड नहीं बना हुआ है, उन्हें पहले ई-मित्र पर जाकर अपना जनआधार कार्ड बनाना होगा। इसके लिये ई-मित्र द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। यह पूर्णतया निःशुल्क है।

ई–मित्र पर पंजीयन के लिए नहीं लगेगा कोई शुल्क

राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाने वाली महत्त्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना' में शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 मई से लागू होने वाली इस योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने, प्रीमियम जमा करने तथा प्रिंटिंग के लिए ई-मित्र को कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी। यह शुल्क राज्य सरकार वहन करेगी। ई-मित्र पर पंजीयन कराते समय लाभार्थी को प्रीमियम राशि के रूप में मात्र 850 रुपए ही देने होंगे।

प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य के लिए सरकार करेगी 3500 करोड़ वहन

मुख्यमंत्री ने कहा कि आमतौर पर लोगों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा करवाने के लिए 30 हजार रुपए तक का प्रीमियम देना होता है, लेकिन प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य के लिए राज्य सरकार ने 3 हजार 500 करोड़ रुपए वहन कर मात्र 850 रुपए में यह सुविधा देने की कल्याणकारी पहल की है। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं सामाजिक आर्थिक जनगणना-2011 के दायरे में आने करीब 1 करोड़ 10 लाख परिवारों के साथ-साथ 13 लाख लघु एवं सीमांत किसान तथा 4 लाख से अधिक संविदाकर्मियों के परिवारों को यह स्वास्थ्य बीमा सरकार बिना किसी प्रीमियम के उपलब्ध करवायेगी। अन्य परिवार मात्र 850 रुपए में बीमा का लाभ ले सकेंगे।

पंजीयन मिशन भावना से किया जाये

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश के हर व्यक्ति की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस योजना में पंजीयन का काम मिशन भावना के साथ किया जाए। इसके लिए शहरों में वार्ड स्तर पर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाकर लोगों को योजना से जोड़ा जाए। पंच-सरपंच, पार्षद, विधायक, सांसद सहित सभी जनप्रतिनिधि तथा बीएलओ, ग्राम विकास अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, एएनएम सहित ग्राम स्तर तक के सभी कार्मिक लोगों को इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। कोई भी व्यक्ति सरकार की इस महत्त्वपूर्ण योजना से वंचित नहीं रहे। उन्होंने कहा कि योजना में 1 अप्रेल से 30 अप्रेल तक पंजीयन किया जा रहा है। जो परिवार 30 अप्रेल तक पंजीयन से वंचित रह जायेगा तो फिर उसे योजना से जुड़ने के लिए 3 माह का इंतजार करना पड़ेगा।

जन–जन तक हो योजना का प्रचार

श्री गहलोत ने निर्देश दिए कि इस महत्त्वाकांक्षी योजना का जन-जन तक व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी, स्वास्थ्य मित्र, स्वयंसेवी संस्थाएं, सोशल एक्टिविस्ट, प्रबुद्धजन एवं युवा लोगों को इस योजना के लाभ से अवगत कराकर अधिक से अधिक पंजीयन कराने में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाएं। पंचायत एवं वार्ड वार आयोजित होने वाले विशेष शिविरों का स्थानीय स्तर पर सघन प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग शिविरों में पहुंचे।

ई–मित्र संचालक निभाएं सकारात्मक भूमिका

मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-मित्र संचालक इस योजना की अहम् कड़ी हैं। वे अधिक से अधिक पंजीयन करने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि जनाधार कार्ड बनाकर अधिक से अधिक पंजीकरण करने के लिए ई-मित्र संचालकों को प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि जनाधार कार्ड धारक लाभार्थी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट health.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस योजना में कोविड सहित विभिन्न बीमारियों के इलाज के 1576 पैकेज शामिल हैं। लाभार्थी सरकारी एवं योजना से संबद्ध निजी अस्पतालों में उपचार प्राप्त कर सकेंगे। इसमें अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले तथा डिस्चार्ज के 15 दिन बाद का चिकित्सा व्यय भी शामिल होगा।

डॉ. अम्बेडकर सार्वभौमिक और सार्वकालिक चिंतक

– प्रकाश चंद्र शर्मा

डॉ. भीमराव अम्बेडकर भारत के आधुनिक निर्माताओं में से एक माने जाते हैं। उनके विचार व सिद्धांत भारतीय राजनीति के लिए हमेशा से प्रासंगिक रहे हैं। दरअसल वे एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के हिमायती थे, जिसमें राज्य सभी को समान अवसर दे । उनका यह दर्शन व्यक्ति और समाज के परस्पर संबंधों पर बल देता है।

उनका यह दृढ़ विश्वास था कि जब तक आर्थिक और सामाजिक विषमता समाप्त नहीं होगी, तब तक जनतंत्र की स्थापना अपने वास्तविक स्वरूप को ग्रहण नहीं कर सकेगी। दरअसल सामाजिक चेतना के अभाव में जनतंत्र आत्मविहीन हो जाता है। ऐसे में जब तक सामाजिक जनतंत्र स्थापित नहीं होता है, तब तक सामाजिक चेतना का विकास भी संभव नहीं हो पाता है।

इस प्रकार डॉ. अम्बेडकर जनतंत्र को एक जीवन पद्धति के रूप में स्वीकार करते थे, वे व्यक्ति की श्रेष्ठता को सर्वोपरि साधन मानते थे। वे कहते थे कि कुछ संवैधानिक अधिकार देने मात्र से जनतंत्र की नींव पक्की नहीं होती। उनकी जनतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना में 'नैतिकता' और 'सामाजिकता' दो प्रमुख मूल्य रहे। जिनकी प्रासंगिकता वर्तमान समय में बढ़ जाती है।

भारतरत्न डॉ.अम्बेडकर समानता को लेकर प्रतिबद्ध थे। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना किसी भी समाज की प्रथम और अंतिम नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। वे मानते थे कि समाज में यह बदलाव सहज नहीं होता है, इसके लिए कई पद्धतियों को अपनाना पड़ता है।

The Problem of The Rupee : 15 origin and its solution नामक अपनी रचना में डॉ. अम्बेडकर ने 1800 से 1893 के दौरान, विनिमय के माध्यम के रूप में भारतीय मुद्रा (रुपये) के विकास का परीक्षण किया और उपयुक्त मौद्रिक व्यवस्था के चयन की समस्या की भी व्याख्या की। आज के समय में जब भारतीय अर्थव्यवस्था मुद्रा के अवमूल्यन और मुद्रास्फीति की समस्या से दो-चार हो रही है तो ऐसे में उनके शोध के परिणाम न सिर्फ समस्याओं को समझने में महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं बल्कि वह इसके समाधान को लेकर आगे का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं।

डॉ. अम्बेडकर ने 1918 में प्रकाशित अपने लेख भारत में छोटी जोत और उनके उपचार (Small Holdings in India and their Remedies) में भारतीय कृषि तंत्र का स्पष्ट अवलोकन किया। उन्होंने भारतीय कृषि तंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण करके कुछ महत्त्वपूर्ण परिणाम निकाले, जिनकी प्रासंगिकता आज तक बनी हुई है। उनका मानना था कि यदि कृषि को अन्य आर्थिक उद्यमों के समान माना जाए तो बड़ी और छोटी जोतों का भेद समाप्त हो जाएगा, जिससे कृषि क्षेत्र में खुशहाली आएगी। उनके एक अन्य शोध ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास (The Evolution of Provincial Finance in British India) की प्रासंगिकता आज भी है। उन्होंने इस शोध में देश के विकास के लिए एक सहज कर प्रणाली पर बल दिया। इसके लिए उन्होंने तत्कालीन सरकारी राजकोषीय व्यवस्था को स्वतंत्र कर देने का विचार दिया। भारत में आर्थिक नियोजन तथा समकालीन आर्थिक मुद्दे व दीर्घकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जिन संस्थानों को स्वतंत्रता के पश्चात् स्थापित किया गया उनकी स्थापना में डॉ. अम्बेडकर का अहम योगदान रहा।

डॉ.अम्बेडकर का सम्पूर्ण जीवन भारतीय समाज में सुधार के लिए समर्पित था। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रन्थों का गहन अध्ययन कर यह बताने की चेष्टा भी की कि भारतीय समाज में वर्ण-व्यवस्था, जाति-प्रथा तथा अस्पृश्यता का प्रचलन समाज में कालान्तर में आई विकृतियों के कारण उत्पन्न हुई है, न कि यह यहाँ के समाज में प्रारम्भ से ही विद्यमान थी।

सामाजिक क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए प्रयास किसी भी दृष्टिकोण से आधुनिक भारत के निर्माण में भुलाये नहीं जा सकते जिसकी प्रासंगिकता आज तक जीवंत है।

डॉ.अम्बेडकर अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों पर बल देते थे। उनका मानना था कि व्यक्ति को न सिर्फ अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए जागरूक होना चाहिए, अपितु उसके लिए प्रयत्नशील भी होना चाहिए, लेकिन हमें इस सत्य को नहीं भूलना चाहिए कि इन अधिकारों के साथ-साथ हमारा देश के प्रति कुछ कर्त्तव्य भी है। अधिकारों को लेकर उनके यह विचार वर्तमान समय में और ज्यादा महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं।

बाबा साहेब संपूर्ण समाज के पुनर्निर्माण के लिए भी प्रयासरत रहे। उन्होंने मजदूर वर्ग के कल्याण के लिए उल्लेखनीय कार्य किये। पहले मजदूरों से प्रतिदिन 12-14 घंटों तक काम लिया जाता था। इनके प्रयासों से प्रतिदिन आठ घंटे काम करने का नियम पारित हुआ।

राजस्थान में विद्युत प्रसारण एवं वितरण तंत्र का सुदृढ़ीकरण

– योगेश पंवार

राजस्थान सरकार के दो वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश की जनता को सुशासन और खुशहाली की अनेक सौगातें मिली हैं। इन्ही सौगातों में विद्युत प्रसारण एवं वितरण तंत्र के सुदृढ़ीकरण की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास शामिल है। भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य होने के कारण राजस्थान में विद्युत वितरण व प्रसारण तंत्र पर अतिरिक्त संसाधन निवेश की आवश्यकता पड़ती है।

राज्य में उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता की बिजली उपलब्ध करवाने तथा किसानों को कृषि के लिए दिन के दो ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति के लिए गत दो वर्षों 116 करोड़ रुपये की लागत से 220 केवी के 2 ग्रिड सब स्टेशन 114 करोड़ रुपये की लागत से 132 केवी के 9 सब ग्रिड सब स्टेशन तथा 306 करोड़ रुपये की लागत से 33 केवी के 157 सब स्टेशन की परियोजनाएं स्थापित की गयी हैं।

इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता बढ़ाने व दिन के ब्लॉक में किसानों को विद्युत आपूर्ति हेतु आगामी दो वर्षों में 813 करोड़ रुपये की नई योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमे 112 करोड़ रुपये की लागत से 220 केवी के 2 ग्रिड सब स्टेशन, 590 करोड़ रुपये की लागत से 132 केवी के 26 ग्रिड सब स्टेशन तथा 111 करोड़ रुपये लागत से 33 केवी के 45 सब स्टेशन स्थापित किये जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा लिये गए निर्णय अनुसार राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कुसुम कम्पोनेन्ट-सी के अन्तर्गत ग्रिड से जुड़े कृषि पम्पसेटों को सौर ऊर्जाकृत करने का कार्य राज्य सरकार ने अपने हाथ में लिया है।

इसके अन्तर्गत अजयराजपुरा (जयपुर), शिलारपुर (प्रतापगढ़) व कापरडा (जोधपुर), जिलों में एक-एक फीडर के कृषि पम्पसेटों के सौर ऊर्जाकरण का कार्य पूर्ण किया गया है, जिसके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। आगामी दिनों में 147 कृषि फीडरों पर पृथकीकरण कर 279 करोड़ की लागत से 9329 कृषि पम्पसेटों का सौर ऊर्जाकरण एवं नेट मीटरिंग के कार्यों को प्रारम्भ किया जा रहा है। इन कार्यों से किसानों को गुणवत्ता की बिजली मिलेगी और किसानों द्वारा बिजली की बचत करने से उनकी आय में भी वृद्धि होगी।

राजस्थान में सौर ऊर्जा का विकास भड़ला सोलर पार्क के सफलतापूर्वक क्रियान्वन में परिलक्षित होता है। भड़ला सौर ऊर्जा का शिलान्यास 21 अगस्त 2013 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। राज्य की सौर ऊर्जा नीति और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के प्रयासों के फलस्वरूप भड़ला सोलर की पूर्ण क्षमता 2245 मेगावाट का विकास फरवरी, 2020 को पूरा कर लिया गया।

सरकार के इस कार्यकाल में कोरोना जैसी भीषण महामारी ने भी कदम रखा जिससे राजस्थान की जनता को लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। यद्यपि कोरोना महामारी ने सम्पूर्ण विश्व सहित भारत को भी प्रभावित किया फिर भी जिस प्रकार राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में कोरोना का बचाव एवं उपचार का प्रबन्धन किया गया, उसे पूरे भारत में प्रशंसा मिली।

राजस्थान सरकार ने अपने दो साल के कार्यकाल में प्रदेश की जनता में यह विश्वास पैदा कर दिया है कि सरकार का लक्ष्य जनसेवा करते हुए राज्य को विकास एवं खुशहाली के रास्ते पर सदैव गतिमान रखना है। कोरोना जैसी भयावह महामारी के दौरान और बाद में भी राज्य सरकार के जनसेवा और राजस्थान के विकास के प्रति कर्तव्यनिष्ठता भाव में लेश मात्र भी रुकावट नहीं आयी।

आयुर्वेद से कोरोना मुक्ति के प्रयास

– डॉ. दीपक आचार्य

कोरोना महामारी के संक्रमण से जन-जन को बचाने तथा इसकी रोकथाम के प्रयासों में आयुर्वेद विभाग पूरी शक्ति के साथ जुटा हुआ है। कोविड-19 से बचाव की दृष्टि से रोग प्रतिरोधक क्षमता में अभिवृद्धि के लिए परम्परागत जड़ी-बूटियों और औषधीय वनस्पतियों के सम्मिश्रण से तैयार किए गए क्वाथ (काढ़ा) के साथ ही अन्य आयुर्वेदिक औषधियों के वितरण की दिशा में सरहदी जैसलमेर जिले का आयुर्वेद विभाग पूरे दम-खम से जुटा हुआ है।

अब तक 35 हजार लोग हुए लाभान्वित

कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम के उपायों के अन्तर्गत आयुर्वेद विभाग ने आरंभ से अब तक जिले में संचालित 36 आयुर्वेद औषधालयों व चिकित्सालयों में कार्यरत स्टाफ के माध्यम से लगभग 35 हजार व्यक्तियों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए औषधि क्वाथ (काढ़ा) पिलाकर लाभान्वित किया जा चुका है। काढ़ा पिलाने का दौर क्रमिक रूप से समय-समय पर जारी रहा है।

आमजन का रुझान बढ़ा

कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता अभिवृद्धि की दृष्टि से औषधीय क्वाथ (काढ़ा) बेहद असरकारक है और इसके प्रति लोगों की व्यापक दिलचस्पी देखी गई है। जैसलमेर जिले में कोविड-19 से बचाव के लिए आयुर्वेद विभागीय चिकित्सक और स्टाफ समर्पित सेवाभाव से दिन-रात जुटा हुआ है।

विशेष अभियान में 31 हजार से अधिक ने पिया काढ़ा

आयुर्वेद विभाग द्वारा मार्च, 2021 में छह दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया। इसमें जिले के विभिन्न हिस्सों में आयुर्वेद औषधालयों द्वारा आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया गया तथा 31 हजार से अधिक लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता में अभिवृद्धि करने वाला आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया।

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है काढ़ा

कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आयुर्वेदिक क्वाथ(काढ़ा) के प्रति आमजन में विशेष लगाव का ही परिणाम है कि लोग स्वेच्छा से औषधालयों/चिकित्सालयों आदि में पहुंच कर काढ़ा पीते रहे हैं। इस काढ़े में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जरूरी सभी औषधीय गुण विद्यमान हैं जिनसे कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सकता है।

व्यापक प्रयासों के साथ जुटा है विभाग

केन्द्रीय आयुष मंत्रालय के निर्देशानुसार वीसी के माध्यम से प्रदत्त प्रशिक्षण से जिले में 13 आयुर्वेद चिकित्साधिकारी एवं 13 नर्स तथा 13 नर्स-कम्पाउण्डर्स और 6 यूनानी चिकित्साधिकारी/कम्पाउण्डर आदि ने कोविड-19 से बचाव व रोकथाम से संबंधित चिकित्सकीय प्रशिक्षण पाया और इसका लगातार उपयोग करते हुए आमजन का लाभान्वित किया।

6 हजार 466 पैकेट वितरित

विभागीय निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए नियुक्त किये गये सभी कार्मिकों (जिनमें चिकित्साकर्मी पुलिसकर्मी, आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सफाईकर्मी इत्यादि कोरोना वॉरियर्स शामिल हैं), को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से आयुर्वेद विभाग जैसलमेर द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से सूखा काढ़ा के 100-100 ग्राम के लगभग 6 हजार से अधिक पैकेट का वितरण किया गया।

क्वारंटीन सेंटर्स पर सुबह-शाम पिलाया गया

आयुर्वेद विभागीय टीमों ने क्षेत्र में स्थापित क्वारंटीन सेंटर्स पर रोजाना 250 से 300 संभावित रोगियों को सुबह-शाम काढ़ा पिलाया।

इसी प्रकार जैसलमेर जिला मुख्यालय पर कोरोना पॉजिटीव आए व्यक्तियों के इलाज के लिए स्थापित कोरोना सेंटर माहेश्वरी अस्पताल/हवेली के कोविड-19 क्वारंटीन सेन्टर पर 54 व्यक्तियों को 23 दिनों तक रोजाना सुबह, शाम दोनों समय औषधीय क्वाथ, बूस्टर डोज पिलायी गई।

42 शिविरों के माध्यम से लोक सेवा

आयुर्वेद विभाग द्वारा सरहदी जैसलमेर जिले में कुल 42 काढ़ा/औषधि वितरण शिविर आयोजित किए गए। इनमें 20 औषधालय एवं 22 क्वारंटीन सेन्टर शामिल हैं। इसी प्रकार राजकीय आयुर्वेद रसायनशाला बासनी, जोधपुर से प्राप्त वातश्लेष्मिक ज्वर हर क्वाथ, गोजिह्वादि क्वाथ, अश्वगंधा चूर्ण आदि औषधियों का वितरण कर जरूरतमन्द लोगों को लाभान्वित किया गया। आयुर्वेद चिकित्सा से जुड़े हुए चिकित्सकों, कम्पाउण्डरों तथा परिचारकों का वैक्सीनेशन हो चुका है।

प्रदेश की जेलों में 'ऑपरेशन फ्लश आउट' अभियान

– राजीव दासोत

जेलों में मोबाइल फोन, चार्जर, अफीम, चरस आदि मादक पदार्थ, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, गुटखा एवं अन्य अवांछनीय निरूद्ध वस्तुओं का तस्करी के माध्यम से प्रवेश तथा बंदियों के द्वारा जेलों में आपराधिक गतिविधियों के संचालन पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए महानिदेशक कारागार द्वारा जेल विभाग की समस्त जेलों में 21 नवम्बर, 2020 से 'ऑपरेशन फ्लश आउट' के नाम से एक विशेष अभियान प्रारंभ किया गया।

'ऑपरेशन फ्लश आउट' के अन्तर्गत निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही करने के विशेष रूप से निर्देश दिये गये:–

- राज्य की समस्त जेलों की सघन तलाशी तथा मोबाइल फोन, मादक पदार्थ आदि निरूद्ध सामग्री की बरामदगी।
- आपराधिक कृत्यों, भ्रटाचार एवं मिली भगत में लिप्त स्टाफ को चिह्नित कर कठोरतम अनुशासनात्मक कार्यवाही।
- जेलों में आतंक का पर्याय बने हुए हार्डकोर बंदियों को उनके सुविधाजनक दायरे (कम्फर्ट जोन) से अन्यत्र जेलों में स्थानान्तरण किया जाना।
- जेलों में बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही वांछनीय, अनावश्यक, अनधिकृत एवं अवैधानिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर रोक।
- खुले बंदी शिविरों से आपराधिक गतिविधियों पर रोक।
- 16 फरवरी से जेलों में बंदियों की मुलाकात प्रारंभ होने के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई परिस्थितियों में मुलाकात सुविधा प्रदान करने में भ्रष्टाचार तथा मुलाकात के बहाने निरूद्ध सामग्री जेलों के भीतर प्रवेश पर रोक।

विगत कुछ सप्ताहों की अवधि में 'ऑपरेशन फ्लश आउट' के अन्तर्गत सराहनीय एवं प्रभावी कार्यवाही की गई है। विभिन्न जेलों में अभियान के अन्तर्गत 01 मार्च, 2021 तक 8808 सघन तलाशियां ली गई तथा तलाशी के दौरान 124 मोबाइल फोन, 82 सिम कार्ड, 30 चार्जर, 21 इयरफोन, 18 डेटा केबल,अफीम, चरस, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि निरूद्ध पदार्थ बरामद किये गये हैं।

आपराधिक कृत्य, भ्रष्टाचार एवं मिलीभगत में लिप्त स्टाफ को चिह्नित कर उनके विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही करते हुए 03 कार्मिक बर्खास्त कर किये गये। जबकि 25 कर्मियों को निलम्बित किया गया है तथा कुल 99 कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है। इसी के साथ 47 अधिकारियों व कर्मचारियों के शिकायतन स्थानान्तरण भी किये गये हैं।

इसी प्रकार जेलों में आतंक का पर्याय बने 68 हार्डकोर बंदी तथा निरूद्ध वस्तुओं का प्रयोग करने वाले बंदियों को अन्यत्र दूरस्थ जेलों में स्थानान्तरित किया गया है। अधिकांश जेलों में विभिन्न अवांछनीय, अनावश्यक, अनधिकृत एवं अवैधानिक सामग्री तथा सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रवृत्तियों पर रोक लगी है। जेल विभाग के समस्त अधिकारी व कर्मचारी 'ऑपरेशन फ्लश आउट' की सफलता के लिए दिन-रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस अभियान के अन्तर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले कुल 145 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया गया है।

अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियों को और अधिक सुदृढ़ एवं स्थायी करने के उद्देश्य से वर्तमान में चल रहा 'ऑपरेशन फ्लश आउट' लगातार जारी है।•

विशेष–योग्यजनों के विद्यालयों–छात्रावासों के लिए 6 करोड़ रुपए स्वीकृत

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने विशेष योग्यजनों के लिए प्रदेश भर में विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित सभी आवासीय एवं गैर–आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों के लिए 6 करोड़ 2 लाख रुपए से अधिक की राशि एकमुश्त अनुदान के रूप में देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

श्री गहलोत द्वारा इस संबंध में वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है। प्रस्ताव के अनुसार, यह राशि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र विकास और स्कूल शिक्षा सहित विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विशेष योग्यजन विद्यालयों एवं छात्रावासों में कोरोना महामारी के दृष्टिगत राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और अनलॉक की अवधि के दौरान कार्यरत कार्मिकों के लिए मानदेय, भवन किराया, मरम्मत एवं साफ–सफाई तथा बिजली–पानी बिल आदि के भुगतान के लिए आवृत्ति एवं अनावृत्ति मदों में हुए व्यय के लिए है। गौरतलब है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में विशेष योग्यजनों के लिए विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा 102 आवासीय विद्यालय अथवा छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं, जिनकी स्वीकृत आवास क्षमता 7100 है। लॉकडाउन तथा अनलॉक की अवधि के दौरान भी इन छात्रावासों में या तो विद्यार्थी आवासरत रहे अथवा इनके भवनों का उपयोग कोरोना संक्रमित मरीजों और संदिग्ध रोगियों के लिए क्वारंटीन सुविधा हेतु किया गया था।•

कोरोना से बचाव के लिए विशेष प्रयास

– नवीन आनन्दकर

मानव बाल की तुलना में 900 गुना छोटे परन्तु घातक वायरस कोरोना ने लगभग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। विकसित, अविकसित एवं विकासशील कमोबेश सभी देशों की अर्थव्यवस्था तथा मानव जीवन के लिए एक चुनौती उत्पन्न हो गई। संपूर्ण विश्व में भारी तादाद में जनहानि हुई, असंख्य लोग संक्रमित हुए।

उत्तर भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला राजस्थान में सामने आया था। कोरोना महामारी की गंभीरता को देखते हुए जनहित में राज्य सरकार द्वारा सर्वप्रथम 22 मार्च, 2020 को ही राज्य भर में लॉकडाउन लगा दिया गया था। कोरोना महामारी से उपजे हालातों में जहां लोगों को रोजी-रोटी की फिक्र थी वहीं साथ में थी स्वास्थ्य की चिंता। कोरोना वायरस श्वाँस के जरिये शरीर में प्रवेश कर सकता है इसको देखते हुए महामारी से रक्षा के लिए मास्क का प्रयोग किया जाना अत्यावश्यक हो गया। ऐसा समय भी आया जब देश में मास्क की कमी हो गई। कोराना महामारी से जीवन की रक्षा के लिये मुख्यमंत्री के मंत्र मास्क ही वैक्सीन है के अनुसरण में ब्यावर उपखंड कार्यालय ब्यावर में संचालित मास्क बैंक जरूरतमंदों के लिए मददगार साबित हो रहा है। आमजन, समाजसेवियों, नगर की सामाजिक संस्थाओं द्वारा मास्क बैंक में सहयोग प्रदान किया जा रहा है। आज जनसहभागिता के फलस्वरूप मास्क बैंक में 68000 से अधिक मास्क जमा हुए। जिनमें से 64000 का वितरण जरूरतमंद व्यक्तियों को किया जा चुका है। मास्क बैंक की खासियत यह भी है कि बैंक की भांति ही आवक-जावक का पूरा लेखा जोखा संधारित किया जा रहा है। जनसहयोग व पारदर्शिता पूर्ण संचालन से ब्यावर का मास्क बैंक एक मिसाल बना है। कोरोना के दौर में जब सावधानी ही बचाव है, मास्क बैंक जैसा कार्यक्रम आम लोगों को भी कोरोना के विरूद्ध चल रही मुहिम में जोड़ता है।

कई बुजुर्ग व्यक्ति अपनी आयु, शारीरिक अक्षमताओं या स्वास्थ्य सबंधी समस्याओं के कारण टीकाकरण केंद्रो तक नहीं पहुंच पा रहे थे। ऐसे वरिष्ठजनों की सुविधा के लिए ब्यावर उपखंड प्रशासन द्वारा वार्डो में टीकाकरण कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। निकटवर्ती स्थानों पर टीकाकरण की सुविधा मिलने से बुजुर्गो को सहूलियत भी मिली व उनका टीकाकरण के प्रति उत्साह भी बढ़ रहा है।

मार्च से शुरू हुए वैक्सीनेशन अभियान के तीसरे चरण में 45 वर्ष या अधिक आयु के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। साथ ही साथ ही फ्रंटलाइन वारियर्स का भी टीकाकरण किया जा रहा है। ब्यावर में ग्राम पंचायत, वार्डों में टीकाकरण केंद्रों के साथ तीन स्थायी टीकाकरण केंद्रों राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय, ईएसआई डिस्पेंसरी, सिटी डिस्पेंसरी में वरिष्ठजन का टीकाकरण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है।

ब्यावर के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में लगा सेल्फी जोन भी लोगों में लोकप्रिय हो रहा है। वरिष्ठ नागरिकों द्वारा टीकाकरण के पश्चात सेल्फी लेकर आगे भेजी जा ही है। जिससे अन्य वरिष्ठ नागरिक भी टीकाकरण हेतु प्रेरित हो। कोविड सेल की टीम, बीएलओ, नगर परिषद कार्मिक, आंगनबाड़ी सहायक व आशा सहयोगिनों द्वारा सुबह से देर शाम तक घर-घर जाकर टीकाकरण के लिए लोगों और वरिष्ठ नागरिकों को प्रेरित करने का कार्य किया जा रहा है। यही टीम वरिष्ठ नागरिकों को वैक्सीनेशन सेंटर तक आने में सहयोग भी प्रदान कर रही है।

लोगों में टीकाकरण कार्य को लेकर उत्साह का माहौल है। कोरोना काल में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को स्वयंसेवी संस्थाएं व आम नागरिक आगे बढकर सहयोग कर रहे हैं। साथ ही वार्डों में लगे केंद्रों पर सुविधाएं भी उपलब्ध करवा रहे हैं। आस-पास के जागरूक नागरिकों द्वारा टीकाकरण कराने आए वरिष्ठ नागरिकों की सहायता करने के साथ ही टीकाकरण टीम व अन्य कार्मिकों के अल्पाहार व इंटरनेट जैसी सुविधाओं को भी उपलब्ध कराया जा रहा है। शहर की विभिन्न संस्थाएं व समाजसेवी कोरोना की इस घड़ी में प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, कई संस्थाओं द्वारा तो टीकाकरण केंद्रों पर भोजन के पैकेट की व्यवस्था भी की जा रही है।•

राजस्थान : खनिजों का अजायबघर

– गुलाब बत्रा

राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। विश्व की प्राचीनतम पर्वत शृंखला में शामिल अरावली की धरोहर को अपने आंचल में यह राज्य समेटे हुए है। इसके भूगर्भ में खनिज सम्पदा का अकूत भंडार है। भांति-भांति के दर्जनों ज्ञात-अज्ञात खनिजों की उपलब्धता के फलस्वरूप इसे खनिजों का अजायबघर भी कहा जाता है। दूसरे राज्यों के मुकाबले राजस्थान में कही अधिक खनिज सम्पदा उपलब्ध है।

राज्य सरकार खनिजों के एक्सप्लोरेशन को वैज्ञानिक एवं तकनीकी दक्षता के साथ आगे बढ़ रही है। खनिज राजस्थान में उपलब्ध है और इनके पर्याप्त दोहन से आयात खर्च का लगभग 63 प्रतिशत राजस्व राजस्थान को मिल सकता है। राजस्थान खनिजों के रूप में धन उपजाने वाली धरती है। यहां जिंक से लेकर सिल्वर, लेड कॉपर और सोने के साथ-साथ गैस, तेल, लाइमस्टोन एवं पोटाश जैसे खनिज भरपूर मात्रा में है।

परमाणु ऊर्जा के उत्पादन मे यूरेनियम की महत्त्वपूर्ण भूमिका सर्वज्ञात है। अब शेखावाटी अचंल में सीकर जिले के खंडेला में लगभग दस हजार टन यूरेनियम भंडार होने की पुष्टि हो गई है। दो दशक से अधिक अवधि से पहले इस परियोजना का सर्वेक्षण हुआ था और अब यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया ने यूरेनियम के दोहन की तैयारी आरम्भ कर दी है। इसके लिए करीब एक किलोमीटर लम्बी टनल (सुरंग) बनाई गई है। दोहन की इस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से लगभग साढ़े तीन हजार तथा अप्रत्यक्ष तौर पर माल ढुलाई एवं अन्य कार्यो से करीब दस हजार लोगों को रोजगार सुलभ होने का अनुमान है।

अन्तरराष्ट्रीय बाजार में दस हजार टन यूरेनियम की कीमत सात हजार बिलियन डॉलर आंकी गई है। अब तक यूरेनियम का आयात किया जाता रहा है। टंगस्टन तथा पोटाश जैसे कीमती खनिजों के दोहन का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है तो स्वर्ण भंडार का आंकलन भी प्रगति पर है। हाल ही में थार मरूस्थल के जैसलमेर जिले के तीन ब्लॉक में जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया ने 690 मिलियन टन से अधिक क्षमता में एस एम एस ग्रेड, केमिकल ग्रेड तथा सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोन भंडारों की खोज की है। खान विभाग इसकी नीलामी के लिए ब्लॉक विकसित करेगा। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2019-20 में प्रधान खनिज के 11 ब्लॉक्स 585 हैक्टेयर क्षेत्रफल तथा अप्रधान खनिज के 160 ब्लॉक्स की ई-नीलामी की गई। इसी प्रकार 2020-21 मे प्रधान खनिज लाइमस्टोन के तीन ब्लॉक क्षेत्रफल 1244 हैक्टेयर क्षेत्रफल तथा अप्रधान खनिज के 475 प्लॉट क्षेत्रफल 853 हैक्टेयर क्षेत्रफल ई-नीलामी की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। खनिज अन्वेषण को गति देने के लिए 15 सितम्बर 2020 को राज्य खनिज अन्वेषण न्यास के गठन की अधिसूचना जारी की गई।

वित्तीय वर्ष 2021-22 का पहली बार पेपरलेस बजट प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में अप्रधान खनिजों की खोज की गति बढ़ाने हेतु निजी उद्यमियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की घोषणा की। वही निजी खातेदारी भूमि में खातेदार के पंजीकृत (रजिस्टर्ड) सहमति धारक को खनन पट्टा एवं लाइसेंस का आवंटन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार प्रदेश को खनन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता, तकनीक, पारदर्शिता और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नीति के साथ काम करेगी। इस उद्देश्य के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वन विभाग, खान विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों की टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए गए है। राज्य सरकार बेहतर खनिज नीति भी बनाने जा रही है जिससे खनन क्षेत्र में निवेश हेतु अनुकूल वातावरण मिलेगा।

अर्थव्यवस्था की दृष्टि से कृषि क्षेत्र के समान राजस्व आय में महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी निभाने वाली खनिज सम्पदा की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में अहम् भूमिका होती है। खनिज भण्डारों का पता लगाना, उनका वर्गीकरण, खनन की युक्तिसंगत प्रक्रिया तथा इसके परिवहन, विपणन एवं उपयोगिता को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। इस उद्देश्य से राज्य सरकार तथा आवश्यकतानुसार केन्द्र स्तर पर नीति निर्धारण और इसमे परिवर्तन का क्रम चलता है। इसी संदर्भ में कानून बनाने और आवश्यकता के अनुसार इसमे संशोधन भी किए जाते रहे हैं।

राजस्थान में खनिज भंडारों की खोज एवं उत्पादन संबंधी वेबिनार में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने खनन कंपनियों के प्रबंधकों तथा निवेशकों को व्यावसायिक संभावनाओं के लिए आमंत्रित करते हुए बताया कि उदयपुर एवं राजसमंद जिले में देश के 87 प्रतिशत चांदी के भंडार है। जेम्स-ज्वैलरी सेक्टर में प्रदेश का पूरी दुनिया में नाम है। प्रदेश में खनिज भंडारों से चांदी का खनन और उत्पादन होने पर आभूषण निर्यात उद्योग का तेजी से विस्तार होगा। नीति आयोग के अनुसार भारत में 30 हजार मैट्रिक टन चांदी के भंडारों में से 98 प्रतिशत राजस्थान में है। प्रदेश खनन शुरु होने से भारत दुनिया का बड़ा चांदी उत्पादक देश बन सकता है। अभी घरेलू औद्योगिक चिकित्सकीय उपयोग हेतु कुल चांदी का 90 प्रतिशत आयात होता है।•

बजट 2021-22

वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा पर

श्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री की घोषणाएं

18 मार्च, 2021

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

1. मेरे द्वारा 24 फरवरी, 2021 को आगामी वर्ष का बजट प्रस्तुत करते समय प्रदेश में Universal Health Scheme लागू करने की घोषणा की गई थी, जिसका प्रदेशभर में स्वागत हो रहा है। इसका नामकरण **'मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना'** करते हुए मजदूर दिवस 1 मई, 2021 से लागू कर प्रदेश के समस्त परिवारों को 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक Cashless चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी। इस योजना के अंतर्गत 1 अप्रेल, 2021 से वर्तमान में पात्र (NFSA/SECC) लाभार्थियों के अतिरिक्त शेष परिवारों का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया जायेगा।
2. प्रदेश के दूरस्थ इलाकों तक चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु Local entrepreneurs consultation OPD सेवायें प्रदान की जायेंगी।
3. प्रदेश के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, झालावाड़, बारां व भरतपुर के दूरस्थ क्षेत्रों में चयनित खण्डों पर मातृत्व संबंधी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 100 ममता एक्सप्रेस वाहनों का संचालन किया जायेगा।
4. प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए मैं, घोषणा करता हूं कि-

- एका (सांकड़ा)-जैसलमेर में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोला जायेगा।

- पावटा (आहोर)- जालोर, समरा-हम्मीरपुरा (थानागाजी)-अलवर, गोहड़ का तला, बाछड़ाऊ (चौहटन)-बाड़मेर, गढ़मोरा (नादौती), निसूरा (टोडाभीम)-करौली, वाना (भीण्डर)-उदयपुर, खेरली (राजाखेड़ा)-धौलपुर, कीतासर (श्रीडूंगरगढ़)-बीकानेर, पाटन (कुशलगढ़)-बांसवाड़ा, जाटोली रथवान (सेवर)-भरतपुर व आसलपुर एवं बिलोंची-जयपुर के उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- बलाऊ जाटी (कल्याणपुर), खोखसर, बोडवा (गिड़ा)-बाड़मेर, मीना सीमला (सिकराय)-दौसा, घुमनसरकलां (पिलानी), गोठडा (खेतड़ी)-झुंझनूं, पड़ासला (बापिणि)-जोधपुर, दौलतपुरा, रघुनाथगढ़ (पिपराली)-सीकर, सेमलपुर-चित्तौड़गढ़ व बूढ़ी बावल (किशनगढ़ बास)-अलवर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे।
- इसरोदा (तिजारा)-अलवर, भगवानपुरा (माण्डल)-भीलवाड़ा, भिलुड़ा (सागवाड़ा)-डूंगरपुर, अवार (कुम्हेर)-भरतपुर व इस्लामपुर-झुंझनूं के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- सालावास-जोधपुर, पोकरण-जैसलमेर, मकराना, परबतसर-नागौर, बाली-पाली, भिवाड़ी, बहरोड़-अलवर व मांगरोल-बारां के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उप जिला चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- राजकीय चिकित्सालय नवलगढ़-झुंझुनूं को उप जिला चिकित्सालय बनाया जायेगा।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, वल्लभनगर-उदयपुर को सेटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- राजकीय सेटेलाइट अस्पताल, चाकसू-जयपुर को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय, किशनगढ़-अजमेर को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौहटन-बाड़मेर एवं अंता-बारां में ट्रोमा सेंटर स्थापित किये जायेंगे।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खण्डार-सवाई माधोपुर में बेड क्षमता 50 से बढ़ाकर 75, चौथ का बरवाड़ा-सवाई माधोपुर, आसपुर-डूंगरपुर में बेड क्षमता 30 से बढ़ाकर 50, धौरीमन्ना-बाड़मेर, नावां- नागौर व तारानगर-चूरू में बेड क्षमता 50 से बढ़ाकर 75 तथा महुवा-दौसा में बेड क्षमता 50 से बढ़ाकर 100 बेड की जायेगी।

5. आयुर्वेद चिकित्सालय, नोखा-बीकानेर को 'ए' श्रेणी चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।

शिक्षा एवं उच्च शिक्षा

6. आगामी वर्ष में प्रदेश में उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 11वीं व 12वीं कक्षा में 500 से अधिक छात्रायें अध्ययनरत होने पर उस विद्यालय को क्रमोन्नत करते हुए कन्या महाविद्यालय स्थापित किया जायेगा।
7. हदां (कोलायत)-बीकानेर, खरनोर (नाथद्वारा-राजसमंद, रैणी-अलवर, बसवा (बांदीकुई)-दौसा, नोखड़ा (गुढ़ामालानी)-बाड़मेर व ऋषभदेव (खेरवाड़ा)-उदयपुर में राजकीय महाविद्यालय तथा नोखा-बीकानेर में कन्या महाविद्यालय खोले जायेंगे। साथ ही, राजकीय महिला महाविद्यालय, मगरा पूंजला-जोधपुर में भवन निर्माण किया जायेगा।
8. जोधपुर, कोलायत-बीकानेर, बिलाड़ा-जोधपुर व सपोटरा-करौली के राजकीय महाविद्यालयों को स्नातक (यू.जी.) से स्नातकोत्तर (पी.जी.) में क्रमोन्नत किया जायेगा।
9. प्रदेश के महाविद्यालयों में विभिन्न संकाय एवं नये विषय प्रारंभ किये जायेंगे, जो इस प्रकार हैं-

- राजकीय महिला महाविद्यालय, पोकरण-जैसलमेर में विज्ञान संकाय,
- राजकीय महाविद्यालय, सपोटरा-करौली में विज्ञान व कृषि संकाय,
- राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोतरा-बाड़मेर में स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय, कला संकाय में हिन्दी साहित्य एवं समाजशास्त्र विषय व स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल एवं इतिहास विषय,
- डूंगर महाविद्यालय-बीकानेर में स्नातक स्तर पर संगीत व गृह विज्ञान विषय,
- नाथद्वारा पी.जी. कॉलेज में भूगोल विषय व महिला कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य विषय,
- राजकीय महाविद्यालय बयाना-भरतपुर में विज्ञान संकाय,
- राजकीय महाविद्यालय बौंली (बामनवास)-सवाई माधोपुर व दूदू-जयपुर में वाणिज्य संकाय,
- राजकीय महाविद्यालय, बस्सी-जयपुर में कला संकाय में समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान एवं संस्कृत विषय,
- राजकीय कन्या महाविद्यालय, सादुलशहर-श्रीगंगानगर में

स्नातकोत्तर स्तर पर राजनीतिक विज्ञान, इतिहास तथा पंजाबी विषय चालू होंगे।

- राजकीय महाविद्यालय, जैसलमेर में स्नातकोत्तर हेतु वाणिज्य (व्यावसायिक प्रशासन) विषय व महिला महाविद्यालय, जैसलमेर में स्नातकोत्तर में समाजशास्त्र विषय प्रारंभ किये जायेंगे।

10. राजकीय बालिका विद्यालय, धोद-सीकर में छात्रावास बनाया जायेगा।

11. वल्लभनगर-उदयपुर में राजकीय विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित करते हुए छात्रावास बनाया जायेगा। इस पर 5 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

12. भुसावर-भरतपुर, डूंगरपुर, भरतपुर, नारायणपुर (बानसूर)-अलवर तथा गंगरार (बेगूं)-चित्तौड़गढ़ में छात्रावास खोलें जायेंगे।

13. प्रदेश के 34 राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों को राजकीय प्रवेशिका विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित हैं, जो इस प्रकार हैं-

क्र.सं.	राजकीय उच्च प्राथतिक संस्कृत विद्यालय का नाम	जिला
1.	विजयनगर (मसूदा)	अजमेर
2.	कंगालहाथा (उमरैण)	अलवर
3.	भोपाबास-केसरोली (रामगढ़)	
4.	भीखाहेडी खेड़ा मंगलसिंह (लक्ष्मणगढ़)	
5.	किशोरी (थानागाजी)	
6.	राबड़ियों की ढ़ाणी (किशनगढ़ बास)	
7.	फलायथा (अंता)	बारां
8.	रामनगर (रामनगर)	
9.	डहरा (डीग-कुम्हेर)	भरतपुर
10.	चिकसाना (सेवर)	
11.	सेवर (सेवर)	
12.	टोडा-ठेकला, जागा, बस्ती, लालसोट	दौसा
13.	बागावास (नांगल राजावतान)	
14.	धौर्र (बसेड़ी)	धौलपुर
15.	बरैठा कलां (राजाखेड़ा)	
16.	बडबीराना (नोहर)	हनुमानगढ़
17.	भिरानी (भादरा)	
18.	त्रिलोकी नाथपुरा (चाकसू)	जयपुर
19.	आंतेला (विराट नगर)	
20.	खेजरोली (गोविन्दगढ़)	
21.	श्रीरामपुरा (झोटवाड़ा)	
22.	अमरसागर (जैसलमेर)	जैसलमेर
23.	माण्डोली नगर (जसवंतपुरा)	जालोर
24.	परसरामपुरा (झुन्झुनूं)	झुन्झुनूं
25.	जुनी मण्डी, कन्हैया कॉलोनी, गुरों का तालाब	जोधपुर
26.	पीहबख्तावरपुरा (परबतसर)	नागौर
27.	भोजा ठाकुर का बाड़िया (भीम)	राजसमन्द
28.	रामपुरा (खण्डेला)	सीकर
29.	सांवलपुरा (अलोदा)	
30.	रूपनगर (चौथ का बरवाड़ा)	स.माधोपुर
31	ढाणी देहरा (बामनवास)	
32.	यज्ञ के बालाजी आवासन मण्डल (टोंक)	टोंक
33.	भातड़िया (मीणों की झोपड़िया) (उनियारा)	
34.	पुराना खेड़ा (मालपुरा)	

14. प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों में जहां उर्दू भाषा का अधिक प्रचलन है, छात्र-छात्राओं को सुव्यवस्थित तरीके से उर्दू भाषा के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी। इसके लिए-

- राज्य स्तर पर शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत उर्दू शिक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी।
- जिन क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर तक 20 छात्र-छात्राएं उर्दू में शिक्षा प्राप्त करने हेतु नामांकित होंगे, वहां प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू अध्यापक का पद सृजित किया जायेगा।
- छठी व उससे उच्च कक्षाओं में 10 से अधिक विद्यार्थी होने पर उर्दू शिक्षक की पूर्ववत व्यवस्था जारी रखते हुए उर्दू शिक्षकों के सृजित 444 पदों को बढ़ाकर 1 हजार किया जाना प्रस्तावित है।

कृषि

15. उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 2 लाख टन यूरिया तथा एक लाख टन डीएपी के अग्रिम भंडारण हेतु 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।

16. किसानों को मण्डी प्रांगण में कृषि जिन्सों के विक्रय हेतु प्रोत्साहन स्वरूप पूर्व में संचालित **'कृषक उपहार योजना'** को संशोधित स्वरूप में पुन: प्रारंभ किया जायेगा। इस योजनान्तर्गत मण्डी स्तर पर प्रत्येक 3 माह में 50 हजार रुपये, खण्ड स्तर के नकद पुरस्कार दिये जायेंगे।

17. रूपनगढ़-अजमेर में नवीन कृषि उपज मण्डी स्थापित की जायेगी।

18. पीथमपुरी (नीमकाथाना)-सीकर व झिलाई (निवाई)-टोंक में कृषि महाविद्यालय खोले जायेंगे।

पशुपालन

19. पाडवा (सागवाड़ा)-डूंगरपुर में पशु चिकित्सालय खोला जायेगा। साथ ही, पशु चिकित्सालय, सिनसिनी (डीग)-भरतपुर को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।

जनजाति क्षेत्रीय विकास

20. राज्य में डूंगरपुर, कुशलगढ़-बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं उदयपुर आईटीआई परिसरों में निर्मित कौशल विकास केन्द्र के भवनों में नये Vocational Course प्रारंभ करते हुए आईटीआई इकाइयों के रूप में विस्तार किया जायेगा।

अल्पसंख्यक

21. मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत 25 करोड़ रुपये से मदरसों की आधारभूत संरचना का विकास, कम्प्यूटराइजेशन, Furniture व अन्य सुविधाओं का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित है।

युवा, रोजगार एवं श्रम

22. Young Intern Yojana में चयन के साथ-साथ कतिपय राजकीय पदों पर Campus Interview के माध्यम से नियुक्ति का प्रावधान किया जायेगा। इसी के साथ, विषय-विशेषज्ञों की नियुक्ति हेतु भी खान, चिकित्सा, विश्वविद्यालय आदि के चिन्हित पदों के लिए Lateral Entry का प्रावधान प्रस्तावित है, जिससे अनुभवी विशेषज्ञों का लाभ राज्य को प्राप्त हो सके।

23. राशन डीलर्स के आश्रितों को अनुकम्पात्मक डीलरशिप प्रदान किये जाने की शर्तें यथा-पौत्र, पौत्री व पुत्रवधू को शामिल करना एवं अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से बढ़ाकर 55 वर्ष करना, इत्यादि प्रावधान करते हुए सरलीकरण किया जायेगा।

24. वर्तमान समय में भी ऐसी स्थिति देखने में आती है कि Trained Professionals एवं कामकाजी महिलायें शादी के बाद घर-परिवार संभालने के लिए काम छोड़ देती है। आगामी 3 वर्षों में ऐसी 15 हजार महिलाओं को पुनः JOB दिलवाने /work from home की opportunity उपलब्ध कराने की दृष्टि से निजी क्षेत्र के सहयोग से Back to Work योजना प्रारंभ की जायेगी।

25. प्रदेश की NCC कैडेट वसुंधरा चौहान द्वारा पेश की गई बहादुरी की मिसाल के चलते उन्हें पुलिस में उप निरीक्षक पद पर नियुक्त किया गया है। राज्य के युवाओं को NCC की ओर प्रेरित करने के लिए NCC Training Centres का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। साथ ही, प्रतिवर्ष NCC के 2 शिविर अनिवार्य रूप से आयोजित किये जायेंगे। इस कार्य हेतु 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

26. प्रदेश के युवाओं को वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु तैयार करने के लिए 100 एथलिटों का कैम्प लगाकर उनमें से 20 का चयन किया जायेगा। इन चयनित 20 एथलिटों को 3 वर्ष तक CSR के माध्यम से अन्तरराष्ट्रीय स्तर की निःशुल्क Training दिये जाने के साथ-साथ अन्य खर्चे वहन किये जायेंगे।

27. स्पोर्ट्स व अन्य चयनित क्षेत्रों में Startups को promote करने के लिए Private Sector के सहयोग से Challenge Events का आयोजन किया जायेगा। इन Events में चयनित Startups को Venture Cap व Angel Funds द्वारा स्वीकृत राशि के बराबर राज्य सरकार द्वारा Matching Share दिया जायेगा।

28. केकड़ी-अजमेर में खेल स्टेडियम का निर्माण करवाया जायेगा। साथ ही, बिछीवाड़ा-डूंगरपुर में मिनी स्टेडियम बनाया जायेगा।

29. कानोड (वल्लभनगर)-उदयपुर, भीम-राजसमंद में आईटीआई व मण्डोर-जोधपुर में महिला आईटीआई खोले जायेंगे।

सहकारिता

30. पैक्स/लैम्प्स के कार्यों का सुगम एवं पारदर्शी बनाने हेतु चरणबद्ध रूप से इनका कंप्यूटराइजेशन किया जायेगा। इसके लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।

सार्वजनिक निर्माण

31. प्रदेश में विभिन्न सड़कों के निर्माण, रिपेयर व डामरीकरण के कार्य करवाये जायेंगे, जो इस प्रकार हैं-

- किशनगंज से मांगरोल वाया रामगढ़ (बारां) सड़क का चौड़ाईकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य,
- अंता से सीसवाली (बारां) सड़क को चौड़ाईकरण का कार्य,
- टोड़ी लुहारान से वाया थानागाजी किशोरी (अलवर) तक सड़क का निर्माण,
- चिड़ावा-अरडावता-सुल्ताना (झुंझुनूं) की सड़क का डामरीकरण व चौड़ाईकरण का कार्य,
- टहुंका से भीम वाया बागोर-बेमाली-ज्ञानगढ़ (मांडल)-भीलवाड़ा सड़क का नवीनीकरण व चौड़ाईकरण,
- केकड़ी शहर-अजमेर में देवली-नसीराबाद रोड (SH-26) पर बाईपास का निर्माण,
- झालामरिया से गोदावास (पाली) में सड़क का डामरीकरण,
- सवाई माधोपुर में शहर तिराहे से रामद्वारा तक बाईपास का निर्माण,
- एन.एच.-21 बालाहेड़ी पुलिस चौकी से एन.एच. 921 वाया हुड़ला बलीन रसीदपुर, राजगढ़ रोड (महुवा)-दौसा के चौड़ाईकरण का कार्य,
- छाणी-मगरी (सागवाड़ा) से ओबरी रोड तक 6 किलोमीटर सड़क का निर्माण,
- डोजा से डोलवर (आसपुर) व डोलवर से कहारी (आसपुर) सड़क का नवीनीकरण व सुदृढ़ीकरण,
- चितरी-गरीयाता-चिखली (सागवाड़ा) तक सड़क का नवीनीकरण,
- सिहानिया से पनोरिया (चौहटन)-बाड़मेर 20 किलोमीटर सड़क का सुदृढ़ीकरण का कार्य,
- पुष्कर से गोविंदगढ़ (अजमेर) वाया ग्राम नांद स्टेट हाईवे रोड की मरम्मत व सुदृढ़ीकरण,
- खोदरीबा से टोडा जयसिंहपुरा आसन रेडिया upto गुढ़ा कटला सड़क (थानागाजी) का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण,
- खंडेला-सीकर में फतेहपुर भोमियां से गुरारा तक सड़क निर्माण व दुल्हेपुरा से कंचनपुर वाया जाटबाबा सड़क का निर्माण,
- सिरोही में मोहब्बत नगर से नून-मडिया-हालीवाड़ा से सिलदर सड़क व कैलाशनगर-सिरोही से जालोर सीमा तक सड़क का चौड़ाईकरण का कार्य,
- करौली में मांढई मोड़ से सिलपुरा से वाया पालनपुर तक सड़क का निर्माण,
- बूटाटी-नागौर को जोड़ने वाली सड़क व बाड़मेर से गुढ़ामालानी वाया गरल-मालपुरा, रानासर खुर्द सड़क का डामरीकरण सुदृढ़ीकरण, तथा
- नारेहड़ा (कोटपूतली)-जयपुर में 140 करोड़ रुपये की लागत से बाईपास का निर्माण करवाया जायेगा।
- भोपालगढ़ के मुख्य सम्पर्क सड़क मार्ग कड़वासरों की ढाणी फांटा से वाया रजलानी, हीरादेसर हेतु हाईवे खेड़ापा (एन.एच. 65) तक 45 किलोमीटर तक को राजमार्ग घोषित किया जायेगा।

32. राज्य में सड़क तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु केन्द्रीय सड़क एवं आधारभूत संरचना निधि (CRIF) के अंतर्गत राज्यमार्ग एवं मुख्य जिला सड़कों के नवीनीकरण, चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा उच्च स्तरीय पुल, आरओबी निर्माण हेतु लगभग 1 हजार 535 करोड़ रूपये से 1 हजार 140 किलोमीटर के कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं, जो इस प्रकार हैं-

क्र. सं.	जिला	सड़क कार्य का नाम	लम्बाई (कि.मी. में)	अनुमानित लागत (रु. लाख में)
1.	अलवर	रोहरा से बारा भदकोल सडक वाया रानी माचडी सड़क (एमडीआर-151) (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़)	22	1426
2.		गुढाकिशोरी सिद्ध का तिबारा छिरी नटाटा सड़क (स्टेट हाइवे-55) (थानागाजी)	13	1631
3.		टहला राजगढ़ गढ़ी सवाईराम सड़क (स्टेट हाइवे-25 ए) (थानागाजी)	18	894
4.		एमडीआर-138 से स्टेट हाइवे-14 (गोपीपुरा) से जसई हरियाणा बार्डर तक वाया उलाहेड़ी नांगल उदिया बीजवाड़ चौहान (मुंडावर)	13	978
5.		कोटकासिम टपूकड़ा हरियाणा बार्डर सड़क (स्टेट हाइवे-108) (तिजारा)	10	686
6.	बांसवाड़ा	भटार भैंरूजी मन्दिर से नाहरपुरा रोड़, कानेला एमडीआर 125 डामर सड़क (गढ़ी बागीदौरा)	13	949

7.		घाटोल-गनोड-पलोद-गढ़ी-आंनदीपुर गुजरात सीमा तक सड़क (घाटोल)	18.00	3975
8.		माण्डली-धम्बोला-भीलुड़ा-गढ़ी-कुशलगढ़ मध्यप्रदेश सीमा तक सड़क पर पुलिया निर्माण (कुशलगढ़)	-	1900
9.	बारां	बामुलिया बदवा जयनगर बारां सड़क (एमडीआर-126) (अंता)	8.16	1454
10.	बाड़मेर	गुढ़ामलानी रतनपुरा जालौर सड़क (स्टेट हाइवे-16 बी) (गुढ़ामलानी)	13	1923
11.		शिव पाटौदी वाया फलसूण्ड शेरगढ़ एसएच 65 (बायतु)	14	420
12.		बालोतरा जसोल सिगली जागीर (पचपदरा)	9	720
13.	भरतपुर	कुम्हेर से सोंख सड़क (स्टेट हाइवे-44 ए डीग, कुम्हेर)	12	1754
14.		गुलपाड़ा अमरू जुरहरा सड़क (एमडीआर-50) (कामां)	17.3	1664
15.	भीलवाड़ा	गुराला से मांडलगढ़ रोड़ वाया, गडरमाला, जावसिया, बड़ोद, हमीरगढ़, मंगरोप, जिटा, बदिलियास बरुंदनी (माण्डलगढ़)	34.8	1870
16.	बून्दी	गेण्डोली-झालीजी काबराना-कालीतलाई-बोरदामाल-कापरेन सड़क (केशोरायपाटन)	17.15	3430
17.	चूरू	भादरा से साहवा (एमडीआर 36) (तारानगर-भादरा)	24	3000
18.		तारानगर से एन.एच. 52 वाया हड़ियाल (एमडीआर-97) (तारानगर)	26	2400
19.	दौसा	रोहरा (एन.एच. 11ए) से बारा भदकोल वाया भीषणपुरा निमाली देलारी आभानेरी पुण्डरपुरा अलियापाड़ा माहूखेड़ा भाजेडा रैनी माचाड़ी (एमडीआर-151) (बांदीकुई)	145	1840
20.	धौलपुर	बाड़ी सैपऊ खेड़ागढ़ सड़क स्टेट हाइवे 42 पर सम्बरसेबल ब्रिज (धौलपुर)	-	800
21.	हनुमानगढ़	भटिण्डा-सूरतगढ़ रेल्वे सेक्शन (एलसी नं-सी-85, हनुमानगढ़-सूरतगढ़ सड़क (एसएच-94) पर चारलेन आरओबी निर्माण पीलीबंगा)	-	6500
22.	जयपुर	पावटा नरेदा सड़क से अलवर जिले की सीमा वाया मंगलवाल प्याउ बगरावाली ढाणी ढालडा उशपुरिया प्रगापुरा एवं प्रगापुरा पाचुडालव से अलवर सीमा (विराटनगर)	25	3973
23.		बहरोड़ से ताला वाया बानसूर, नारायणपुर, थानागाजी सड़क (जमवारामगढ़)	19	1593
24.	जालोर	सांचौर रानीवाड़ा मंदार रोड़ (SH-11) (सांचौर-रानीवाड़ा)	40.00	2700
25.		सांचौर-बकासर वाया भावतरा (एमडीआर-17) (सांचौर)	13.00	650
26.		भीनमाल से सरवाना वाया करडा सांचौर-डाबल-बिचावरी (एमडीआर-17 ए) (सांचौर)	23.00	2300
27.	झालावाड़	सिंगल लेन से डबल लेन तक चौडाईकरण और बाकानी भूमाडा रायपुर देवलखेडा मथानिया ओसाव पिराव रामनगरिया पटपारा की मजबूती। (ओसाव से एम.पी. बॉर्डर सेक्शन (झालरापाटन डग)	30.50	9150.00
28.		कलमोडिया हरनवाडा मनोहरथाना राजगढ़ रोड म.प्र. सीमा तक MDR-176 (मनोहरथाना)	35.00	6825.00
29.		एसएल से डीएल रायपुर आजमपुर दुबलीया मोमारी खेरी चचलाओ पोखरी गुणवाडी कंवारी भलवाड़ा भीलवाड़ी उदयपुरिया से झालावाड़ जिला सीमा सड़क (झालरापाटन, डग)	34.95	9759.00
30.	झुंझुनू	बिसाऊ-मंड्रेला-पिलानी-लुहारू सड़क (एमडीआर-82) (पिलानी)	24	2200
31.		चिड़ावा-सुलताना-गोवला-भाटीवाड-केड-कांकडिया-बागोरी-सराय सड़क (एमडीआर-160) (उदयपुरवाटी)	44	3500
32.		धनानी-लक्ष्मणगढ़-नवलगढ़-छावरा-खरखरा-खेतडी-हरियाणा बॉर्डर सड़क (नवलगढ़-गुढ़ा सेक्शन) (नवलगढ़)	17	2200
33.	जोधपुर	झालमण्ड गुढा खारा वैरा पुरोहितान सडक मय जोझारी नदी पर मेजर पुल (लूणी)	14	1763
34.		सरदार समन्द से खेडापा वाया चौपडा, लनेरा हुणगांव, ओलवी रोड (बिलाडा)	17	1600
35.		शिव पाटौदी वाया फलसूण्ड शेरगढ एसएच 65 (शेरगढ)	14	1200
36.	करौली	करणपुर मण्डरायल-चन्देलीपुरा सड़क (एमडीआर-03ए) (सपोटरा)	34	4209
37.		मण्डरालय करौली हिण्डौन सड़क (स्टेट हाइवे 22) (सपोटरा)	18	1783
38.		श्रीमहावीर जी बालघाट मोहनपुरा करीरी जोधपुरा खीरखीरी (कदमखुण्डी घासीराम बाबा का स्थान) भैसापट्टी खुर्द भनकपुरा बालाहेडी मोड से बालाहेडी बेर खेड़ा उकरून्द मोड़ से स्टेट हाईवे 22 से (एमडीआर-223) (टोडाभीम/हिण्डौन)	15	1675

39.		करनपुर-कैलादेवी सड़क एमडीआर-3 (सपोटरा)	34	1733
40.	कोटा	पलायथा-राजगढ़-कुदनपुर-सांगोद सड़क एमडीआर-88 पर उच्च स्तरीय पुल मय एप्रोच रोड (सांगोद)	HLB	2624
41.		चेचट अलोद एकलिंकपुरा रावतभाटा सड़क एमडीआर-110 (अलोद) जिला सीमा तक (रामगंजमण्डी)	10.3	2500
42.	नागौर	सतुर एनएच-12 से मूण्डवा एसएच-39 वाया जहाजपुर-शाहपुरा-विजयनगर-ब्यावर-मेड़ता सिटी (मेड़ता/खींवसर/नागौर)	61.2	6120
43.		नागौर-बासनी-भेड-बैराथल-पांचलसिद्धा सड़क (खींवसर)	32	2560
44.		खाटू से पांचलसिद्धा वाया कुचेरा-संखवास-जोरावरपुरा (मुदियाड़ से जोरावरपुरा भाग) (नागौर)	16	1280
45.	पाली	बिलाड़ा सोजत मारवाड़ जक्शन (सोजत)	14.00	1400.00
46.		सरदार समंदर-पाली-रमिस्य-नाडोल-देसुरी सड़क (पाली, सुमेरपुर)	18.00	1800.00
47.	सीकर	हसमपुर से अजीतगढ़ वाया हल्थीदेह (एमडीआर-114) (श्रीमाधोपुर)	36.4	3475
48.		निम्बीजसेधा-लक्ष्मणगढ़ सड़क एमडीआर 180 (लक्ष्मणगढ़)	14	1213
49.		चौमूं-चूरू सड़क एसएच-37 के अजीतगढ़ से श्रीमाधोपुर सैक्शन (श्रीमाधोपुर)	24	1904
50.		आन्तेला-खण्डेला-गोरिया-जीणमाता-रलावता एसएच-83 (दांतारामगढ़)	23.5	2373
51.		खुडी-कूदन-दांदिया सड़क एमडीआर-87 (धोंद)	10	1125
52.	टोंक	टोंक-कोटा वाया नगर-नैनवा-केशोरायपाटन सड़क (एसएच-34) का (टोंक-नगर फोर्ट अनुभाग) (टोंक-देवली-उनियारा)	32.25	1813
53.		उनियारा-पिलाई-दूनी आवा सड़क (पलाई नगर दूनी सैक्शन एसएच-34ए) का (देवली-उनियारा)	14	1633
54.		उनियारा-पिलाई-दूनी आवा सड़क (नगर दूनी सैक्शन एसएच-34ए) का (टोंक-नगर फोर्ट अनुभाग) (टोंक-देवली-उनियारा)	21.5	2436
55.		धोली-कंडीला-कलमाण्डा-नानेर-जनवाली-गहलोद-टोंक सड़क एमडीआर-205 पर उच्च स्तरीय पुल (टोंक, निवाई)	3.5	13474
56.		दूदू-मालपुरा-टोड़ा-खरेड़ा-छान-साखना-नगर-नैनवा-केशोरायपाटन सड़क एसएच-37ए (टोंक)	16.4	1754
57.		झिरना-टोडारायसिंह-केकड़ी सड़क एसएच-116 (मालपुरा)	10.3	1300
58.	उदयपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 भंवरासिया से मोडी बाठेडा अडिन्दा कुराबड (उदयपुर) तक सड़क (वल्लभनगर)	16	1400
59.		राजोल से कल्याणपुर (एसएच-53) (कीर की चौकी भींडर सलूम्बर कल्याणपुर) (खैरवाड़ा)	15	1450

33. निवाई-टोंक में सार्वजनिक निर्माण विभाग का Ex. En. Office खोला जायेगा।

ऊर्जा

34. बाखासर (चौहटन)-बाड़मेर में 33 केवी जीएसएस स्थापित किया जायेगा।

उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य

35. राज्य में Self Help Groups, Rural Artisans तथा विभिन्न Handicrafts से जुड़े कारीगरों को तकनीकी प्रशिक्षण, business Enterprise से संबंधित Skills उपलब्ध कराने एवं Marketing Linkage/Resoure Mobilisations में समुचित सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से Rajasthan Centre of Crafts and Design Management स्थापित करना प्रस्तावित है। इस हेतु 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

ऐसे व्यक्तियों एवं संस्थाओं को प्रोत्साहन देने के लिए इस प्रकार, निर्मित उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की बिक्री e-बाजार Online Platform के माध्यम से करने की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी। इनके तथा राज्य में पंजीकृत MSME के उत्पादों की e-बाजार के माध्यम से राजकीय विभागों द्वारा 10 लाख रुपये तक की खरीद बिना Tender की जा सकेगी।

36. बुचारा (पावटा)-जयपुर में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जायेगा।

पेयजल एवं जल-संरक्षण

37. अमरसिंह ब्रांच व सिद्धमुख नहर (हनुमानगढ़) के मरम्मत कार्य व बकाया खालों के निर्माण कार्य किये जायेंगे।

38. जलदा माइनर (बागीदौरा)- बांसवाड़ा का निर्माण करवाया जायेगा।

39. कल्याणपुरा (लालसोट)-दौसा में मोरेल नदी पर एनिकट का निर्माण किया जायेगा। साथ ही, खोरापाड़ा (लालसोट)-दौसा में Flood Control Structures का निर्माण करवाया जायेगा।

40. डूंगरपुर में भिलुडा-जेठाना-सागवाड़ा क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने की दृष्टि से माही नदी पर एनिकट बनाया जायेगा। साथ ही, बारीगामा केनाल (बागीदौरा)-बांसवाड़ा के नवीनीकरण एवं बांध निर्माण का कार्य करवाया जायेगा।

41. मेरे द्वारा वर्ष 2019-20 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ईसरदा बांध से दौसा तथा सवाईमाधोपुर जिलों को पेयजल उपलब्ध करवाने की घोषणा की गयी थी। परियोजना के State Share के लिए वित्तीय संस्था AFD के माध्यम से ऋण लेने की कार्यवाही आरंभ की गई थी। यदि AFD से ऋण मिलने में समय लगा, तो इस योजना की महत्ता को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर State Fund से State Share के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध कराते हुए कार्य बिना विलंब के प्रारंभ कराये जायेंगे।

42. फलोदी- जोधपुर में बारू-धोलिया-टेपू-टेकरा-राणेरी-सिंहडा-मोडकिया पेयजल योजना शुरू की जायेगी।

43. सिकराय-दौसा में Ex. En. (PHED) कार्यालय खोला जायेगा।

44. रावतभाटा (बेगूं)-चित्तौड़गढ़ में जल संसाधन विभाग के (ई-रेक्टर) गेस्ट हाउस की मरम्मत व जीर्णोद्धार किया जायेगा।

नगरीय विकास एवं स्थानीय निकाय

45. डोलमेला तालाब-बारां के 20 करोड़ रुपये की लागत से सुदृढ़ीकरण व सौन्दर्यीकरण के कार्य किये जायेंगे।

46. सवाई माधोपुर में टाउन हॉल का निर्माण किया जायेगा।

47. जोधपुर में बालसमंद नागादडी ऑवर फ्लो नाला-मण्डोर से फूलबाग चतुरावता बेरा तक नाले की मरम्मत एवं नवीन नाले का निर्माण किया जायेगा।

48. फतेहपुर-सीकर में बरसाती पानी व गंदे पानी की निकासी से संबंधित कार्य करवाये जायेंगे।

पर्यटन, कला एवं संस्कृति

49. हमारे द्वारा वर्ष 2013 में प्रारंभ मुख्यमंत्री वृद्धजन तीर्थ यात्रा योजना के माध्यम से वर्तमान में 10 हजार वृद्धजनों को प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा करवायी जाती है। इसका विस्तार करते हुए आगामी वर्ष से प्रतिवर्ष 20 हजार पात्र वृद्धजनों को इस योजना का लाभ दिया जायेगा।

50. प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से विभिन्न जिलों में बनायी गयी हवाई पट्टियों का उपयोग करते हुए निजी सहभागिता से रीजनल कनेक्टिविटी, फ्लाईंग क्लब तथा विमानन सेवाओं का व्यापक प्रचालन किया जाना प्रस्तावित है।

51. उल्कापिण्ड निर्मित जुरासिक कालीन रामगढ़ क्रेटर (बारां), देश के तीन क्रेटरों में से एक है, जो कि विश्व भू विरासत है। साथ ही यहां पर 10वीं शताब्दी के खजुराहो शैली के विभिन्न मंदिर भी हैं। इस स्थल के जीर्णोद्धार एवं अन्य आधारभूत कार्य कराकर इसे जियो हेरिटेज पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा।

52. कलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए Rajasthan School of Arts में आवश्यक पदों का सृजन करते हुए आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

53. राज्य के अलवर, बूंदी, बारां, चित्तौड़गढ़ व भरतपुर स्थित राजकीय संग्रहालयों को Digital संग्रहालयों के रूप में विकसित किया जायेगा।

54. श्री गलता जी तीर्थ-जयपुर को धार्मिक पर्यटन सर्किट में शामिल किया जायेगा। साथ ही, मनसा माता मंदिर (उदयपुरवाटी)-झुंझुनूं को शेखावाटी पर्यटन सर्किट में शामिल किया जायेगा।

परिवहन

55. चाकसू-जयपुर में उप जिला परिवहन कार्यालय खोला जायेगा।

विधि

56. भणियाना-जैसलमेर, चौथ का बरवाड़ा-सवाईमाधोपुर, सैपऊ, बसेडी-धौलपुर, भोपालगढ़-जोधपुर, उच्चैन-भरतपुर व आनंदपुरी (बागीदौरा)-बांसवाड़ा में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय (CJJM) खोले जायेंगे। बिछीवाड़ा-डूंगरपुर में ACJJM कोर्ट खोला जायेगा। साथ ही, अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय कैम्प कोर्ट कुचामन सिटी-नागौर व अपर जिला एवं सेशन न्यायालय 3 संख्या-2 शिविर बेगूं-चित्तौड़गढ़ को स्थायी किया जायेगा।

57. निवाई-टोंक व नगर-भरतपुर में अपर जिला एवं सैशन न्यायालय खोले जायेंगे।

गृह

58. भ्रष्टाचार के विरूद्ध Zero Tolerance की नीति के प्रभावी

क्रियान्वयन हेतु ACB द्वारा आमजन को Toll Free Helpline Number 1064 एवं Whatsapp Helpline Number 9413502834 पर भ्रष्ट लोकसेवकों के खिलाफ शिकायत करने की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। पिछले 2 वर्षों में ACB ने सराहनीय कार्य करते हुए छोटे से लेकर बड़े भ्रष्ट राजसेवकों के विरूद्ध कार्यवाही की है। अक्सर परिवादी की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण भ्रष्टाचारियों के विरूद्ध ट्रैप कार्यवाहियां सफल नहीं हो पाती। इसके लिए ACB की ट्रैप कार्यवाहियों में परिवादियों को पूर्ण सहयोग दिये जाने की दृष्टि से 1 करोड़ रुपये के Revolving Fund की स्थापना नियम बनाकर की जायेगी।

59. प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराधों की प्राथमिकता से जांच कर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करवाने के लिए महिला थानों, Anti Human Trafficking Units (AHTU) एवं Special Investigation Unit for Crime Against Women (SIUCAW) को एक Umbrella में लाते हुए वर्तमान में सृजित उप अधीक्षक पद को क्रमोन्नत करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद के अधीन किया जायेगा।

60. देश के अन्य भागों के साथ-साथ प्रदेश में Multi State Credit Cooperative Societies यथा आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी, संजीवनी सोसायटी आदि द्वारा किये गये घोटालों से लाखों जमाकर्ताओं (Depositors) को अपनी गाढ़ी कमाई से हाथ धोना पड़ा है। इन घोटालों से (Depositors) को हुए नुकसान को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श कर हमारी सरकार द्वारा शिकायतों के निस्तारण के लिए 33 DJ Designated Courts का गठन किया गा है, FIR दर्ज कर कड़ी कार्यवाही की जा रही है एवं सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किये गये हैं। अभी भी केन्द्रीय रजिस्ट्रार से स्वीकृत 74 ऐसी Societies कार्यरत हैं, जो कि हमारे लिए चिन्ता का कारण है। भविष्य में ऐसे घोटालों व अनियमितताओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिए रजिस्ट्रार, कॉपरेटिव के अधीन सहकारिता, विधि तथा पुलिस के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए Vigilance Authority का गठन किया जायेगा। इस Authority के माध्यम से वर्ष में 2 बार इन Credit Societies एवं उनकी Book of Accounts करवाया जाना प्रस्तावित है।

61. प्रदेश में आपराधिक प्रकरणों के समयबद्ध एवं प्रभावी अनुसंधान हेतु वर्तमान में सृजित सहायक उप निरीक्षक के 6 हजार 323 पदों को, कांस्टेबल पदों के क्रमोन्नयन से, बढ़ाकर 10 हजार किया जाना प्रस्तावित है।

62. उनियारा-टोंक व रायथल-बूंदी में नवीन पुलिस चौकियां खोली जायेंगी। साथ ही, भीरानी-हनुमानगढ़ पुलिस थाने को सीआई स्तर थाने में क्रमोन्नत किया जायेगा।

63. बहतुकला (देवी धौलागढ़) कठूमर-अलवर में पुलिस थाना खोला जायेगा। साथ ही, पुलिस चौकी रायसर (जमवारामगढ़)-जयपुर को पुलिस थाने में क्रमोन्नत किया जायेगा।

राजस्व

64. देशनोक-बीकानेर, बोरून्दा (बीलाडा), गुडा विश्नोईयां (लूणी)-जोधपुर, बाटाडू (बायतू)-बाड़मेर, डूंगराना (भादरा)-हनुमानगढ़ व ताला (जमवारामगढ़)-जयपुर में उप तहसील कार्यालय खोले जायेंगे।

65. उप तहसील मण्डावा-झुंझुनूं, सांजु (डेगाना)-नागौर, सेतरावा (लोहावट)-जोधपुर व गामड़ी-आहाड़ा-डूंगरपुर को तहसील में क्रमोन्नत किया जायेगा। साथ ही, नोखड़ा (गुढ़ामालानी)-बाड़मेर को तहसील बनाया जायेगा।

66. आबूरोड़-सिरोही, मण्डावर-दौसा, उच्चैन (नदबई)-भरतपुर व पावटा (विराटनगर)-जयपुर में उपखण्ड कार्यालय खोले जायेंगे।

साथ ही, जोधपुर (उत्तर) व जोधपुर (दक्षिण) उपखण्ड कार्यालय स्थापित किये जायेंगे।

कार्मिक कल्याण

67. मैंने, कोविड काल में अधिकारियों-कर्मचारियों से मिले अभूतपूर्व सहयोग को ध्यान में रखते हुए, उनके डेफर किए गए वेतन को release कर दिया है। अब मैं, राजकीय अधिकारियों-कर्मचारियों को देय उपार्जित अवकाश के एवज में नकद भुगतान की स्वीकृतियां जारी करने की घोषणा करता हूं।

68. यद्यपि प्रदेश में नये संस्थानों, कार्यालयों एवं अन्य इकाइयों के भवन निर्माण हेतु काफी प्रस्ताव प्राप्त होते हैं लेकिन पुरानी Buildings की तरफ समुचित ध्यान नहीं जा पाता। इस हेतु Building Infra Maintenance Fund बनाया जायेगा। प्रदेश में ऐसे जन उपयोगी भवन जिनको मरम्मत की अति आवश्यकता है, उनका Survey कराकर इस Fund के माध्यम से आगामी 2 वर्षों में 500 करोड़ रुपये के कार्य करवाये जायेंगे।

69. राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा (RRDS), हैडमास्टर, स्कूल व्याख्याता आदि की पदोन्नति संबंधी समस्याओं का अतिरिक्त प्रमोशनल पद सृजित कर समाधान किया जायेगा। इसी प्रकार, प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी व अधिकारी संगठनों यथा-पटवारी, मंत्रालयिक, कांस्टेबल इत्यादि की मांगों का, अन्य राज्यों में प्रचलित व्यवस्थाओं से तुलनात्मक अध्ययन व विश्लेषण कर अनुशंसा करने हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा।

70. हमारे द्वारा प्रदेश में EWS आरक्षण की पात्रता का सरलीकरण करते हुए आय की सीमा 8 लाख रुपये वार्षिक की गयी थी तथा सम्पत्ति आधारित शर्तों को हटा दिया गया था। अब मैं, EWS आरक्षण में भी अन्य वर्गों के समान आयु सीमा व फीस में छूट प्रदान करने की घोषणा करता हूं।

71. प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत मानदेयकर्मियों यथा-आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, प्रेरक, मिड-डे मील कुक हेल्पर, लांगरी, ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत सहायक, शिक्षाकर्मी, पैराटीचर्स आदि व REXCO कर्मियों द्वारा राजहित में विशेष सेवायें दी जा रही हैं। कोरोना काल में भी इन कार्मिकों ने विशेष योगदान दिया है। इन मानदेय कर्मियों व REXCO कर्मियों के मानदेय में 10 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।

72. चिकित्सा, स्वास्थ्य, पुलिस, जेल, सफाई व्यवस्था आदि से जुड़े कोरोना वारियर्स की कोरोना से मृत्यु होने पर Ex-gratia के रूप में 50 लाख की राशि दिये जाने का प्रावधान है। कोरोना काल के दौरान राशन डीलर्स व पत्रकारों ने भी महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। अत: मैं कोरोनाकाल के प्रारंभ से राशन डीलर्स व पत्रकारों को भी Ex-gratia राशि दिये जाने की घोषणा करता हूं।

वित्त एवं कर

73. आबकारी विभाग से सम्बन्धित बकाया मांग एवं विवादित न्यायिक प्रकरणों में व्यापारियों को राहत देने हेतु 1 अप्रेल 2021 से 30 जून 2021 तक **आबकारी एमनेस्टी योजना–2021** लाने की घोषणा करता हूँ कि -

    (i) 31 मार्च, 2014 तक के बकाया प्रकरणों में श्रेणीवार मूल राशि में आंशिक एवं ब्याज में पूर्ण छूट तथा

    (ii) 1 अप्रेल, 2014 से 31 मार्च, 2020 तक के सभी बकाया प्रकरणों में ब्याज पर पूर्ण छूट दी जायेगी।

74. कोविड-19 से प्रभावित बस व्यावसायियों को राहत देने के लिए Contract एवं State Carriage बसों को राज्य परिवहन प्राधिकार (State Transport Authority) द्वारा निर्धारित शर्तों एवं शुल्क के अधीन सामान्य व्यापारिक माल के परिवहन की अनुमति देने की घोषणा करता हूं।

75. राज्य सरकार ने कोविड-19 एवं लॉकडाउन से प्रभावित उद्योगों को संबल प्रदान करने हेतु RIICO के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित उद्योगों को अगस्त, 2020 से दिसम्बर, 2020 तक अनेक रियायतें दी थीं। अब मैं, इसे आगे बढ़ाते हुए RIICO Amnesty Scheme-2021 लाने की घोषणा करता हूँ। जो 30 जून, 2021 तक प्रभावी रहेगी। इसमें -

(i) सेवा शुल्क एवं आर्थिक किराये की राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में शत प्रतिशत की छूट

(ii) आवंटित भूखण्ड पर गतिविधि प्रारंभ करने में हुई देरी पर देय धारण प्रभार में 50 प्रतिशत छूट

(iii) भूखण्ड/उप विभाजित भूखण्ड के हस्तान्तरण पर देय शुल्क में 50 प्रतिशत छूट दी जायेगी।

क्षेत्रीय विकास :

76. माननीय विधायकगणों की भावना को ध्यान में रखते हुए एवं प्रदेश के विकास हेतु मैं, विधायक विकास कोष (MLA LAD) की वर्तमान राशि 2 करोड़ 25 लाख रुपये प्रतिवर्ष को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष किये जाने की घोषणा करता हूं।

निर्बाध पेयजल और विद्युत आपूर्ति सरकार की प्राथमिकता

प्रदेश में उपभोक्ताओं को निर्बाध रूप से पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए संवेदनशीलता के साथ निरंतर ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। उपभोक्ता हितों को केन्द्र में रखकर सेवाओं के संवर्द्धन और विस्तार की दृष्टि से योजनाओं और कार्यक्रमों का पूरी शिद्दत के साथ क्रियान्वयन हो रहा है। कोरोना काल में लॉकडाउन, कंटेनमेंट जोन और कर्फ्यू जैसी स्थितियों के बीच घरों में रहने को मजबूर उपभोक्ताओं को मुश्किल परिस्थितियों के बीच सेवाएं देने में दोनों महकमों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने दायित्वों को बखूबी निभाते हुए मिसाल कायम की। लोककला एवं लोकसंस्कृति के संरक्षण के लिए भी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

जलदाय, ऊर्जा, कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला का दृष्टिकोण।

उप निदेशक मनमोहन हर्ष द्वारा लिए गए साक्षात्कार के महत्त्वपूर्ण अंश:-

समयबद्ध पेयजल प्रबंधन में जलदाय विभाग किस प्रकार अपनी भूमिका निभा रहा है?

प्रदेश की आबादी देश की जनसंख्या का कुल 5.5 प्रतिशत है। वहीं सतही जल व भू-जल की उपलब्धता देश के कुल भूगर्भ जल का 1.1 प्रतिशत ही है। भू-जल के अति दोहन के कारण हमारे यहां 85 प्रतिशत भाग डार्क जोन में है। गुणवत्ता के लिहाज से देखें तो देश के करीब एक तिहाई गुणवत्ता प्रभावित ग्राम और ढाणियां राजस्थान में स्थित है। देश के 95 प्रतिशत लवणता प्रभावित, 59 प्रतिशत फ्लोराइड प्रभावित एवं 80 प्रतिशत नाइट्रेट प्रभावित गांव व ढाणियां भी हमारे राज्य में हैं। ऐसी चुनौत्तिपूर्ण स्थितियों में मौजूदा सरकार के कार्यकाल में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में विभाग जल जीवन मिशन, वृहद् पेयजल परियोजनाओं सहित नए प्रोजेक्ट्स के माध्यम से पूरे प्रदेश में पेयजल आपूर्ति में व्यापक सुधार के लिए सतत सघन प्रयास कर रहा है। हम जनसेवा को अपना ध्येय बनाकर पेयजल के समयबद्ध प्रबंधन के मिशन में जुटे हुए है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के पहले दो सालों में प्रदेश के किसी भी हिस्से में गर्मियों के दिनों में भी लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी। प्रदेश के प्रत्येक गांव-ढाणी, शहर और कस्बों में सतत् और सुचारू पेयजल आपूर्ति हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसके लिए धन की कोई कमी नहीं है।

लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसे मुश्किल समय में जलदाय विभाग ने क्या खास इंतजाम किए और किस प्रकार की रणनीति अपनाई?

कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान पूरे प्रदेश में बढ़ी हुई मांग के बावजूद जलदाय विभाग ने पिछली गर्मियों में पेयजल व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए रात-दिन एक करते हुए कार्य किया। मुझे यह कहते हुए बड़ा गर्व है कि कोरोना के कारण उत्पन्न लॉकडाउन, कर्फ्यू और कंटेनमेंट जोन जैसी विषम स्थितियों के बीच भी प्रदेश के लोगों को निर्बाध रूप से जलापूर्ति के लिए हमारे विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, तकनीकी कार्मिकों और संविदाकर्मियों ने कड़ी मेहनत करते हुए अपने दायित्व का निर्वहन किया। मुझे याद आता है कि कोरोना के कारण जयपुर के रामगंज क्षेत्र कर्फ्यू के बीच पेयजल आपूर्ति में बाधा आई तो अधिकारी और तकनीकी कर्मचारी पीपीई किट पहनकर मौके पर पहुंचे और उन्होंने लीकेज को दुरूस्त कर सप्लाई को बहाल किया।

जल जीवन मिशन में 'घर-घर नल से जल' देने की योजना का राज्य की जनता को कैसा फायदा मिल रहा है?

केन्द्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में अपनी हिस्सेदारी घटा दिए जाने के बाद भी राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के कार्यो को संयुक्त संस्थागत ढांचे के माध्यम से आगे बढ़ाते हुए लोगों को घर-घर नल से जल पहुंचाने का बीड़ा उठा रखा है। जल जीवन मिशन की क्रियान्विति के लिए गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक कार्यवाही की जा रही है। अब तक 18.53 लाख ग्रामीण परिवारों को घरेलू जल सम्बन्ध द्वारा पेयजल आपूर्ति उपलब्ध करायी गयी। इसके लिए 2384 करोड़ रुपये व्यय किये गये। प्रदेश में जल जीवन मिशन में 12755 गांवों में 36 लाख परिवारों को घरेलू जल सम्बन्ध जारी करने के लिए 22 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली 52 वृहद् पेयजल योजनाएं एवं 1891 एकल तथा क्षेत्रीय ग्रामीण जल योजनाएं स्वीकृत की गई।

'ईस्टर्न कैनाल परियोजना' पेयजल प्रबंधन की दृष्टि से कितना महत्व रखती है?

पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लोगों के लिए यह महत्त्वाकांक्षी योजना जीवनदायिनी साबित होने वाली है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 37 हजार 247 करोड़ रुपये की डीपीआर बनाकर केन्द्र सरकार को मंजूरी के लिए भेज दी गई है। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जब राजस्थान आए थे तो उन्होंने स्वयं इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का वादा यहां की धरती पर अपने सम्बोधन में किया था। राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से लगातार 'ईस्टर्न कैनाल परियोजना' को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग की जा रही है।

जल संरक्षण एवं बचत हर राजस्थानी का फर्ज है, लोगों को इस हेतु जागरूक करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

हमारे प्रदेश के लिए वर्षा के मौसम में बरसने वाला पानी अमृत के समान अमूल्य है। यहां के लोग पानी की बूंद-बूंद का महत्व बखूबी जानते है। राज्य में वर्षा जल के संचय और इसे सहेज कर लम्बे समय तक उपयोग करने की सुदीर्घ परम्परा रही है। लेकिन पिछले कुछ सालों में भू-जल के अति दोहन से स्थितियां चिंताजनक हो गई है। जलदाय विभाग द्वारा अपनी परियोजनाओं के माध्यम से पेयजल को घर-घर तक पहुंचाने के लिए भी बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं। जल संरक्षण के लिए समय समय पर अभियान संचालित किए जाते हैं। मेरा 'राजस्थान सुजस' के पाठकों से भी आग्रह है कि वे बेशकीमती पानी की बूंद-बूंद का मितव्ययता के साथ सदुपयोग करते हुए जल संरक्षण एवं बचत की मुहिम में भागीदार बने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।

ऊर्जा विभाग द्वारा घरेलू व कृषि उपभोक्ताओं के हितों और लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति पर भी हमारा पूरा फोकस है। तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के स्तर पर 24 घंटे कार्यरत कॉल सेंटर्स के माध्यम से जनता को सभी प्रकार की उपभोक्ता सेवाएं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जा रही हैं। कोरोनाकाल में जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम्स के अधिकारियों, इंजीनियर्स, कर्मचारियों और तकनीकी संवर्ग के कार्मिकों ने पूरे प्रदेश में जनता को बिजली आपूर्ति के लिए सराहनीय कार्य किया। विद्युत उपभोक्ताओं की संतुष्टि को केन्द्र में रखकर प्रदेश में सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए ऊर्जा विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। जहां तक कृषि उपभोक्ताओं का सवाल है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की घोषणानुसार हमने राज्य के 15 जिलों में किसानों को दिन में बिजली देना आरम्भ कर दिया है। प्रदेश में एग्रीकल्चर फीडर को अलग करने का काम चल रहा है। शेष बचे जिलों में मार्च, 2023 तक चरणबद्ध रूप से काश्तकारों को दिन के ब्लॉक में बिजली आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा गया है।

वीसीआर की कार्यवाही को लेकर कुछ लोग पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते हैं, इसमें पारदर्शिता के लिए क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं?

वीसीआर के प्रकरणों में पूर्ण पारदर्शिता बरतने के लिए वृत्त, सम्भाग और निगम स्तर पर कमेटियों का गठन कर प्रक्रिया का सरलीकरण किया है। इनमें कोई भी घरेलू या वाणिज्यिक उपभोक्ता 10 प्रतिशत राशि या अधिकतम 5 लाख रुपये जमा करवा कर वीसीआर कमेटी में सुनवाई करवा सकता है। कृषि कनेक्शन में 50 प्रतिशत राशि जमा करवा कर प्रकरण का निस्तारण करा सकते हैं। जयपुर डिस्कॉम में हमने वीसीआर के प्रकरणों के लिए 'विजिलेंस एप' लागू किया है। इस एप के माध्यम से विजिलेंस की प्रक्रिया में पारदर्शिता के साथ अधिक छीजत वाले क्षेत्रों में सतर्कता कार्यवाहियाँ करने से छीजत को कम करने में भी मदद मिली है। विद्युत नियामक आयोग के नियमों के अनुरूप तैयार इस 'एप' के जरिए विजिलेंस कार्यवाहियों में पारदर्शिता आ रही है। उपभोक्ताओं की शिकायतें कम होने के साथ विजिलेंस से जुड़े अभियंताओं की जवाबदेही भी सुनिश्चित हो रही है। ऐसा 'एप' शीघ्र ही अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स में भी लागू किया जाएगा। इसके अलावा उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए डिस्कॉम द्वारा एक 'सेल्फ बिलिंग एप' भी तैयार कराया जा रहा है, जिसे आगामी दिनों में लांच किया जाएगा।

प्रदेश में गैर परम्परागत स्रोतों से विद्युत उत्पादन के परिदृश्य में क्या खास बदलाव आया है?

राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर-2019 में नई सौर ऊर्जा नीति तथा पवन एवं हाइब्रिड़ ऊर्जा नीति जारी करने के बाद निवेशकों ने राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के लिए विशेष उत्साह दिखाया है। नवीन नीतियों के जारी होने के बाद प्रदेश में वर्ष 2025 तक 30000 मेगावाट सौर ऊर्जा, 4000 मेगावाट पवन ऊर्जा तथा 3500 मेगावाट के हाईब्रिड संयंत्र स्थापित करने के लक्ष्य तय किए गए हैं।

कोरोना काल में लोक कलाकारों की मदद के लिए कला एवं संस्कृति विभाग ने क्या विशेष प्रयास किए?

कला, साहित्य और संस्कृति विभाग ने कोरोना के कारण मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर रहे ग्रामीण क्षेत्रों के लोक कलाकारों के लिए 'मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना' लागू कर उनको घर बैठे राहत पहुंचाने का प्रयास किया गया। इसके तहत प्रदेश के ग्रामीण लोक कलाकारों को अपनी कला से सम्बंधित प्रस्तुति का 15 से 20 मिनट का वीडियो अपने स्थान पर ही तैयार करके को भेजने को कहा गया। इनमें से चयनित वीडियोज पर लोक कलाकारों को आर्थिक सहायता दी गई और उनके वीडियोज को विभाग के सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी प्रदर्शित किया गया। इसके अलावा विभाग द्वारा पूरे प्रदेश के लोक कलाकारों का डेटाबेस तैयार करने की भी पहल की गई है।

राजस्थानी फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए भी इस बार के बजट में कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं?

राज्य के बजट में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थानी फिल्मों के के लिए 25 लाख का सहयोग और जीएसटी से मुक्ति की घोषणा की है, इससे राजस्थानी भाषा को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही कोविड-19 के कारण विपरीत हालातों का सामना कर रहे प्रदेश के लोक कलाकारों के सम्बल देने के लिए 15 करोड़ की राशि से 'कलाकार कल्याण कोष' बनाने, फिल्म प्रोत्साहन नीति बनाने और फिल्म सिटी के निर्माण के लिए 'वायबिलिटी गैप फंडिंग' योजना जैसे बजटीय प्रावधान प्रदेश में फिल्म एवं कला जगत से जुड़े लोगों के लिए राहत का नया पैगाम हैं।●

राजस्थान : तकनीकी शिक्षा के नये आयाम

– डॉ . सुधीर सोनी

राजस्थान, उच्च शिक्षा की दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण प्रदेश है। यहां के युवाओं को बेहतर उच्च शिक्षा और गुणवत्ता युक्त मानव संसाधन उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा को स्थापित किया गया। उच्च शिक्षा के पर्याय बने कोटा में चंबल नदी के सुरम्य तट पर यह विश्वविद्यालय लगभग 375 एकड़ विस्तृत परिसर में फैला हुआ है। तकनीक किसी भी पहलू को महत्त्वपूर्ण बनाती है और मानव जीवन को उन्नति के तमाम पक्ष भी मुहैया कराती है। यही वजह है कि तकनीकी अध्ययन की मांग निरंतर बनी रहती है। शिक्षा के देशव्यापी स्वरूप को पहचानते हुए सरकार की ओर से एक अभिनव कदम उठाया गया कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय को यूजीसी से संबद्धता प्रदान की गई।

साथ ही साथ इसे एआईसीटीई से भी इसे जोड़ा गया। राज्य का यह तकनीकी संस्थान बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर जैसे क्षेत्रों में अध्ययन - अध्यापन तथा शोध की दिशा में काम करता है।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत विविध अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की गई है। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के 23 अनुसंधान केंद्रों में लगभग 350 छात्र शोध उपाधि के लिए पंजीकृत हैं और इन युवाओं को शोध उपाधि हेतु मार्गदर्शन देने के क्रम में 183 पर्यवेक्षक पंजीकृत किए गए हैं। जो विद्यार्थियों को देश-विदेश के विभिन्न नवीन उपादानों के साथ शोध कार्य की दिशा में न केवल उनका मार्गदर्शन करते हैं बल्कि उन्हें शोध हेतु अपने शोध पत्र प्रकाशित करने के लिए भी निरंतर प्रोत्साहित करते हैं।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के निर्देशन में सुशासन और राज्य सरकार के दृष्टिकोण से तकनीकी शिक्षा को महत्त्वपूर्ण आयाम दिए गए हैं। तकनीकी शिक्षा ही वह पहलू है जो समाज को गतिशीलता देने के साथ युवाओं को बेहतर रोजगार हेतु मार्गदर्शन भी दे सकती है।

इस विश्वविद्यालय में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम विद्यार्थियों को विषय चयन का विकल्प देने के लिए उपलब्ध करवाया गया। विभिन्न मापदंडों को अपनाते हुए विश्वविद्यालय द्वारा अपने बुनियादी ढांचे व प्रयोगशालाओं में निरंतर सुधार कर तकनीकी कदमताल को बनाए रखने के लिए तमाम उन्नत और नवीन सॉफ्टवेयर उपयोग किए जा रहे हैं। कोरोनावायरस के कठिन समय में सामाजिक दूरी को बनाते हुए तकनीक की दुनिया ने एक दूसरे को जोड़ा है।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों की पढ़ाई में कोई भी व्यवधान उत्पन्न ना हो इसके लिए उन्हें तमाम अध्ययन सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है। इसी क्रम में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा दसवाँ दीक्षांत समारोह वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया।

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा बीटेक, एमटेक कोर्स के ई-कंटेंट शिक्षकों के द्वारा वीडियो यूट्यूब एवं वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराए जा रहे हैं । दो हजार से अधिक वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पर विद्यार्थियों की सहायता हेतु उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय के विद्युत इंजीनियरिंग विभाग को पिछले वर्ष एनबीए से एक्रीडिएशन प्राप्त हुआ था। साथ ही अन्य विभाग भी एनबीए से एक्रीडिएटेड हो सकें इस हेतु प्रशासन काम कर रहा है।

विश्वविद्यालय के नव-निर्मित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भवन का ऑनलाइन लोकार्पण स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग द्वारा किया गया।

अभिनव पहल

विश्वविद्यालय परिसर को हरा-भरा व स्वच्छ रखने के दृष्टिकोण से एआईसीटीई की गाइडलाइन के अनुरूप एक छात्र एक पेड़ के तहत विश्वविद्यालय में मेगा प्लांटेशन का कार्य किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने भाग लिया।

कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच विश्वविद्यालय ने स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव के अंतर्गत गोद लिए गए गांवों छीपड़दा एवं मोरुकला में गरीब परिवारों को राशन सामग्री का वितरण किया। गाँव के स्कूलों में दरी-पट्टी, कंप्यूटर, शौचालय निर्माण, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, खेल का मैदान तैयार करवाना आदि कार्य भी प्रस्तावित हैं, जो शीघ्र ही संपादित किए जाएंगे।

अपने अभिनव योगदान के तहत राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर यंत्र प्रतियोगिता आयोजित की गई तथा न्यूनतम खर्च पर सेनेटाइजर मशीन का निर्माण किया गया है। विश्वविद्यालय परिसर में 300 किलो वाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित है जो अपनी आवश्यकता का 50 प्रतिशत ऊर्जा उत्पादित कर रहा है, आगामी वर्षों में विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा परिसर में विकसित होगा, जिससे आने वाले समय में विश्वविद्यालय का विद्युत का उत्पादन व उसकी बचत की जा सकेगी।

विश्वविद्यालय में शोध की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए एक रिसर्च सेल की स्थापना भी की गई है। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, टेबल- टेनिस, बैडमिंटन आदि बेहतरीन खेलों की सुविधाएं तथा आधुनिक व्यायामशाला भी उपलब्ध है।

विश्वविद्यालय में एक सुव्यवस्थित ट्रेनिंग तथा प्लेसमेंट सेल विद्यमान है और इसके माध्यम से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां कॉरपोरेट और अन्य संस्थान के साथ छात्रों का संपर्क विकसित किया गया है ताकि वह अपने उचित प्रशिक्षण और प्लेसमेंट से अपनी आजीविका के क्रम में जोड़ सकें।

यूनिवर्सिटी सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी के अंतर्गत गोद लिये गये गांव मोरूकलाँ विद्यालय में छात्रों को स्वेटर और मास्क का वितरण किया गया। साथ ही विद्यालय को इंफ्रारेड थर्मामीटर, पेडस्टल सेनेटाइजर मशीन और सेनेटाइजर लिक्विड केन प्रदान किए गए । मोरूकलां और छिपरदा गाँव में पूर्व में लगाए गए पौधों के लिए ट्री गार्डस प्रदान किए गये। दोनों गाँव में प्रौढ़ साक्षरता अभियान चलाया गया। तकनीकी शिक्षा राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का एक सजग स्वप्न है। आने वाले समय की मांग के अनुरूप वैज्ञानिक तकनीकी विकास में निरंतर योगदान देते रहेंगे।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय न केवल अपनी संकल्पना को सिद्ध कर रहा है बल्कि आने वाले समय में प्रकाश स्तंभ की भांति तकनीकी शिक्षा व तकनीकी उपादान में निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के निर्देशन में सुशासन और राज्य सरकार के दृष्टिकोण से तकनीकी शिक्षा को महत्त्वपूर्ण आयाम दिए गए हैं। तकनीकी शिक्षा ही वह पहलू है जो समाज को गतिशीलता देने के साथ युवाओं को बेहतर रोजगार हेतु मार्गदर्शन भी दे सकती है। इस विश्वविद्यालय में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम विद्यार्थियों को विषय चयन का विकल्प देने के लिए उपलब्ध करवाया गया। विभिन्न मापदंडों को अपनाते हुए विश्वविद्यालय द्वारा अपने बुनियादी ढांचे व प्रयोगशालाओं में निरंतर सुधार और तकनीकी कदमताल को बनाए रखने के लिए तमाम उन्नत और नवीन सॉफ्टवेयर उपयोग किये जा रहे हैं।

– प्रो. आर.ए. गुप्ता, कुलपति

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

#राजस्थान_सतर्क_है

14 अप्रेल 1891 – 6 दिसम्बर 1956

'भारत रत्न' बाबासाहेब

डॉ. भीमराव अम्बेडकर

के जन्म दिवस पर **कोटि-कोटि नमन**

"डॉ. भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे युग पुरुष थे जिनका जीवन देशहित को समर्पित था। सामाजिक एकता हेतु उनकी सकारात्मक सोच, राष्ट्रीय स्तर पर दूरदर्शी दृष्टिकोण और व्यक्तिगत जीवन में उनकी योग्यताएं अतुलनीय थीं। आइये, उनके जन्म दिवस पर उनके द्वारा दिखाये गये मार्ग पर चलने के प्रण को दोहराएं एवं उनके जीवन से प्रेरित होकर देशहित में अपनी भागीदारी निभाएं।"

अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान

पहनिए मास्क | धोइए हाथ | रखिए दो गज दूरी

किसी भी सहायता हेतु 181 पर सम्पर्क करें

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

#राजस्थान_सतर्क_है

कोरोना की दूसरी लहर पहले से भी ज्यादा घातक है

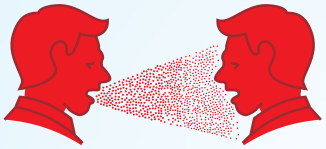

90% खतरा
संक्रमित होने का

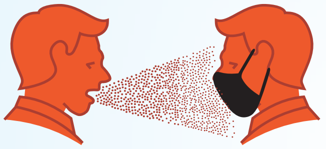

30% खतरा
संक्रमित होने का

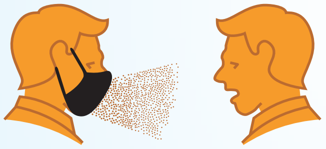

5% खतरा
संक्रमित होने का

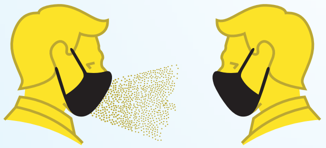

1.5% खतरा
संक्रमित होने का

0% खतरा
संक्रमित होने का

2 गज / 6 फीट

मास्क और दूरी, बचाव के लिए जरूरी

45 वर्ष व उससे अधिक आयु वाले वैक्सीन जरूर लगवायें

टोल फ्री 104/108 | पहनिए मास्क | धोइए हाथ | रखिए दो गज दूरी | कोरोना वॉर रूम 181

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 30 अप्रेल 2021 तक रजिस्ट्रेशन जरूर करवायें

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

Postal Regd. No. Jaipur City/413/2020-22
Registered with Registrar of Newspapers of India under R. No. 56175/1991

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

#राजस्थान_सतर्क_है

अपील

खतरनाक साबित हो रही है कोरोना की दूसरी वेव

प्रिय प्रदेशवासियों,

पूरी दुनिया, हमारा देश एवं प्रदेश कोरोना महामारी के अभूतपूर्व संकट से जूझ रहा है। इस वर्ष फरवरी एवं मार्च में कोरोना के मामलों में काफी कमी आने के कारण सभी यह मानने लगे कि शायद कोरोना जा रहा है। लेकिन अचानक कोरोना की नई लहर आई और इस महामारी ने आक्रामक रूप ले लिया है।

सभी विशेषज्ञ लगातार आगाह कर रहे थे कि इतिहास में ज्यादातर महामारियों की दूसरी और तीसरी लहर भी आई है जो पहली लहर से कहीं ज्यादा घातक सिद्ध हुई एवं कोरोना भी इसका अपवाद नहीं होगा और विशेषज्ञों की यह बात सही साबित होती दिख रही है। आज देश और प्रदेश में भी कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है। हालात यह है कि राजस्थान में अप्रैल माह के 15 दिनों में ही कोरोना के प्रतिदिन मामलों एवं प्रतिदिन मृत्यु की संख्या ने 2020 के सभी आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है। बीते एक साल में एक दिन के अधिकतम आंकड़े की तुलना में अब लगभग दोगुने कोरोना के केसेज प्रतिदिन आने लगे हैं।

कोरोना से बचने के लिए बीते एक वर्ष में सरकार ने व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान तथा जन आन्दोलन चलाए। प्रचार की गति और भी बढ़ाई गई है। लेकिन प्रतीत होता है कि कोरोना के प्रति लोगों का डर बेहद कम हो गया है एवं उन्होंने सावधानियों का पालन भी करना बंद कर दिया है। देश के कुछ राज्यों में हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि वहां अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन की कमी हो गई एवं एम्बुलेंस की कतारें लग गईं। यहां तक कि मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए श्मशानों में स्थान कम पड़ रहा है एवं उनका खुले में दाह संस्कार करना पड़ रहा है। यह हृदय विदारक एवं बेहद चिंताजनक है।

आमजन की जीवन रक्षा सरकार का सर्वोच्च कर्त्तव्य है। दूसरे प्रदेशों जैसी भयावह स्थिति राजस्थान में ना बने इस हेतु सरकार ने कुछ कड़े कदम उठाए हैं। हमारा प्रयास है कि लोगों की जान बचाई जा सके और आजीविका भी चलती रहे इसलिए अभी सम्पूर्ण लॉकडाउन ना कर पाबंदियां बढ़ाई गई हैं। प्रदेश में शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। सभी बाजार शाम 5 बजे बन्द किए जाएंगे। सभी शैक्षणिक संस्थानों यथा स्कूल, कॉलेज, कोचिंग एवं लाइब्रेरी आदि को बन्द रखा जाएगा। ऑनलाइन क्लासेज जारी रह सकेंगी। विवाह समेत सभी निजी आयोजनों में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। धार्मिक स्थलों की जगह घर पर पूजा, इबादत, अरदास, प्रेयर की जाएगी। 14 अप्रेल को गृह विभाग द्वारा जारी सभी गाइडलाइंस की हर स्थान पर सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी। गत वर्ष लॉकडाउन के दौरान आमजन, धार्मिक, सामाजिक व राजनैतिक संगठनों ने राजस्थान सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया। इस कारण हमारा कोविड प्रबंधन शानदार रहा एवं इसे देश में एक मॉडल के रूप में सराहा गया।

समय की मांग है कि एक बार पुनः सभी एकजुट होकर उसी संकल्प के साथ सभी सावधानियों और सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करें। सरकार आमजन के साथ कोई सख्ती नहीं करना चाहती है लेकिन गाइडलाइंस का उचित तरीके से पालन नहीं हुआ तो आमजन के हित में सख्त कदम उठाने के अलावा सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। हमें यह एहसास है कि थोड़े समय के लिए नागरिकों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु हमें यह नहीं भूलना है कि 'जान है तो जहान है'। आगामी दो-तीन हफ्ते हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। कुछ समय की सावधानी हमें किसी संभावित पश्चाताप से बचा सकती है एवं थोड़ी सी लापरवाही अपनी एवं अपनों की जान के लिए खतरनाक साबित हो सकती है।

अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री

वैक्सीन जरूर लगवायें

टोल फ्री 104/108 पहनिए मास्क | धोइए हाथ | रखिए दो गज दूरी **कोरोना वॉर रूम 181**

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन जरूर करवायें

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

#DIPRRajasthan

प्रकाशक व मुद्रक-सूचना एवं जनसम्पर्क अतिरिक्त निदेशक, राजपाल सिंह यादव द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के लिए, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित
सम्पादक- डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा • मैसर्स प्रीमियर प्रिन्टिंग प्रेस, 12, मित्र नगर, हवा सड़क, रामनगर, सोडाला, जयपुर से मुद्रित, 'राजस्थान सुजस'-पृष्ठ संख्या 60, मूल्य 20 रुपये/ 60,000 प्रतियां